वार्षिक रिपोर्ट
2008 – 2009

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
http: www//ncw.nic.in

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	प्राक्कथन		1
2.	भूमिका		3
3.	शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ		15
4.	विधिक प्रकोष्ठ		27
5.	शोध एवं अध्ययन प्रकोष्ठ		43
5क.	राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें		67
6.	आयोग के लेखे		83
7.	अनुलग्नक		
	अनुलग्नक–I	संगठनात्मक चार्ट	113
	अनुलग्नक–II	राष्ट्रीय महिला आयोग को वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में प्रकृति–वार रिपोर्ट	114
	अनुलग्नक–III	राष्ट्रीय महिला आयोग को वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की राज्य–वार रिपोर्ट	115
	अनुलग्नक–IV	अपराध (तेजाब से हमला) की शिकार महिलाओं और बच्चों को राहत और पुनर्वास की स्कीम	116
	अनुलग्नक–V	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन के संबंध में सिफारिशें और सुझाव	126
	अनुलग्नक–VI	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध विधेयक	167
	अनुलग्नक–VII	स्त्री और बाल अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 2008 स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन	186

1 प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2008–09 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने पूर्व वर्ष की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करके, महिलाओं से प्राप्त उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करके तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं का उनकी सहायतार्थ स्वतः संज्ञान लेकर, महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अनवरत प्रयास किया।

आयोग को प्राप्त अधिदेश, जिसके अंतर्गत आयोग से महिलाओं से संबंधित कानूनों में यथा अपेक्षित सुझाव देने की अपेक्षा की गई है, का पालन करते हुए, आयोग ने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न विधेयक, 2008 में संशोधन तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 की पुनरीक्षा की और तेजाब से हमले की शिकार महिलाओं की राहत एवं पुनर्वास की एक संशोधित स्कीम का प्रारूप तैयार किया। आयोग ने साझा घर के संबंध में श्री एस.आर. बतरा और अन्य बनाम श्रीमती तरुणा बतरा, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 6651–6652 (वर्ष 2005) में उच्चतम न्यायालय की पुनरीक्षा पर अपनी सिफारिशें की।

आयोग के शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ को, जो आयोग का प्रमुख एकक है, विपदाग्रस्त महिलाओं से उनके दुखों को दूर करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के हल के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त, आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर भी बहुत से मामलों की विवेचना की। वर्ष 2008–09 के दौरान, आयोग ने 7050 शिकायतों का समाधान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन शिकायतें दर्ज करना भी प्रारंभ कर दिया है ताकि देश के दूरस्थ इलाकों की पहुंच भी आयोग तक संभव हो सके।

महिलाओं को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्नि कानूनों के अंतर्गत उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए आयोग ने वर्ष के दौरान कई कानूनी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों अथवा राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक लोक अदालतों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, कोख किराये पर लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों, स्त्री अशिष्ट रूपण, बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा, रात्रि की पाली में काम करने वाली महिलाओं, विवाह संबंधी समस्याओं और कठिनाइयों से संबंधित कानूनों, पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं जैसे विषयों पर आयोग द्वारा अनेक कार्यशालाओं, जन सुनवाइयों, सम्मेलनों तथा परामर्श सत्रों का भी आयोजन किया गया।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा वर्ष के दौरान "घर बचाओ परिवार बचाओ" और "जागो" जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। "घर बचाओ परिवार बचाओ" कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को

महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मुद्दों के निपटान में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, वैवाहिक विवादों के मामलों में समझौते की नीति पर बल देना तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498'क' के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के प्रयोजनार्थ गैर–सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का आंशिक वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसे दिल्ली पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में हाल में आई तेजी से विक्षुब्ध होकर आयोग ने "जागो" नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को महिलाओं के साथ की जाने वाली किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा करने के लिए तथा ऐसे अमानवीय अपराधों को करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए प्रेरित करना था। विद्यार्थी, धार्मिक कार्यों से जुड़ी महिलाओं, वकीलों, महिला कार्यकर्ताओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोग इस उद्देश्य के लिए एकजुट हुए और सबने महिलाओं पर होने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों को रोकने की दिशा में कार्य करने की शपथ ली। संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले विधेयक को पारित करवाने की दिशा में आयोग एक दशक से भी अधिक समय से अथक प्रयत्न कर रहा है। इस संबंध में सर्वसम्मति विकसित करने के लिए आयोग संसद सदस्यों/राज्य विधान मंडलों के विधायकों के साथ बैठकें/विचार–विमर्श करता रहा है।

इस अवसर पर, मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर प्रधान मंत्री कार्यालय, के प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने आयोग द्वारा महिलाओं के मुद्दों के समर्थन में किए गए सतत प्रयासों में अपना सहयोग दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों एवं राज्य महिला आयोगों, आयोग में अपने सहयोगियों, आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मैं आभारी हूं, जिन्होंने परस्पर मिलकर अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य किया और वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया।

(गिरिजा व्यास)
अध्यक्षा
राष्ट्रीय महिला आयोग

2 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि का, जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों तथा सेमिनारों/ कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों आदि का आयोजन किया एवं नारी भ्रूण हत्या, महिलाओं पर हिंसा, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आयोग का गठन

वर्ष 2008–09 के दौरान, आयोग में नियुक्त इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 09.04.2008 को कार्यभार संभाला)

(ii) सुश्री यास्मीन अब्रार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(iii) सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सदस्य – 26.05.2005 से 11.05.2008

(iv) सुश्री नीवा कंवर, सदस्य – 27.05.2005 से 26.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(v) सुश्री निर्मला वेंकटेश, सदस्य – 15.07.2005 से 14.07.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 24.09.2008 से 27.02.2009 तक पद पर बनी रहीं)

(vi) सुश्री मंजु एस. हेम्ब्रोम, सदस्य – 30.06.2006 से

(vii) सुश्री वानसुक सयिम, सदस्य – 26.09.2008 से

(viii) श्री एस. चटर्जी, सदस्य–सचिव – 10.09.2007 से

आयोग के कृत्य मुख्यतः इसके तीन प्रकोष्ठों द्वारा किए जाते हैं अर्थात शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ तथा विधिक प्रकोष्ठ। प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन क्रमशः अध्याय 2, 3 और 4 में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार

वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं। आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(1) आयोग की 1 अप्रैल, 2008 को हुई बैठक:

(क) रिट याचिका संख्या 2949 – वर्ष 2004 में सुश्री जी. कविता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का निर्णय, जिसमें याचिकाकर्ता ने एक घोषणा रिट जारी करने का अनुरोध किया था कि आपराधिक दण्ड संहिता, 1973 की धारा 64, जहां तक समन का प्रतिबंध जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है, उसके परिवार के केवल वयस्क पुरुष सदस्य पर ही लागू होगा, असंवैधानिक और अवैध है, पर विचार किया गया। विचार–विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि इस बात पर सहमति हुई कि समन भेजने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए।

(ख) आयोग को यह अवगत कराया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में यथाप्राप्त संशोधन 19.03.2008 को परिचालित कर दिया गया है और इन्हें फरवरी, 2008 में आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले और विचार–विमर्श भी किया जाएगा। प्रसारण संहिता के प्रारूप की एक प्रति सभी सदस्यों को परिचालित कर दी जाए ताकि सदस्य द्वारा सुझाए गए अनुसार एक व्यापक मत सृजित किया जा सके।

(ग) भदोई की एक दलित बालिका (नाम 'क') के बलात्कार और अपहरण के मामले की जांच करने के लिए गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गई।

(घ) (तेजाब से हमला) अपराध निवारण अधिनियम, 2008 के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तेजाब से हमले के शिकार व्यक्ति को उसे पहुंची क्षति की गंभीरता के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान की सिफारिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा जाए।

(ड.) कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में नीति के प्रारूप पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र मई, 2008 के पहले/दूसरे सप्ताह में आयोजित करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(च) कोख किराए पर लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों से संबंधित विशेषज्ञों का एक प्रारंभिक परामर्श सत्र आयोग के सम्मेलन हाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30–40 व्यक्ति भाग लेंगे।

(छ) शिवानी भटनागर हत्या मामले में न्यायाधीश की टिप्पणियां : मामले पर बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और ध्वनि मत से यह सहमति व्यक्त की गई कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी अभियुक्त की प्रशंसा करने से गलत संदेश जाएगा। न्यायालय के आदेश की एक प्रति प्राप्त की जाएगी और उसकी जांच करने के पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग अभियुक्त की प्रशंसा करने से संबंधित टिप्पणियों को रद्द करने के लिए एक अपील दायर कर सकता है।

(ज) राष्ट्रीय महिला आयोग पर एक लघु फिल्म : यह अनुमोदित किया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आकाशवाणी/ एफ एम रेडियो चैनलों पर एक फोन–इन कार्यक्रम आरंभ किया जाए, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के हितों से संबंधित कानूनों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को तरजीह दी जाए। नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों का स्पष्टतः समावेश किया जाए और उसे एक स्थायी रिकार्ड बनाया जाए।

(झ) संवेदीकरण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त श्री सुधीर यादव, आई.पी.एस. से प्राप्त अनुरोध के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उनके अनुरोध की आगे जांच करने के लिए महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ के संयुक्त पुलिस आयुक्त से एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाए। इस दिशा में कार्रवाई शीघ्र की जाए।

(ञ) गैर–अधिदेशित शिकायतों को बंद करना : शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के समन्वयकों और परामर्शदाताओं को किसी महिला के विरुद्ध अन्य महिला की शिकायतों (उदाहरण के लिए बहु के विरुद्ध सास की शिकायत) के संबंध में जानकारी देने के लिए उनकी एक बैठक आयोजित की जाएगी। चूंकि ऐसे मामले भी महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित हैं, अतः ऐसे मामलों को भी आयोग द्वारा अपने हाथ में लिया जाए। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों के संबंध में भी, जिनमें आयोग को अधिदेश प्रदान नहीं किया गया है, शिकायत की एक प्रति संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को पत्र लिखकर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को इस आशय का एक पत्र भी भेजा जाए कि वे संबंधित प्राधिकारियों, जिन्हें उनकी शिकायत पहले ही भेजी जा चुकी है, से संपर्क करें।

(ट) इस बात पर सहमति हुई कि वैधानिक जागरूकता कार्यक्रमों/ अध्ययन कार्यक्रमों आदि को आयोजित करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हों या उसके संबंध में आयोग के सदस्य–सचिव सहित किसी सदस्य की सिफारिश प्राप्त हो।

(2) आयोग की 28.04.2008 को हुई बैठक :

कोख किराये पर लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श सत्र हेतु विशेषज्ञों के नामों अर्थात 1– सुश्री सरोजिनी अथवा एसएएमए से एक प्रतिनिधि, 2– सुश्री इमराना कादिर, पूर्व प्राध्यापिका, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन, जे एन यू, 3– सुश्री इंदु अग्निहोत्री, सी डब्ल्यू डी एस, 4– श्री मोहन राव, प्राध्यापक, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन, जेएनयू, 5– सुश्री टी. राजलक्ष्मी, पत्रकार, फ्रंटलाइन, को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आईसीएमआर के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

(3) आयोग की 24.09.2008 को हुई बैठक :

आयोग के प्रकाशन "मीरा दीदी से पूछो" के संशोधित रूप में मुद्रण को अनुमोदित कर दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकाशन में राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों के छायाचित्र शामिल किए जाएं।

(4) आयोग की 11.11.2008 को हुई बैठक :

(i) यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सदस्य उन्हें आबंटित राज्य से संबद्ध मामलों पर चार से पांच राज्य स्तरीय सेमिनारों के संबंध में अंतिम निर्णय करें और उन सेमिनारों का आयोजन करें। संबंधित सदस्य सेमिनार आयोजित करने और उस संबंध में सही प्रकार की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रयोजनार्थ सदस्य के निजी सचिव और किसी एक अधिकारी या समन्वयक की सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्यक्रम मार्च, 2009 तक पूरा हो जाए।

(ii) जहां तक घटनाओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का मामला है, यह निर्णय लिया गया कि जिस मामले को जांच की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण समझकर उसके संबंध में आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाए, उस मामले को आयोग की अध्यक्षा की जानकारी में लाया जाए। उसके पश्चात संबंधित प्राधिकारी से रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए और तत्पश्चात उस प्रयोजनार्थ अधिकृत रूप से एक समिति अधिसूचित की जाए ताकि स्वतः संज्ञान के मामलों में उपयुक्त रिकार्ड उपलब्ध हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में रिपोर्टों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

तथापि, तात्कालिक महत्त्व के मामलों में अध्यक्षा द्वारा सदस्यों को संबंधित स्थल आदि का दौरा करने के लिए कहा जा सकता है, जो स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी कि संबंधित दौरों का उपयुक्त रिकार्ड रखा जाए और सदस्यों द्वारा दौरे के पश्चात दी गई रिपोर्टों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए और उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए।

(5) आयोग की 06.02.2009 को हुई बैठक :

नोएडा में एक छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जांच समिति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। पीड़ित छात्रा इस संबंध में अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस द्वारा इस संबंध में पहले से ही कार्रवाई की जा रही थी तथा मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

(1) अमरीकी प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

अमरीकी राजदूत और प्रोटोकोल प्रमुख सुश्री नैन्सी ब्रिंकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा और अन्य सदस्यों के साथ बातचीत की। अध्यक्ष द्वारा आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में और आयोग द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में सुश्री नैन्सी ब्रिंकर को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करती हुई, डॉ. गिरिजा व्यास

सुश्री ब्रिंकर, जो स्तन कैंसर की चिकित्सा से काफी निकट से जुड़ी हुई है, ने यह बताया कि वह किस प्रकार शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने में सफल हो सकी थी।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं से संबंधित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए अमरीकी दूतावास के वैश्विक मामलों के प्रमुख श्री समीर सेठ तथा द्वितीय सचिव, राजनीतिक अनुभाग सुश्री स्टीफनी होल्मेस ने आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों से भेंट की।

विदेशी मामलों संबंधी सदन की समिति की व्यावसायिक स्टाफ सदस्या सुश्री जसमीत आहूजा, उप–प्रमुख, परामर्शदात्री सुश्री क्रिस्टिन वैल्स तथा वरिष्ठ सलाहकार और परामर्शदात्री सुश्री सन्ना विंटर्स ने आयोग का दौरा किया तथा अध्यक्षा से बातचीत की और भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विचार–विमर्श किया।

(2) नार्वे के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

सुश्री करिअन्ने रोबोले सोरेसन, सलाहकार, नार्वे आप्रवास अपील बोर्ड के नेतृत्व में नार्वे से आए प्रतिनिधिमंडल ने 17.10.2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। सुश्री सोरेसन के साथ श्री बर्न्ट सकारा और सुश्री इलि मिलबी भी आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने उनके साथ महिलाओं की समस्याओं पर विचार–विमर्श किया और उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में व्यापक जानकारी दी।

(3) रवांडा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

रवांडा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष श्री क्युम्बा देवोग्रेटियस के नेतृत्व में आयोग के तीन–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक पारस्परिक चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य–सचिव श्री एस. चटर्जी ने उनके समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया और तत्पश्चात उन्हें आयोग के संघटन के बारे में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई।

पारस्परिक बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों द्वारा अपने–अपने देशों की सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं पर चर्चा की गई। श्री देवोग्रेटियस ने यह बताया कि रवांडा की संसद में 48 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

(4) यूरोपीय आयोग के राजदूत द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

यूरोपीय आयोग की राजदूत मैडम समाद्जे ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग के सदस्यों के साथ काफी उपयोगी चर्चा की। आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने यूरोपीय आयोग की राजदूत को राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने यह बताया कि भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारशिों पर महिलाओं के हितों के दृष्टिगत अनेक विशेष कानून अधिनियमित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करके महिलाओं के हितों से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास करता रहा है। आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस के सिपाही के स्तर से लेकर पुलिस महानिदेशक तक के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्षा ने यह भी कहा कि नारी भ्रूणहत्या, अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह, दहेज कानूनों, तेजाब से हमलों आदि जैसे मुद्दों पर आयोग द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए कानून में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए कार्यशालाओं और परामर्श सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया

व्यक्त करते हुए यूरोपीय आयोग की राजदूत ने कहा कि चूंकि उनके लक्ष्य एक जैसे हैं, अर्थात वे भी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कार्यरत हैं, अतः वह आयोग की परियोजनाओं में भागीदार होना चाहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को जल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराने में लैंगिक भेदभाव संबंधी मुद्दों की संकल्पना पर सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं को पोषित करने के लिए उनके पास सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय उपकरण और पर्याप्त वित्त उपलब्ध है।

(5) नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना तथा इसके क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए आयोग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास ने उन्हें आयोग के संघटन तथा आयोग द्वारा उठाए जाने वाले महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और मॉनीटर करना तथा मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, संशोधनों के संबंध में सुझाव देना है। उन्होंने यह बताया कि आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के दृष्टिगत दहेज अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बलात्कार कानूनों, आदि सहित महिलाओं से संबंधित अनेक कानूनों की समीक्षा की है। आयोग की स्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि आयोग, संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थिति सिविल न्यायालय के सदृश है तथा यह भारत के किसी भी भाग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुला सकता है। केंद्र सरकार के लिए महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग की राय लेना अनिवार्य है।

(6) आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

1. डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने 14–16 जुलाई, 2008 के दौरान पेरिस और लंदन में आयोजित भारत–यूरोपीय गोलमेज बैठक में भाग लिया।

नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग को संबोधित करती हुईं, डॉ. गिरिजा व्यास

2. आयोग के तीन सदस्यों ने 'यूनिफेम', शक्तिवाहिनी, एचईआर, टीएचएनईटी और नेशनल मीडिया द्वारा देह व्यापार हेतु महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के निवारण और नियंत्रण पर आयोजित किए गए सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू, नेपाल का दौरा किया।

3. आयोग के एक सदस्य ने 'मैती', नेपाल स्थित एक आश्रय गृह का दौरा किया, जहां अनाथ और उपेक्षित बालिकाओं का पुनर्वसन किया जाता है। इस आश्रय गृह में भारत के बच्चों का भी अत्यधिक नियोजित रूप में पुनर्वसन किया गया है। उनके द्वारा बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से रखा जाता है और उनकी देखभाल के लिए दो चिकित्सकों और चार नर्सों को नियुक्त किया गया है। दो वर्ष की आयु से छोटे बच्चों का पालना अलग से है और उनकी देखभाल के लिए माताएं भी रखी गई हैं। चार–पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बोर्डिंग हाउस की भी व्यवस्था की गई है। इस आश्रय गृह में प्रार्थना करने, खेल और खाने–पीने के लिए अलग–अलग स्थान नियत किए गए हैं।

दुर्व्यापार और बाल श्रम से मुक्त कराई गई बालिकाओं के लिए 'किशोरी निकेतन' नाम से एक अन्य आश्रय गृह भी है। इसे आरंभ किए जाने के बाद से, इसके द्वारा 1075 बालिकाओं का पुनर्वसन किया गया है। यहां बालिकाओं को आरामदेह और पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराकर शिक्षा, शारीरिक और मानसिक देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन कौशल प्रदान किए जाते हैं। आश्रय गृहों में रहने वाली सभी बालिकाओं को शिक्षा और मानवाधिकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रेस सम्मेलन

1. डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने 9 अप्रैल, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग में पुनः कार्यभार संभालने पर आयोग के भावी कार्यक्रमों, जिसमें "परिवार बचाओ घर बचाओ" कार्यक्रम शामिल था, के संबंध में मीडिया से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि आयोग एक नई परियोजना शुरू कर रहा है, जिसमें परामर्श के द्वारा विवाह संबंधों को बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत, चलाया जाने वाला "घर बचाओ : परिवार बचाओ" अभियान दंपतियों को उनके बीच यदि संबंध की कड़वाहट काफी अधिक न बढ़ गई हो तो उन्हें अलग–अलग रहने से और अंततः तलाक लेने से हतोत्साहित करेगा। आयोग यह चाहता है कि नए दंपतियों को अत्यंत छोटी–छोटी बातों को मुद्दा बनाकर विवाह संबंधों को तोड़ने से रोकने के लिए तथा परिवार की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं की आवश्यकता पर बल दिया जाए। इस परियोजना में महिलाओं हेतु न्याय सुरक्षित करने के लिए पुलिस, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। परियोजना में मुख्य बल महिलाओं के हितों से संबंधित मामलों में पुलिस कार्मिकों को संवेदनशील बनाने तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क तथा वैवाहिक विवादों के मामले में लागू अन्य कानूनों का समझौते और विवाद निपटान की दृष्टि से उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

2. तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए विधेयक के प्रारूप पर आयोग में 2 मई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब से हमलों के पीड़ितों के लिए (तेजाब से हमला) "अपराध निवारण अधिनियम, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। तेजाब से हमलों को एक लिंग–आधारित हिंसा का कृत्य कहा जा सकता है, जिसके कारण महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक,

मनोवैज्ञानिक क्षति या परेशानी होती है या होने की संभावना होती है। इस मामले में चिकित्सीय उपचार काफी महंगा होता है तथा प्रायः पीड़िता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है और उसे किसी से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। वर्तमान में ऐसी पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई उपबंध नहीं है। ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता की धारा 320 और 326 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है जो पीड़ित पक्ष को अत्यधिक चोट पहुंचाने के मामले में लगाई जाने वाली धारा है जबकि तेजाब से हमले की घटना वास्तव में इससे कहीं अधिक क्षतिकारक होती है क्योंकि इस स्थिति में पीड़िता के शरीर के विभिन्न भागों को स्थायी तौर पर और गंभीर क्षति पहुंचती है।

प्रस्तावित कानून के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है: (1) तेजाब से हमले को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक पृथक तथा अत्यधिक जघन्य प्रकार का अपराध घोषित करना; (2) पीड़िता को प्लास्टिक सर्जरी सहित अन्य प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना; (3) तेजाब से हमले की पीड़िताओं को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना; और (4) तेजाब की बिक्री को विनियमित करना।

3. कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए नीति के एक प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 10 मई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने 10 मई, 2008 को नई दिल्ली में "कृषि कार्य में लगी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप" पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया था। हालांकि कृषि कार्य में 40 प्रतिशत महिलाएं लगी हैं तथा लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवार वस्तुतः स्त्री–प्रधान हैं, फिर भी नीति दस्तावेज में कृषि कार्य और श्रम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि भूमि और आजीविका में लैंगिक समानता होनी चाहिए।

4. 24 मई, 2008 को मुंबई में "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986" विषय पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से निपटने के लिए एक स्व–नियामक तंत्र या नए कानून की मांग की है। मुंबई में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 विषय पर आयोजित परामर्श सत्र के दौरान प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टेलीविजन सीरियलों में महिलाओं के रूपण जो यह आवश्यक नहीं है कि अपमानजनक हो किंतु जिनमें महिलाओं को उचित परिप्रेक्ष्य में निरूपित नहीं किया जाता, को देखते हुए, मौजूदा कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। सीरियलों में प्रायः कानूनों के उल्लंघन को प्रोत्साहित किया जाता है। आयोग ने यह सिफारिश की कि पहली बार दोषसिद्ध होने पर दंड की राशि में वृद्धि की जाए और उसे बढ़ाकर 10,000/– रुपए तथा कम से कम छः महीनों का कारावास कर दिया जाए जिसे बाद में कानून का उल्लंघन किए जाने पर बढ़ाकर 5 वर्ष तक तथा धन की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। नए कानून में बच्चों की अश्लील फिल्मों के निर्माण को भी कवर किया जाए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने अहमदाबाद में बम विस्फोट से प्रभावित महिलाओं और बच्चों सहित अन्य पीड़ितों को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में 30 जुलाई, 2008 को एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय

महिला आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल, जिनमें आयोग की सदस्या मंजू हेमब्रम शामिल थीं, ने हाल में हुए सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों से मिलने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या सुश्री संध्या बजाज भी शामिल थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों को समय से पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित होने पर महिलाएं और बच्चे उससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर विशेष ध्यान देने और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अतः हमने केंद्र और राज्य सरकारों से बम विस्फोटों की पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष पैकेज देने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

6. नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2008 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिमसें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि दहेज से संबंधित मामलों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए, आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में कई संशोधन करने का प्रस्ताव किया है ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव की मुख्य बातों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम से विवाह से संबंधित वाक्यांश को अलग करना शामिल है क्योंकि इस पद को न्यायालय द्वारा अत्यधिक संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की उस धारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत दहेज लेने वाले और देने वाले, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि प्रायः दुलहन के परिवार को दहेज देने के लिए बाध्य किया जाता है, अतः आयोग ने यह प्रस्ताव किया कि दहेज लेने वाले पक्ष को अधिक गंभीर दंड दिया जाए और उसके कारावास की अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष तक कर दी जाए जबकि

प्रेस सम्मेलन में (बाएं से) सुश्री यासमीन अबरार, डॉ. गिरिजा व्यास, डॉ. मोहिनी गिरी

लिव–इन संबंधों पर 19 दिसंबर, 2008 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

दहेज देने वाले को कम अवधि तक का कारावास, जो एक वर्ष तक का हो, दिया जाएगा।

7. नई दिल्ली में 13 अक्तूबर, 2008 को राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर आयोग की राय के संबंध में आयोजित प्रेस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि इसके दुरुपयोग के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है तथा इस समय यह महूसस किया गया है कि इस अधिनियम में संशोधन करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि आयोग ने यह प्रस्ताव किया कि सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि इस धारा के अंतर्गत शिकायतें प्राप्त होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो, तो पुलिस द्वारा एक प्रारंभिक अन्वेषण किया जाए और विवाह संबंध को बचाने के लिए संबंधित पक्षों को परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। केवल उसी स्थिति में ऐसे मामलों को पंजीकृत किया जाए, जिसमें प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि मामला उत्पीड़न का है।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2008 को दंड प्रक्रियश संहिता की धारा 125 के संबंध में आयोजित प्रेस सम्मेलन में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें दीर्घकालिक संबंध को शामिल करने के लिए पत्नी की परिभाषा को व्यापक बनाना शामिल है। केवल ऐसे संबंधों में ही, जिसमें महिला और पुरुष वैवाहिक संबंधों के रूप में एक साथ रहते हैं, को शामिल करने पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह स्पष्ट किया कि अपनी सुविधा से निर्मित किए गए संबंधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, कतिपय मामलों में, जिनमें संबंध मुश्किल से छः माह तक का होता है और जिसमें स्त्री–पुरुष के बीच कोई आपसी प्रतिबद्धता नहीं होती है, न्यायालय द्वारा ऐसे संबंध को अवैध घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। तथापि आयोग ने पहली पत्नी के अधिकारों के दृढ़तापूर्वक संरक्षण की मांग की। समिति इस मामले पर अपना विचार–विमर्श जारी रखेगी तथा शीघ्र ही अपनी स्वतः पूर्ण सिफारिशें जारी करेगी।

9. राजधानी में महिलाओं के साथ अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर 8 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबंध न होने के संबंध में जनता द्वारा बार–बार कहे जाने के बावजूद, दिल्ली महिलाओं के लिए काफी जोखिम भरा शहर हो गया है तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी शिकायतें हमारे लिए अत्यधिक चिंता का विषय हैं। हमारा आयोग इस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और इस पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने महिलाओं के साथ अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरों में अलग से महिला थाना खोला है।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में 28 फरवरी, 2009 को "जागो अभियान/ विवाह नियमों" पर एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग ने "जागो" नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करने के लिए तथा ऐसे अमानवीय अपराधों को करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अभियान का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनमें विद्यार्थी, नर्स, धार्मिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं, वकील,

महिला कार्यकर्ता आदि सभी एकत्र हुए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की शपथ ली। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़–चढ़कर भाग लिया किंतु दुर्भाग्यवश, हमने यह भी देखा कि तभी उनके साथ बलात्कार संबंधी मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। अतः हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बलात्कारमुक्त क्षेत्र बने तथा इसके लिए हमने अपने नवीन कार्यक्रम "जागो" के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार तथा सिविल समाज की सहायता प्राप्त की है।

डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि विवाह के पंजीकरण से बाल विवाह, दहेज, द्वि–विवाह आदि जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होगी तथा साथ ही, इससे दूसरी पत्नी के भ्रण–पोषण से संबंधित मामला भी सुलझ सकेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498क पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इसे महिलाओं की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे कुछ नये विधेयकों, जैसेकि विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, भरण–पोषण विधेयक और (तेजाब से हमला) अपराध निवारण विधेयक के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का संवेदनशील होना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नए कानूनों को इतना व्यावहारिक होना चाहिए कि वे घरों को बचा सकें और इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बना सकें।

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचना पत्र : राष्ट्र महिला

आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र **"राष्ट्र महिला"** के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया।

इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

जागो अभियान

हाल में, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि से अत्यधिक विक्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने "जागो" नाम से एक नया अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करने के लिए तथा ऐसे अमानवीय अपराधों को करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए अभियान का समर्थन करने का आह्वान किया गया है। समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनमें विद्यार्थी, धार्मिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं, वकील, महिला कार्यकर्ता आदि सभी शामिल थे, एकत्र हुए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने की शपथ ली।

"जागो" अभियान एक वर्ष की अवधि तक चलाई जाने वाली परियोजना है, जिसकी प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा की जाएगी और जिसके अंतर्गत पुलिस को महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों से संबंधित मामलों के निपटान में तथा न्यायपालिका को ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत मीडिया से पीड़ितों की गोानीयता को बनाए रखने का तथा पीड़ित महिला और अभियुक्त के साथ निपटने में पुलिस को संवेदनशील बनाने के अतिरिक्त, महिलाओं के साथ अपराध, छेड़–छाड़, आदि को रोकने तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने

के लिए सरकार और सिविल समाज द्वारा की गई पहल का विशेष रूप से उल्लेख करने का अनुरोध किया जाएगा। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा तथा बाद में देश के विभिन्न भागों में भी इसे पहुंचाया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा किया गया, जिन्होंने उद्घाटन समारोह में सम्मिलित लोगों को यह शपथ दिलाई कि "आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम इसके बाद महिलाओं के साथ किसी भी रूप में हुए अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। हम अपने सभी साधनों का प्रयोग करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि समाज ऐसी बुराई से मुक्त हो। हम इस बात के लिए सतर्क रहेंगे कि ऐसे अत्याचारों को करने वाले व्यक्ति उसे न कर सके और यदि कोई अत्याचार हो जाए तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे कि दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाए और अनुकरणीय न्याय स्थापित हो। हम सर्वदा सतर्क रहेंगे" और कहा कि महिलाओं की समस्याओं का सामूहिक रूप से निपटान किया जाए क्योंकि इसके कारण संपूर्ण समाज प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज या राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस समाज या राष्ट्र में महिलाओं को समुचित आदर प्रदान न किया जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि " पिछले वर्ष महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक बढ़–चढ़कर भाग लिया किंतु दुर्भाग्यवश, हमने यह भी देखा कि तभी उनके साथ बलात्कार संबंधी मामलों में 30 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई। अतः हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बलात्कारमुक्त क्षेत्र बने तथा इसके लिए हमने अपने नवीन कार्यक्रम "जागो" के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार तथा सिविल समाज की सहायता प्राप्त की है।

जेल का दौरा : आयोग के सदस्यों ने असम के लखीमपुर में स्थित केंद्रीय जेल का दौरा किया तथा जेल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि वहां जेल में कैदियों की संख्या क्षमता से काफी अधिक है। तथापि जेल अधीक्षक ने यह सूचित किया कि इस जेल को शीघ्र ही दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

अस्पताल का दौरा : आयोग की अध्यक्षा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद में सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों से मिलने के लिए अहमदाबाद स्थित तीन अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार से बम विस्फोट के शिकार पीड़ित व्यक्तियों को समय से पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुजरात सरकार द्वारा यह आशवासन दिया गया है कि सीरियल बम विस्फोटों के पीड़ितों को एक माह के भीतर मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।

आयोग की सदस्या ने लखीमपुर स्थिति सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा बम विस्फोट के पीड़ितों के बारे में जानकारी हासिल की। इसी संदर्भ में, वे बम विस्फोट के पीड़ितों के जोनाई अवस्थित घर भी गईं। वे विभागीय प्रमुखों, गैर–सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, पंचायत और नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ एक बैठक में भी शामिल हुईं।

अल्पवास गृहों / नारी निकेतन का दौरा : आयोग की सदस्या ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित अल्पवास गृहों का दौरा किया और वहां उन्होंने मुक्त कराई गई बाल विवाह तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं से भी बातचीत की।

आयोग की सदस्या ने बीकानेर स्थित नारी निकेतन का दौरा किया और वहां रह रही संवासिनियों की समस्याओं पर चर्चा की तथा साथ ही नारी निकेतन के प्रभारी से भी बातचीत की। उसके पश्चात उन्होंने इस मामले में नारी निकेतन के प्रभारी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों से निपटता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई वचन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधि

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग में प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य, आदि जैसे ब्योरों को नोट किया जाता है। पंजीकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया और सी एंड आई प्रकोष्ठ के विभिन्न पराशर्मदाताओं के मध्य वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्य के साथ संबद्ध होता है।

परामर्शदाता मामलों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बी टी आर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात परामर्शदाता आदेशों/ निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता को कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो मामले को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उस मामले को बंद कर दिया जाता है। तथापि यदि शिकायतकर्ता कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है।

आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्य द्वारा किसी घटना/ घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ संबंधित सदस्य के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है। अंतिम निर्णय संबंधित सदस्य द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाएं अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि समिति का गठन केवल अध्यक्ष द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा

जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। सी एंड आई प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

(1) पुलिस द्वारा जांच में तेजी लाई जाती है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

(2) परिवार के विवादों को राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है अथवा संबंधित पक्षों में सुलह करवाई जाती है।

(3) गंभीर तथा जघन्य अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़ित को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। इन रिपोर्टों के क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निगरानी रखी जाती है। इन समितियों में विशेषज्ञों/ वकीलों को शामिल करने का भी प्रावधान है।

(4) कुछ शिकायतों को संबंधित राज्य महिला आयोग और अन्य मंचों जैसेकि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि को भी उनके द्वारा मामले के निपटान हेतु अग्रेषित किया जाता है।

(5) ***विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में,*** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायालय के 1997 के निर्णय ***(ए आई आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)*** के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता द्वारा पीड़ित महिला को एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया तथा मुआवजे के भुगतान सहित उपचार मुहैया कराना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों में संबंधित संगठन से विशाखा मामले के अनुसार एक समिति गठित करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में पीड़ित महिला कर्मचारी की शिकायत की जांच करने तथा आयोग को उक्त की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। इन मामलों पर नियमित निगरानी रखी जाती है तथा संबंधित संगठनों को मामले के शीघ्र निपटान हेतु निर्देश दिए जाते हैं।

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2005 में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें जल्द और आसानी से पंजीकृत कराई जा सकती हैं। परिणामस्वरूप, शिकायतों का त्वरित पंजीकरण हो रहा है और शिकायतकर्ता को कहीं कम लागत पर और बिना किसी कठिनाई के अपनी शिकायत दर्ज होने की सूचना मिल जाती है। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस साइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल साइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है:

वर्तमान में आयोग को प्राप्त शिकायतों का निम्नलिखित शीर्षों के तहत पंजीकृत किया जाता है :–

(1) तेजाब से हमला

(2) हत्या का प्रयास

(3) बलात्कार का प्रयास

(4) द्वि–विवाह/ व्यभिचार

(5) बालकों की अभिरक्षा

(6) साइबर अपराध

(7) परित्याग

(8) तलाक

(9) घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद

(10) दहेज मृत्यु

(11) दहेज उत्पीड़न

(12) नारी शिशु हत्या/ भ्रूणहत्या

(13) कार्यस्थल पर उत्पीड़न

(14) दहेज हेतु उत्पीड़न/ निर्दयतापूर्ण व्यवहार

(15) अपहरण/ भगा ले जाना

(16) भरण–पोषण

(17) विविध

(18) महिला को छेड़ना/ तंग करना

(19) हत्या

(20) अनधिदेशित

(21) अप्रवासी भारतीयों से विवाह

(22) पुलिस की उदासीनता

(23) पुलिस द्वारा उत्पीड़न

(24) संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन)

(25) बलात्कार

(26) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

(27) आश्रय/ पुनर्वास

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग को **12895** शिकायतें/ मामले प्राप्त हुए और उनका पंजीकरण किया गया। वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों/ मामलों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण अनुलग्नक **क–2** और **क–3** में दिया गया है, जहां शिकायतों को 27 श्रेणियों/ शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आयोग को प्राप्त शिकायतों/ मामलों के श्रेणी–वार अवरोही क्रम में वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक **2020** शिकायतें दहेज उत्पीड़न से संबंधित थीं, जिनके बाद घरेलू हत्या/ वैवाहिक विवाद से संबंधित **1137** शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थीं। दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या **602**, महिलाओं को छेड़ने/तंग करने के मामलों की संख्या **297,** अपहरण/ भगा ले जाने के मामलों की संख्या **308**, पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या **487** थी जबकि पुलिस की उदासीनता से संबंधित शिकायतों की संख्या **682** थी। बलात्कार के प्रयास से संबंधित शिकायतों की संख्या **218** तथा बलात्कार से संबंधित मामलों की संख्या **577** थी। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या **164** थी जबकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या **349** थी। द्विविवाह/ व्यभिचार के मामलों की संख्या **156** तथा संपत्ति (विधवा संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि) से संबंधित शिकायतों की संख्या **621** थी। अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में शिकायतों की संख्या **41,** तलाक के मामलों की संख्या **10** तथा परित्याग से संबंधित मामलों की संख्या **45** थी। तेजाब से हमलों के **8** मामले और नारी शिशु हत्या/ भ्रूण हत्या के **06** मामले पंजीकृत किए गए। विविध प्रकार के **498** मामले दर्ज किए गए जबकि आयोग द्वारा अनधिदेशित श्रेणी में **508** मामले पंजीकृत किए गए।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है:

क्रम सं.	श्रेणी*	शिकायतों की संख्या
1.	दहेज उत्पीड़न	2020
2.	घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद	1137
3.	पुलिस की उदासीनता	682
4.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि)	621
5.	दहेज मृत्यु	602
6.	बलात्कार	577
7.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	487
8.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	349
9.	अपहरण/भगा ले जाना	308
10.	महिलाओं को छेड़ना/तंग करना	297

**टिप्पणी: उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/ मामलों को अनुलग्नक–4 में दर्शाया गया है। आयोग को उत्तर प्रदेश से **6813** शिकायतें/मामले, दिल्ली से **1910** शिकायतें, राजस्थान से **919** शिकायतें, हरियाणा से **700** शिकायतें और मध्य प्रदेश से **431** शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 2008–09 के दौरान सबसे अधिक शिकायतें/ मामले जिन राज्यों से संबंधित हैं, उनके संबंध में ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	6813
2.	दिल्ली	1910
3.	राजस्थान	919
4.	हरियाणा	700
5	मध्य प्रदेश	431
6.	बिहार	338
7.	महाराष्ट्र	230
8.	पंजाब	212
9.	उत्तराखंड	212
10.	तमिलनाडु	186

इससे पता चलता है कि समाज मानता है कि आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा जनसाधारण को हितकर सेवा प्रदान करने वाला एक आवश्यक संगठन है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/ प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयोग द्वारा निपटाए गए चुनिंदा सफल मामले

1. राष्ट्रीय महिला आयोग को मथुरा, उत्तर प्रदेश के निवासी श्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के पति और ससुराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री से दहेज की मांग कर रहे थे, उसका उत्पीड़न कर रहे थे और उसे यातना दे रहे थे। जब उनकी पुत्री अपने सुसरालियों द्वारा मांगी गई एक लाख रुपए की राशि उन तक नहीं पहुंचा पाई तो उसे उसके ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में समझौता कराने के अनेक प्रयास किए

किंतु उसे सफलता हासिल नहीं हुई। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता ने सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली। आयोग ने मथुरा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस मामले को उठाया और उनसे इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर एक जांच आयोजित की गई तथा दोनों पक्षों को बुलाया गया, जिसमें उन दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। शिकायतकर्ता अपनी ससुराल के घर में वापस पहुंच गई तथा उसके पति ने यह आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को माल रोड, दिल्ली की निवासी सुश्री एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उसके पति का विवाहेतर संबंध है और उसके पति बार–बार घर से बाहर रहते हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को आयोग में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुलाया, जिसमें दोनों पक्षों को समझाने–बुझाने के बाद एक उचित समाधान निकला। शिकायतकर्ता का पति परिवार के भरण–पोषण के लिए अपने वेतन का एक हिस्सा देने के लिए सहमत हो गया तथा इस बात पर भी सहमत हुआ कि वह अपने परिवार के साथ रहेगा।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग को तिलक नगर, नई दिल्ली की निवासी सुश्री जेड से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज की मांग कर रहे थे और उसका उत्पीड़न कर रहे थे। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को आयोग में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुलाया गया ताकि मामले को आरंभिक चरण में ही सुलझा लिया जाए। आयोग द्वारा निरंतर समझाने–बुझाने और प्रयास किए जाने के पश्चात दोनों पक्ष एक उचित समझौते पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता और उसके पति ससुराल पक्ष के लोगों से अलग घर में रहेंगे और ससुराल पक्ष के लोग उनके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता के पति ने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग को एक अवयस्क लड़की सुश्री 'ए', जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसे उसके नियोक्ता जिसके घर में वह एक घरेलू कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी। चूंकि यह एक गंभीर मामला था, अतः आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री मंजू एस. हैमब्रम की अध्यक्षता में एक टीम जिनके साथ चाइल्ड लाइन (गुड़गांव में कार्यरत एक गैर–सरकारी संगठन) के सदस्य भी शामिल थे, को उस लड़की को उसके नियोक्ता से मुक्त कराने के लिए तत्काल भेजा। यह टीम उस घर में गई तथा उस लड़की को उसके नियोक्तां से मुक्त करा लिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री से मामले को व्यक्तिगत रूप में देखने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस मामले में उचित जांच की जाए। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक को मामले की छानबीन करने और उस लड़की के नियोक्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल के परिणामस्वरूप मुक्त कराई गई लड़की सुश्री 'ए' को दिल्ली के एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास केंद्र में रखा गया।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को बूंदी, जिला राजस्थान की निवासी श्रीमती 'एस' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग उत्पीड़न/ यातना दे रहे हैं। उसने आयोग से यह शिकायत की कि उसकी ससुराल के लोगों से यह कहा जाए कि वे उसका "स्त्रीधन – दहेज की राशि, आभूषण, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं आदि" लौटा दें। आयोग ने शिकायतकर्ता के ससुराल पक्ष से "स्त्रीधन" की वापसी के संबंध में मामले की जांच की तथा पुलिस अधीक्षक, बूंदी, राजस्थान से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पुलिस ने कार्रवाई की तथा शिकायतकर्ता को उसकी बहुमूल्य चीजें वापस मिल गईं।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग को नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'एक्स' से अक्तूबर, 2008 में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह आरोप लगाया कि उनका वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के निवासी श्री 'वाई' से विवाह हुआ था और वह एक सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थीं, जिस दौरान वह चार बच्चों की मां भी बनी। तथापि बाद में उसके पति अत्यधिक शराब पीने लगे, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, श्री 'वाई' पर यह आरोप भी लगाया गया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते भी थे। उसने अपने मित्रों की सलाह पर अपने गांव में अपना एक भूखंड भी बेच दिया। वर्तमान में शिकायतकर्ता दिल्ली में अपने मां–बाप के साथ रह रही थी। उसने यह कहा कि उसके पति अनेक वर्षों से उसे भरण–पोषण हेतु कोई राशि नहीं दे रहे हैं और उसने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रख लिया है। इस स्थिति से विक्षुब्ध होकर उसने आयोग को शिकायत की है। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाया गया और दोनों पक्षों को आयोग के कार्यालय में एक निर्धारित तारीख को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया और दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और उन्हें परामर्श दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, पति ने लिखित में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं पीटेगा, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा तथा अपनी पत्नी की अनुमति के बिना अपने गांव में शेष भूमि को नहीं बेचेगा तथा शराब भी नहीं पीएगा।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग को नवंबर 2008 में नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'जी' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनसे उनके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग की जा रही है तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और यातनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस जिला अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की और इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और विवाद का उचित रूप में समाधान हो गया।

8. राष्ट्रीय महिला आयोग को नवंबर, 2008 में नई दिल्ली की निवासी श्रीमती 'डी' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है तथा यातनाएं दी जा रही हैं तथा साथ ही, उसे उसके वित्तीय अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आयोग द्वारा इस मामले को हाथ में लिया गया तथा फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की गई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के बीच तालमेल के साथ आपस में रहने के लिए समझौता हुआ।

9. राष्ट्रीय महिला आयोग को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की निवासी 35 वर्षीया सुश्री 'एक्स' जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी, से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके माता–पिता मानसिक यातना दे रहे हैं और उसके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। आयोग द्वारा मामले को हाथ में लेने तथा दोनों पक्षों को समझाने–बुझाने पर तथा उनकी व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई करने के पश्चात माता–पिता अपनी पीड़िता पुत्री पर उचित ध्यान देने के लिए सहमत हुए, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता ने मामले को बंद करने का अनुरोध किया।

10. राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली निवासी श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर यह आरोप लगाया कि वे उससे दहेज की मांग कर रहे हैं और उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया, जिस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच बहुत मामूली मतभेद था, जो पति द्वारा अवहेलना किए जाने के कारण काफी बढ़ गया था, जिसके कारण वह अपनी ससुराल के घर को छोड़ने के लिए बाध्य हो गई थी। व्यक्तिगत सुनवाई तथा दोनों पक्षों के बीच तालमेल हेतु प्रभावी ढंग से प्रयास किए जाने के फलस्वरूप उनके बीच समझौता हो गया।

11. राष्ट्रीय महिला आयोग को श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसका उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं और उसे शारीरिक और मानसिक यातना/ घरेलू हिंसा का शिकार बना रहे हैं। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला करनाल (हरियाणा) के पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की तथा उनसे शिकायत की जांच करने और मामले के संबंध में तथ्यात्मक ब्योरों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय महिला आयोग को करनाल के पुलिस उपाधीक्षक से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323/506/34 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा के अंतर्गत भी कार्रवाई शुरू की है, जिससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है।

12. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की निवासी श्रीमती 'वाई' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी पुत्री सुश्री 'ए' का शिकायत में नामित कथित आरोपित व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है/ उसे भगा कर ले जाया गया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि वह कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस थाने में गई थी, किंतु न तो उसकी प्राथमिकी ही दर्ज की गई है और न ही संबंधित पुलिस अधिकारियों से उसे कोई सहायता ही उपलब्ध हुई है। उसने इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की ताकि उसकी पुत्री अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाई जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में तत्काल कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अभियुक्तों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेज

दिया गया है जबकि अपहरण की गई लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामले की और अधिक जांच किए जाने पर उपर्युक्त प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है।

13. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला फरीदाबाद, हरियाणा की निवासी सुश्री 'ए' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि कथित व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसने यह भी कहा कि उसने संबंधित पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट की थी तथा फरीदाबाद में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। तथापि उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अभी तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसने इस संबंध में आवश्यक सहायता तथा हस्तक्षेप हेतु हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, फरीदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया किंतु उसे इस संबंध में कोई सकारात्मक सहायता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात, विक्षुब्ध होकर उसने राष्ट्रीय महिला आयोग में संपर्क किया तथा अपनी शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले को फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाया और उनसे इस मामले में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, राष्ट्रीय महिला आयोग को फरीदाबाद के पुलिस उप अधीक्षक से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि मामले की जांच की गई तथा जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों में से एक व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य पाए गए, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य अभियुक्तों की कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं है।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग को गुड़गांव जिला, हरियाणा की निवासी श्रीमती 'एक्स' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पति और देवर, जेठ द्वारा उत्पीड़न/यातना / क्रूरतापूर्ण व्यवहार/ घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया और दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया। आयोग की मध्यस्थता के फलस्वरूप शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच मतभेद समाप्त हो गया। दोनों पक्षों को यह भी सलाह दी गई कि वे अपने निजी जीवन में ससुराल के लोगों के हस्तक्षेप को कम से कम करें। शिकायतकर्ता अपने पति के साथ अपनी ससुराल के घर में रहने लगी। इस संबंध में दो बार अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों पक्ष आपस में तालमेल के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

15. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की निवासी श्रीमती 'के' से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसे उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। उसने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि किसी बैठक के दौरान एक शिक्षक श्री 'आर' ने कुछ अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में उससे अशोभनीय शब्द कहे, जिसका शिकायत में उल्लेख किया गया है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। तत्पश्चात आयोग को उपर्युक्त प्राधिकारी से एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर उचित समाधान हो गया है तथा वे भविष्य में आपस में अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए सहमत हो गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अंतर्गत की गई जांच

राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने और महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित कानूनों को क्रियान्वित न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है। इस संबंध में कुछ चुनिंदा मामलों का वर्णन नीचे किया गया है:

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहरी दिल्ली क्षेत्र में स्थित स्वरूप नगर इलाके में यातायात पुलिस के एक सिपाही द्वारा एक चलती कार में 12 वर्षीय एक अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले को आयोग द्वारा अपने हाथ में लिया गया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली पुलिस से इस संबंध में एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं:

- अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- पुलिस ने कार्रवाई की तथा दो अभियुक्तों अर्थात सिपाही और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया;
- अभियुक्त यातायात पुलिस कर्मी को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है; अपराध को करने के लिए प्रयुक्त वाहन को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है;
- मामले की अभी जांच की जा रही है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें दैनिक ट्रिब्यून में "घरेलू नौकरानी की फंदे में झूलती लाश मिली" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। चूंकि यह एक गंभीर मामला था, अतः आयोग ने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, फरीदाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पलवल और पुलिस अधीक्षक, पलवल से कृत कार्रवाई रिपोर्टें भेजने के लिए कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गईं:

- अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366 और 32 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- मृतका का शव अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को सौंप दिया गया है;
- अभी जांच की जा रही है तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामले में पूरी तरह से जांच करने का आदेश दे दिया गया है।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि चंडीगढ़ में सितंबर, 2008 में जर्मनी की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई है। आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तथा पंजाब पुलिस से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप पर पंजाब पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

- मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मॉडल जेल, बुराली, चंडीगढ़ में बंद कर दिया गया है;
- इस मामले में प्राप्त साक्ष्यों (एग्जिबिट) को निदेशक, सी एफ एस एल को जांच के लिए भेज दिया गया है;

- जांच पूरी हो चुकी है तथा न्यायालय में 21.11.2008 को चालान प्रस्तुत कर दिए गए। माननीय न्यायालय के समक्ष कार्रवाई चल रही है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें उसे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जनवरी 2009 में नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में एक कार में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा एक जांच समिति गठित की गई, जो तत्काल संबंधित पुलिस थाने और घटनास्थल पर गई । पुलिस द्वारा आयोग को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कार्रवाई के संबंध में सूचना दी गईः

- पीड़िता के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में पुलिस को सूचना मिलने के पश्चात पुलिस थाना सेक्टर 39, नोएडा में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376, 394 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;

- पुलिस द्वारा जिला अस्पताल, नोएडा में पीड़िता की चिकित्सीय जांच करवाई गई है;

- पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान इन अभियुक्तों ने इस जघन्य अपराध को करना स्वीकार किया है। ये सभी अभियुक्त गांव गढ़ चौखंडी के रहने वाले हैं, जहां कथित घटना घटी। वहां से पुलिस द्वारा दो मोटरसाइकिलें, क्रिकेट का बल्ला, हैलमेट, तीन मोबाइल हैंडसेट आदि जब्त किए गए हैं;

- जांच के दौरान 06 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का नाम भी सामने आया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने छापे मारने/गिरफ्तारियां करने के लिए टीम गठित कर दी है।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोवा में यूनाइटिड किंगडम की एक लड़की सुश्री स्कारलेट इडेन कीलिंग की रहस्यमय मृत्यु की घटना पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा एक जांच समिति गठित की गई, जिसने तत्काल गोवा जाकर मामले के संबंध में जांच–पड़ताल की। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप और सुश्री फियोना मेकोन (मृतका की मां) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर इस मामले में निम्नलिखित कारवाई की गईः

- मृतका के शव की दूसरी बार शव–परीक्षा किए जाने के पश्चात अंजुना पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है;

- मामले की जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 34 के साथ पठित धारा 328 तथा गोवा बाल अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(2) के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया;

- अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं;

6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें दैनिक जागरण, नई दिल्ली संस्करण में "डायन के आरोप में दंपति की हत्या" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा जिला मजिस्ट्रेट, गुमला, झारखंड से इस संबंध में कृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई/करने की सूचना प्रदान की गईः

- अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 तथा झारखंड जादू–टोना विरोधी अधिनियम, 2001 की धारा 3/4 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;

- पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा एक अभियुक्त, जो गिरफ्तारी के भय से फरार है, की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं;

7. राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली संस्करण में "एनोदर स्लर ऑफ हरियाणा पुलिस : एसएचओ बुक्ड फॉर रेप" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। आयोग ने मामले को अपने हाथ में लिया तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा और जिला मजिस्ट्रेट, करनाल, हरियाणा से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई/करने की सूचना प्रदान की गई:

- पुलिस थाना – निसिंग, जिला करनाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है;
- पीड़िता की चिकित्सीय जांच की गई है तथा उसकी योनिस्राव (प्रतिदर्श) को जांच के लिए एस एफ एल, मधुबन भेजा गया;
- अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेज दिया गया है;
- इसके अतिरिक्त, आरोपित निरीक्षक को विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है;
- मामले की अभी जांच की जा रही है।

4 विधिक प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2008–09 के दौरान अनेक कानूनों की समीक्षा की। आयोग द्वारा महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले नए कानूनों/ नीतियों के अधिनियमन और साथ ही मौजूदा कानूनों में संशोधन के संबंध में की गई सिफारिशों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

(क) संबंधित वर्ष के दौरान कानूनों की समीक्षा

(i) महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा

घरेलू हिंसा एक ऐसा मुद्दा है, जिससे सभी जातियों, धर्मों, वर्गों और लिंगों के व्यक्तियों को जूझना पड़ रहा है। महिलाओं को शारीरिक हिंसा को सहना पड़ता है, जो उन्हें उनके घर के भीतर ही दी जाती है। किया गया हिंसात्मक व्यवहार काफी गंभीर, कष्टकारक, अपमानजनक और बार–बार किया जाता है और प्रायः पीड़िता भय, लज्जा और अशक्तता से इतना ग्रस्त होती है कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहती। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा "घरेलू हिंसा – महिलाएं और बालिकाएं" विषय पर किए गए एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक देश में 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। भारत में किए गए अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत से भी अधिक विवाहित महिलाओं पर लात–घूसों का प्रहार किया जाता है, उन्हें थप्पड़ मारा जाता है या उनके साथ यौन अतिचार किया जाता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार केवल इसलिए होता है कि उनके पति उनके द्वारा भोजन पकाने, साफ–सफाई करने से असंतुष्ट रहते हैं या फिर उनके पति के मन में उनके प्रति किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है।

लॉयर्स कलेक्टिव की निर्देशक सुश्री इंदिरा जयसिंह के अनुसार, घरेलू हिंसा के संबंध में सिविल कानून लाने की आवश्यकता महिलाओं द्वारा अत्यधिक निकट संबंधों से हिंसात्मक व्यवहार का सामना किए जाने की स्थिति में उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त अनुभवों से ज्ञात हुई है। देशभर के अनेक महिला संगठनों द्वारा लगभग एक दशक तक विचार–विमर्श करने और सर्वसम्मति विकसित करने के पश्चात ही अंततः घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 को 26 अक्तूबर, 2006 को प्रवृत्त किया जा सका। इस कानून का अधिनियमन महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम समझा जाता है।

2005 से पहले घरेलू हिंसा के संबंध में उपलब्ध कानूनी प्रावधान में निम्नलिखित कमियां थीं:

- "घरेलू हिंसा" पद के अंतर्गत दी गई परिभाषा में महिलाओं द्वारा अपने निकटस्थ संबंधियों से हिंसात्मक व्यवहार के संबंध में अनुभूत व्यापक अनुभव का उल्लेख नहीं था।
- महिलाओं के निवास संबंधी अधिकार या उनके द्वारा सिविल उपचारों को प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं था।
- महिलाओं द्वारा हिंसा से कानूनी राहत केवल वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है।
- सिविल कानूनों के अंतर्गत राहत में संरक्षित कानूनी कार्यवाहियां शामिल थीं, जिसके अंतर्गत कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने की कोई गारंटी उपलब्ध नहीं थी।

- आपराधिक कानूनों में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी।
- इस प्रकार महिलाओं की न्यायालय तक पहुंच के लिए कोई भी तंत्र उपलब्ध नहीं था।

तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया कि घरेलू हिंसा पर एक कानून में निम्नलिखित शामिल किया जाए:

- कानून के बुनियादी अभिप्राय अर्थात घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो।
- घरेलू हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार तथा घरेलू हिंसा को महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन मानने के संबंध में एक स्पष्ट और असंदिग्ध कथन।
- घरेलू हिंसा की एक ऐसी परिभाषा, जिसमें महिलाओं के साथ अशोभनीय बर्ताव किए जाने का यथार्थ रूप में उल्लेख किया जाए।
- "साझे घर" की परिभाषा ताकि अधिकारों की घर के भीतर संरक्षा की जा सके।
- महिलाओं की हिंसा से संरक्षा के लिए दी जा सकने वाली राहत।
- हिंसा की पीड़िताओं के लिए उपलब्ध अवसंरचनाात्मक सुविधाएं जिनसे पीड़िताओं को उपचार उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग को दिए गए अधिदेश के एक हिस्से के रूप में यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसा सूचना विनिमय तंत्र विकसित किया जाए जहां से महिलाओं के साथ हुए हिंसात्मक व्यवहारों के संबंध में दर्ज कराई शिकायतों, कानून के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण, अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं जैसे मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो तथा उनका मूल्यांकन किया जा सके।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने **लॉयर्स कलेक्टिव** के सहयोग से महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन विषय पर पहली कार्यशाला **11 और 12 मई, 2007 को मुंबई में**, दूसरी कार्यशाला **21 और 22 जून, 2007 को बेंगलुरु में, तीसरी कार्यशाला 21 और 22 नवंबर, 2007 को चंडीगढ़ में, चौथी कार्यशाला 11 और 12 दिसंबर, 2007 को जयपुर में तथा इसके बाद की पिछली अंतिम कार्यशाला 9 फरवरी, 2008 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।**

इन कार्यशालाओं में राज्य सरकारों के विभागों, पुलिस, न्यायिक अधिकारियों और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

सिफारिशें:

अब चूंकि हमारे पास एक कानून है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसे क्रियान्वित और प्रवृत्त किया जाए ताकि महिलाएं, जिनके लिए यह कानून बनाया गया है, इससे अवगत हों, इस तक उनकी आसान पहुंच हो और वे इस कानून का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। अतः निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

संरक्षण अधिकारी

(i) पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर संविदा आधार पर नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(ii) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक सहायक व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें विशेष संरक्षण अधिकारी और उनकी सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध हो सके।

(iii) संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाए बशर्ते कि उनके पास कार्यालय, परिवहन व्यवस्था, कर्मचारी आदि जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

(iv) संरक्षण अधिकारियों की संख्या इतनी पर्याप्त हो कि वे तालुका/ ब्लॉक स्तर पर पहुंच सकें तथा प्रत्येक पंचायत में एक महिला न्याय समिति गठित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(v) आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा अपनाई गई घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) सूचकांक मॉडल को इस निर्देश के साथ सभी राज्यों को परिचालित किया जाए कि इस मॉडल को उन राज्यों द्वारा अपनाया जाए। संरक्षण अधिकारी को घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) के रखरखाव हेतु प्रभारी नियुक्त किया जाए तथा संरक्षण अधिकारी द्वारा समन आदि जारी करने से संबंधित रिकार्ड को दर्ज किए जाने वाले सेवा रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

(vi) पुलिस/महिला एवं बाल विकास विभाग/ संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक के बीच भूमिका सुनिश्चित और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में व्यापक प्रचार किया जाए।

सेवा प्रदाता

(i) अधिनियम के नियम 11 के अनुसार सेवा प्रदाता के संबंध में अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं की उपयुक्तता के संबंध में विधिवत सत्यापन किए जाने के पश्चात उनका पंजीकरण अवश्य किया जाए तथा उनके फोन नंबरों और पतों को निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाए और उपलब्ध कराया जाए।

(ii) धारा 10 के तहत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता को डी आई आर रिकार्ड करने और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है।

(iii) यह उपबंध ऐसे गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण भी कराया है या जिनका संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, के लिए अवरोधक है और उन्हें प्रथम दृष्टया आधार पर महिलाओं की सहायता करने से रोकता है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(iv) सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मानचित्र संबंधी सूचनाएं तथा सरकार द्वारा सहायताप्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(v) परामर्शदाताओं के लिए मानदेय का प्रावधान

(vi) ऐसे सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए जो अपना पंजीकरण करा पाने में विफल रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति को सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं।

आश्रय गृह एवं चिकित्सीय सुविधाएं

(i) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता।

प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं प्रसार :

(i) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में शामिल स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए अलग से प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) हिंसा के शिकार व्यक्तियों की सहायता के लिए अन्य प्रमुख घटकों, जैसेकि ग्राम पंचायतों और समाज

न्याय समितियों, स्वयं सेवा समूहों और परिसंघों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों आदि के लिए अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए मीडिया अभियानों को चलाकर कानून के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

(iv) अधिनियम का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना ताकि इसका आसानी से प्रचार–प्रसार किया जा सके तथा लोग इसे समझ सकें।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारें

(i) बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित करना : घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए संरक्षण अधिकारियों, पुलिस, विधि सेवा प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, परामर्शदाताओं आदि के बीच एक बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इस अनुक्रिया के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल तथा सिविल समाज के संगठनों के बीच भागीदारी की आवश्यकता है।

(ii) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बजट का पर्याप्त आबंटन।

(iii) परिवार न्यायालयों/फास्ट ट्रैक न्यायालयों को प्रबल/सशक्त बनाना – ऐसे न्यायालयों द्वारा सभी मामलों पर निर्णय किया जाना है।

(iv) आश्रय गृहों की संख्या में वृद्धि करना – इसके लिए आउटसोर्स किया जा सकता है तथा कारपोरेट क्षेत्रों से अंशदान प्राप्त करके निजी क्षेत्रों की भागीदारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए कर में रियायतें प्रदान की जा सकती हैं।

(v) पारिवारिक विवादों के समाधान और उनमें मध्यस्थता के लिए महिला आयोगों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।

एकल खिड़की निष्पादन/ भूमिका की स्पष्टता

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आईपीसी की धारा 498क, घरेलू हिंसा अधिनियम इन अर्थों में अति व्याप्त होते हैं कि वे सभी वैवाहिक संबंधों में असमन्वय और हिंसा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
- राज्य सरकारों ने इन अधिनियमों के क्रियान्वयन में अलग–अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं – कुछ राज्यों में पुलिस/समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों आदि को दहेज प्रतिषेध अधिकारियों/संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है जबकि कुछ राज्यों में इस संबंध में पुलिस को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- इस प्रणाली के कारण कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होती है।
- सीआरएल सीपीडब्ल्यूपी संख्या 539/86 – डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.12.1996 के निर्णय में दिया गया आदेश :

  बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग शिकायत की उपयुक्तता और यथार्थता के संबंध में कुछ जांच किए जाने के पश्चात केवल इस बात का उपयुक्त रूप में समाधान हो जाने के पश्चात तथा यह विश्वास हो जाने के पश्चात कि गिरफ्तारी करना दोनों व्यक्तियों के लिए अनिवार्य और आवश्यक है, किया जाए।

- अनेक राज्यों में पुलिस अब परामर्श और समझौता कराने का सहारा ले रही है तथा आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है।

इस दिशा में आंध्र प्रदेश के मॉडल को अपनाकर घरेलू हिंसा अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 498क का उपयुक्त रूप में समावेश करके पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

- आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर भी परामर्श और समझौता कराने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों को आरोपित करके उन्हें गिरफ्तार करने की, क्योंकि इस संबंध में उपबंध संज्ञेय और गैर–जमानती है।
- ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश मॉडल से उपयोगी लाभ प्राप्त हो सकता है।
- यह पुलिस और संरक्षण अधिकारी के बीच भूमिका की स्पष्टता भी सुनिश्चित करता है तथा एजेंसियों के बीच उचित समन्वय भी सुनिश्चित करता है।
- आयोग की यह प्रबल राय है कि परामर्श का कार्य पुलिस द्वारा न किया जाए बल्कि इसके लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी की सेवाएं ली जाएं तथा उसके पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

(i) घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) को कौन लिख सकता है और मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है। धारा 9ख के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करे, धारा 10(2)(ख) के अंतर्गत सेवा प्रदाता घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकते हैं। नियम 5 के अंतर्गत, केवल संरक्षण अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही डी आई आर लिखने के लिए प्राधिकृत हैं।

ये उपबंध अत्यधिक अवरोधक प्रकृति के हैं और ये महिला आयोगों तथा महिलाओं से संबंधित विवादों के समाधान में सक्रिय रूप से जुटे अन्य संघों की भूमिका को कम करते है। यह सत्य है कि ये संगठन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन दायर कर सकते हैं किंतु धारा 12 का परंतुक इन संगठनों द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी भूमिका को कम करता है। क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त डी आई आर पर निर्भर करती है, यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट भी संरक्षण अधिकरी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर या दायर की जाने वाली डी आई पर निर्भर करेगी। **अतः इस अवरोधक उपबंध को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाले या मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करने वाले किसी भी सांविधिक निकाय या पुलिस या किसी भी अन्य गैर–सरकारी संगठनों को ऐसी रिपोर्ट दायर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, जिसे महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डी आई आर समझा जाएगा।**

(ii) **"साझा घर"** की परिभाषा : एस आर बतरा बनाम तरुणा बतरा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है:

न्यायालय ने अपने निर्णय में ससुराल पक्ष के संबंधियों द्वारा स्व–अर्जित संपत्तियों को "साझा घर" की परिधि से बाहर रखा है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने कानून के उस स्पष्ट मत का जिसका धारा 2 (ध) में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार "साझा घर" का आशय ऐसे घर से है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी चरण पर एक घरेलू संबंध के रूप में रहा था ..... इस तथ्य पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझे घर पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित हो अथवा नहीं।

इस संबंध में महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि साझे घर का स्वामित्व साझे घर में रहने के अधिकार से संबंधित नहीं है {(धारा 17 (1)}। न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि प्रश्नाधीन परिसर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है और इसलिए इसे "साझा घर" नहीं कहा जा सकता। यह भी धारा 17(1) के स्पष्ट उपबंध के विरुद्ध है।

ऐसी व्याख्या से महिलाओं द्वारा अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में दायर किए गए आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है, जिनमें पति अपनी पत्नी को अपने माता–पिता के घर में लेकर आता है, वहां कुछ महीनों तक रहता है और तब विदेश चला जाता है। पत्नी उस मकान में, जो संभवतः उसके सास–ससुर द्वारा स्वतः अर्जित संपत्ति है, रहना जारी रखती है। बतरा के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या से न्यायालयों के लिए स्वतः रूप में यह कहना आवश्यक हो जाएगा कि चूंकि इसे "साझा घर" नहीं माना जा सकता, अतः पत्नी को ऐसे मकान में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे उसका पति उसके लिए वीज़ा या नये घर में आवास की व्यवस्था करे या न करे। क्या इनसे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है – जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के मामले में लिए गए निर्णय से यही तथ्य सामने आता है।

अतः परिभाषा खंड 2 (ध) में संशोधन की आवश्यकता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम के संबंधित उपबंध को निम्नानुसार उपयुक्त रूप में संशोधित किया जाएः

मौजूदा उपबंध	प्रस्तावति संशोधन
"साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति **रहता है** या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में अकेले या प्रतिवादी के साथ **रहा हो**।	धारा 2(ध) "साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति निवास करता है या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में एक पर्याप्त अवधि तक (तीन वर्ष या अधिक) अकेले या प्रतिवादी के साथ रहा हो।
(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिन पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी का दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित है अथवा नहीं।	(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित है अथवा नहीं।

धारा 2(ध) के अंतर्गत "साझे घर" की परिभाषा में यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि घरेलू संबंध के अंतर्गत निर्वाह कर रही महिला, जिसे हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, के हितों और उसके वैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके, जबकि इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय द्वारा बतरा मामले में दिए गए निर्णय में व्यक्त न्यायालय की चिंता को भी दृष्टिगत रखा जा सके। अतः विवाहित महिला जो ऐसे मकान में रह रही है, जिसका स्वामित्वाधिकार उसके पति के पास न होकर उसके सास–ससुर के पास हो, किंतु वह घर उसका ससुराल हो, जहां वह ब्याह कर आई हो, को संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस परिभाषा में निम्नलिखित संशोधनों को करने का सुझाव दिया जाता है।

तथापि, इसके साथ ही, न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंता के दृष्टिगत नई परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के प्रयोजनार्थ महिला के सास–ससुर के स्वामित्वाधीन केवल वही घर "साझा घर" माना जाएगा, जिसमें वह महिला ब्याहकर लाई गई है। यह उपबंध बतरा मामले में दिए गए निर्णय में उल्लिखित रक्षोपायों को उपलब्ध कराता है।

(iii) यह कानून संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के साक्ष्यात्मक महत्त्व या उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में भी मूक है। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक महत्त्व नहीं है। कुछ कानूनों जैसेकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बिक्रीनामे को साक्ष्य माना जाता है। संरक्षण अधिकारी को बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालयों द्वारा बार–बार उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, जिसके कारण उनकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के **आदेशों** पर अपील की जा सकती है, जिसका आशय यह है कि अंतरिम आदेशों के संबंध में भी अपील की जा सकती है। चूंकि प्रत्येक आदेश को अपीलयोग्य बना दिया गया है, अतः इस संबंध में कोई सीमा नहीं है, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत अपील करने और समीक्षा करने का अधिकार संशोधित किया जाना चाहिए तथा अपील केवल अंतिम आदेशों के खिलाफ ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 में न्यायालय द्वारा धारा 25 और 26 के अंतर्गत दिया गया आदेश अपीलयोग्य हैं, **यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हों**।

(v) वैकल्पिक विवाद समाधान महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे न्यायालयों पर काम का भारी बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।

(vi) धारा 31 में यह उल्लेख किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना एक अपराध होगा, जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही धारा 31(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आईपीसी की धारा 498क या देहज अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा 32 के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बातें परस्पर–विरोधी हैं। आपराधिक कानून के अंतर्गत ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान हो, समन मामला कहलाता है। किसी समन मामले पर विचार करने की प्रक्रिया आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत किसी मामले पर विचार किए जाने की प्रक्रिया से पूर्णतः भिन्न है। इसके कारण जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है। अतः इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) इसके अंतर्गत, केवल संरक्षण आदेशों का उल्लंघन ही एक अपराध है। यह कानून अन्य आदेशों, जैसेकि आवास से संबंधित आदेशों, अभिरक्षा में लेने से संबंधित आदेशों आदि के उल्लंघन के संबंध में मूक है। अधिनियम की धारा 31 में अन्य आदेशों के उल्लंघन को दंडनीय बनाने के संबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) **नियम 3** में यह उल्लेख किया गया है कि संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी – संविदात्मक नियुक्तियों के संबंध में यह एक संभव विकल्प नहीं होगा क्योंकि संविदा आधार पर कर्त्तव्यों के निरंतर निष्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा संबंधित पद के नियमितीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिसके लिए संभवतः सरकार सहमत न हो। किसी सरकारी कार्यपालक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के संबंध में मौजूदा समय में अपनाया गया विकल्प ही सही उपाय है।

(ii) तेजाब से हमले की स्थिति में पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम

आयोग ने पहले "(तेजाब से हमला) अपराध निवारण विधेयक, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। बाद में यह सुझाव दिया गया कि बलात्कार की पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के समान ही एक स्कीम लाई जाए और तदनुसार आयोग ने महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधों (तेजाब से हमले) के संबंध में राहत और पुनर्वास की एक स्कीम तैयार की जो बलात्कार की पीड़िताओं के संबंध में जारी स्कीम के ही समान है। इस स्कीम की मुख्य–मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- इस स्कीम को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस संबंध में जिला और राज्य स्तरों के प्राधिकारी बलात्कार की पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना में सुझाए गए प्राधिकारियों के अनुसार होंगे।
- पीड़िता को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए तत्काल 5,00,000/– रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे बाद में अधिकतम 30,00,000/– रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- पीड़ित के पुनर्वास हेतु 5,00,000/– रुपए निर्धारित किए गए हैं।

संशोधित स्कीम मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई है। संबंधित ब्योरे **अनुलग्नक–IV** में दिए गए हैं।

(iii) दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन को अंतिम रूप देना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितंबर, 2008 में एक परामर्श सत्र आयोजित किया और इस सत्र में शामिल प्रतिनिधिमंडलों और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग करके की गई सिफारिशों के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित सिफारिशें मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई हैं। संबंधित ब्योरे **अनुबंध–V** में दिए गए हैं।

(iv) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2008 में संशोधन से संबंधित विधेयक

विधेयक का प्रारूप कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से निवारण और समाधान उपलब्ध कराने से संबंधित है। **'किसी भी महिला कर्मचारी के अतिरिक्त पीड़ित महिला की परिभाषा के अंतर्गत कार्य स्थल से संबंधित कोई भी महिला शामिल होगी, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय आदि में विद्यार्थी, अनुसंधान अध्येता शामिल हैं।'** इसमें सरकार और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अधीन स्थित सभी कार्यस्थल शामिल हैं। विधेयक के प्रारूप की मुख्य–मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) का गठन
- जिला अधिकारी की नियुक्ति
- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन
- संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से प्रावधान
- शिकायत की सामग्री और जांच की प्रक्रिया को प्रकाशित करने या उजागर करने के लिए दंड

संशोधित विधेयक मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया गया है। संबंधित ब्योरे **अनुबंध–VI** में दिए गए हैं।

(v) एस आर बतरा और अन्य बनाम श्रीमती तरुणा बतरा, विशेष अनुमति याचिका (सिविल 2005 का 6651–6652) मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के उपरांत की गई सिफारिशें:

आयोग ने महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम में यथापरिभाषित "साझे घर" के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपनी सिफारिशें की हैं। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी "साझे घर" में निवास करने के अधिकार का दावा करने का हक केवल पत्नी को है, "साझे घर" का एकमात्र अर्थ ऐसे घर से है, जो पति के स्वामित्वाधीन हो या जिसे पति द्वारा किराये पर लिया गया हो, या ऐसा घर जो संयुक्त परिवार की संपत्ति हो, जिसका उसका पति एक सदस्य है। प्रश्नाधीन मकान प्रतिवादी की सास का है न कि उसके पति का, अतः प्रतिवादी उक्त मकान में अपने किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। जिन आधारों पर समीक्षा करने का अनुरोध किया गया, वे हैं:

क) न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 19 से 23 में महिला की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 2(ध) के अंतर्गत "साझे घर" पद की व्याख्या संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थों में की है;

ख) न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि पीड़ित महिला दिए गए पते पर साझे घर के दूसरे तल पर रह रही थी और वह वैवाहिक विवाद के कारण जब अपने माता–पिता के घर में रहने के लिए चली गई, उस समय अपने पति के साथ रहते समय उस मकान का दूसरा तल उसके कब्जे में था। पीड़ित महिला को उसके इस मकान के अधिकार से उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाना चाहिए था;

ग) माननीय न्यायालय ने महिलाओं की घरेलू संरक्षा से संरक्षा अधिनियम में उल्लेख किए गए इस सिद्धांत की अवहेलना की है कि घरेलू संबंध के अंतर्गत रह रही प्रत्येक महिला को "साझे घर" में रहने का अधिकार प्राप्त होगा, चाहे उसका उस घर पर कोई अधिकार, स्वामित्व या लाभकारी हित हो अथवा नहीं;

घ) धारा 17 किसी भी प्रकार से महिला को संपत्ति का स्वामित्वाधिकार अंतरित नहीं करती है। विवाहित महिला का "साझे घर" में रहने का अधिकार उसके विवाहित होने की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है तथा उक्त अधिकार महिला की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व ही विद्यमान था। अतः यह अधिकार इस बात पर आधारित नहीं है कि वह महिला "साझे घर" में किसी अवधि के दौरान रही है। माननीय न्यायालय ने मंगत मल बनाम पुन्नी देवी (1995) 6 एस सी सी 88 मामले में विशेष रूप से यह कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में शब्द "भरण–पोषण" की परिधि में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त निवास का प्रावधान भी निश्चित रूप से शामिल हो। अतः साझे घर में निवास करने का अधिकार किसी भी विवाहित महिला का पहले से विद्यमान अधिकार है। धारा 17 के अंतर्गत पीड़ित महिला का "साझे घर" में रहने का अधिकार इस तत्य पर विचार किए बिना है कि वह साझे घर में एक उल्लेखनीय अवधि तक रही

है अथवा नहीं {2007(6) एम एल जे 205 (एमएडी) टी वंदना बनाम श्रीमती जयंती कृष्णामचारी};

ड) न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि इस अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व भी पत्नी का अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार, जहां तक हिंदुओं का संबंध है, उसके भरण–पोषण के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यताप्राप्त था। **बी पी अचला आनंद बनाम एस अप्पिरेडु और अन्य (220) 3 (एस सी सी 313) मामले में माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:**

"हिंदू पत्नी को अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का हक है। उसे यह हक है कि वह अपने पति के घर में और उसके संरक्षण के अधीन रहे। उसे यह भी हक है कि वह अपने पति के आचरण के कारण या पति द्वारा उसे अपने निवास स्थान पर भरण–पोषण देने से इनकार करने या ऐसे किसी भी उपयुक्त कारण, जिससे उसे अपने पति से अलग रहने के लिए बाध्य होना पड़ता हो, अलग निवास में भी रहने का हक है। निवास का अधिकार पत्नी के भरण–पोषण प्राप्त करने के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।"

च) यह उल्लेख किया जाता है कि "साझे घर" के ऐसी संकीर्ण और प्रतिबंधित व्याख्या से पति को राहत प्राप्त हो सकती है, जो तलाक के लिए याचिका दायर करके या तलाक की याचिका दायर करने के अभिप्राय से ससुरालियों के साथ षडयंत्र करके उस मकान को छोड़कर उनके साथ किराए के किसी परिसर में रहने चला जाता है और तत्पश्चात अपनी पत्नी को छोड़ देता है।

छ) चूंकि प्रश्नाधीन संपत्ति का स्वामित्वाधिकार सास के पास है, अतः पीड़ित महिला उक्त मकान में किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती। यह उल्लेख किया जाता है कि केवल इसलिए कि मकान सास के नाम था, इस संपत्ति को खरीदने के लिए प्रयुक्त धनराशि के लिए आय के स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती। चूंकि मौजूदा मामले में प्रश्नाधीन मकान को खरीदने के लिए आय के स्रोत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः पीड़ित महिला को ऐसे साझे घर में निवास करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

ज) कानून का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि लाभभोगी के कल्याण से संबंधित कानून की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए और ऐसी व्याख्या लाभभोगी के पक्ष में की जानी चाहिए और चूंकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम घरेलू संबंध के अंतर्गत रह रही पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है, और इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं के लिए निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, अतः पीड़ित महिला के निवास करने के अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

झ) महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "साझे घर" के स्वामित्व का "साझे घर" में निवास करने के अधिकार से कोई संबंध नहीं है {धारा 17(1)}। न्यायालय का कहना है कि प्रार्थित राहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि प्रश्नाधीन परिसर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है और इस कारण वह "साझा घर" नहीं हो सकता। यह भी धारा 17(1) में उल्लिखित स्पष्ट उपबंध का उल्लंघन करता है। ऐसी व्याख्या से यह निश्चित है कि अप्रवासी भारतीयों से विवाह के मामले में महिलाओं द्वारा ऐसी स्थिति में दायर किए आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनमें पति द्वारा महिला से विवाह करके उसे अपने माता–पिता के घर में लाया जाता है तथा पत्नी के साथ कुछ महीनों तक रहने के पश्चात पति विदेश चला जाता है जबकि पत्नी अपने ससुराल के घर में रहना जारी

रखती है जो एक ऐसी संपत्ति है, जिसके संबंध में इस बात की पूरी संभावना है कि उसके सास–ससुर की स्व–अर्जित संपत्ति है। इस संदर्भ में बतरा मामले में निर्णय की व्याख्या को देखते हुए, न्यायालयों को स्वतः यह कहने की आवश्यकता होगी कि चूंकि इसे "साझा घर" नहीं माना जा सकता, अतः इस घर में पत्नी को रहने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह उसके पति का कर्त्तव्य है कि वह उसके लिए वीज़ा का प्रबंध करे या उसे किसी नये घर में रखे। ऐसी व्याख्या से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

ञ) ऐसी व्याख्या से ऐसी महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है जो निवास के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर (वाद संख्या 2007 का 3072 में आदेश संख्या 2007 का 866 के संबंध में अपील) श्रीमती हेमाक्षी अतुल जोशी बनाम मुक्ताबेन करसनदास जोशी और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की किः "एस आर बतरा और मौजूदा मामले में तथ्य लगभग एकजैसे हैं। कानूनी स्थिति और तथ्यों पर विचार करने पर अपीलकर्ता अपनी सास के स्वामित्व वाले मकान में निवास के संबंधी में किसी कानूनी हक का दावा नहीं कर सकती ....." इस मामले में उक्त मकान वास्तव में पीड़ित महिला की ससुराल का मकान था किंतु माननीय न्यायालय ने उसका तर्क अस्वीकृत कर दिया।

(vi) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता में विस्तार करने के लिए **"विज्ञापन"** की परिभाषा में इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य मीडिया को शामिल किया गया है। **प्रतिषेध और दंडों से संबंधित उपबंध** पर एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। किसी भी प्रकाशित/ प्रसारित/ टेलीकास्ट की गई सामग्री में महिलाओं को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, इसे शासित और विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकारी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव किया गया है। संबंधित ब्योरे **अनुलग्नक–VII** में दिए गए हैं।

(ख) न्यायालय के हस्तक्षेप

राजकुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार–2008 सी आर आई एल जे 2539

भरण–पोषण के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1)(ख) और (ग) में यथानिहित उपबंधों के अनुसार,

यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन–संपन्न हो तथा निम्नलिखित के भरण–पोषण के लिए नकारता हो या अस्वीकार करता हो –

(ख) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चे का, जो विवाहित हो अथवा नहीं हो और जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम न हो, या

(ग) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

उप–धारा 1(ग), जिसमें यह कहा गया है कि "अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो **शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण** अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो" – यह एक अवरोधक उपबंध है तथा विशेषकर किसी सक्षम बच्चे और ऐसा बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, विशेषकर बालिका बच्चे के मामले में, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित

लड़कियों को उपलब्ध होना चाहिए, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने पर भी अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों । इस अधिकार के उपलब्ध होने से बालिका शिशु को किसी भी कठिनाई और अकिंचन की स्थिति से उबारा जा सकता है, जो भरण–पोषण से संबंधित उपबंध का एक मुख्य उद्देश्य है।

राज कुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार– 2008 सी आर आई एल जे 2539 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि धारा 125 (1)(ग) – उपर्युक्त उपबंध के सामान्य अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी वयस्क लड़की (अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो) जो अविवाहित हो, का भरण–पोषण करना तभी आवश्यक है यदि वह लड़की किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो – इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी स्थिति में उसे अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत स्थिति यह है कि 18 वर्ष की आयु की कोई कालेज जाने वाली लड़की, जो अभी अविवाहित है, जब तक वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ न हो, उसे उसके पिता द्वारा जो पर्याप्त साधन संपन्न है, भरण–पोषण उपलब्ध कराने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यह अपेक्षा करना कि एक ऐसी अविवाहित लड़की जो अभी कालेज जा रही है या जो घर में रह रही है किंतु जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और जिसके पास अपना स्वयं का भरण–पोषण करने के लिए स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, को उसके पर्याप्त साधन–संपन्न पिता द्वारा केवल इस आधार पर भरण–पोषण उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सके कि संहिता की धारा 125(1)(ग) में जैसाकि अपेक्षित है, स्वयं का भरण–पोषण करने में उस लड़की की असमर्थता उसकी किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता के कारण नहीं है, अत्यधिक अमानवीय और उत्पीड़क होगा और ऐसा करना सभी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।

यह उपबंध विशेष रूप से त्रूटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि धारा 125(1) के अन्य खंडों, अर्थात खंड (क), (ख) और (घ) में, पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी, अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चों, जो विवाहित हों अथवा न हों या अपने माता–पिता जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ न हों, को भरण–पोषण उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सिद्ध करने की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि वे इस सम्मानजनक सामाजिक विधायन का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। यह उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39(ड.) और (च) की भावना के भी विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें राज्यों से यह कहा गया है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों और युवाओं का नैतिक और भौतिक दृष्टि से परित्याग करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। मामले के इस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए, **यह सहमति हुई कि विधायिका द्वारा उप–धारा 125(1)(ग) में संशोधन किया जाए तथा पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का बच्चों/लड़कियों का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध कराया जाए जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद भी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।**

इस आदेश की प्रति भारत के विधि आयोग तथा अन्य राज्यों के महिला आयोगों को भी उपयुक्त टिप्पणी हेतु प्रेषित की जाए। आयोग ने माननीय न्यायालय की राय से सहमति व्यक्त करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मध्यक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें यह अनुरोध किया

गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(ग) भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान का उल्लंघन करती है और इसे भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित किया जाए और तदनुसार इसे इसके मौजूदा रूप में हटा देने की आवश्यकता है।

(ग) आयोजित किए गए सेमिनार और सम्मेलन

1. "किराये पर कोख लेने और संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों" विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग में आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में 24.04.2008 को एक–दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा संबद्ध प्रजनन प्रौद्योगिकियों के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई।

2. "स्त्री अशिष्ट रूपण" विषय पर मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में इस विषय पर मौजूदा कानून में संशोधनों पर परिचर्चा की गई, जिनके आधार पर उक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

"स्त्री अशिष्ट रूपण" विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में विचारों का आदान–प्रदान करती हुई (बाएं से) डॉ. गिरिजा व्यास, श्रीमती रेणुका चौधरी

"स्त्री अशिष्ट रूपण" विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में प्रेस से बातचीत करती हुई (बाएं से) डॉ. गिरिजा व्यास

3. "बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा" विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर दिल्ली में 19 जून, 2008 को एक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। **इस परामर्श सत्र की अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा की गई।** राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों और अन्य कार्यकर्ताओं से विचार–विमर्श करने के पश्चात एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत बलात्कार पीड़ितों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा दिया जा सकता है।

4. "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन" तथा अपराध (तेजाब से हमला) निवारण विधेयक, 2008 के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 18 सितंबर, 2008 को नई दिल्ली में एक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। **इस परामर्श सत्र की अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा की गई।**

5. "पूर्वोत्तर में महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं" विषय पर 19 अप्रैल, 2008 को गंगटोक, सिक्किम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

6. "रात्रि की पालियों में काम करने वाली महिलाओं" विषय पर 15 सितंबर, 2008 को बेंगलुरु में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

7. "वैवाहिक मुद्दों और चुनौतियों से संबंधित कानून" विषय पर 31 जनवरी, 2009 को दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

""वैवाहिक मुद्दों और चुनौतियों" विषय पर आयोजित किए गए सेमिनार में विचारों का आदान–प्रदान करते हुए (बाएं से) श्री एस. चटर्जी, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री के.जी. बालाकृष्णन

आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया गया मामला – आई ए एस अधिकारी को बलात्कार का अभियुक्त बनाया गया :

राष्ट्रीय महिला आयोग का ध्यान मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया, जिसमें बलात्कार के अभियुक्त श्री अशोक राय, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी, की सजा दोषसिद्ध होने पर उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास कम करके साढ़े पांच वर्ष तक के कारावास में बदल दी थी, जिस अवधि को उस व्यक्ति ने जेल में पहले ही पूरा कर लिया था।

मामले का संक्षिप्त विवरणः

21 वर्षीया सुनीता ने 14 अप्रैल, 2003 को सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका द्वारा लिखे गए आत्महत्या के नोट में उसने स्पष्टतः यह लिखा था कि उसे श्री अशोक राय ने ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अशोक राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 306/376 के तहत दोषसिद्ध पाया और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास की सजा दी।

माननीय उच्च न्याालय ने विचारण न्याालय के आदेश के विरुद्ध दिनांक 09.02.2009 को दिए गए अपने निर्णय और आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए श्री अशोक राय की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, यह कहा कि श्री अशोक राय की सुनीता द्वारा आत्महत्या किए जाने में किसी प्रकार की सहयोगी भूमिका का कोई प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मामले की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता साढ़े पांच वर्ष तक के कारावास की सजा भुगत चुका है और जेल में अपने अच्छे आचरण के आधार पर वह कारावास से छूटने का हकदार है; उसने जेल में रहते हुए कोई भी अशोभनीय आचरण नहीं किया है जिसका साक्ष्य यह है कि जेल में रहते हुए उसने सिविल सेवा की परीक्षा दी और उस परीक्षा में सफल घोषित किए जाने पर वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र पाया गया; हमारी राय यह है कि अपीलकर्ता द्वारा जेल में पहले ही बिताई जा चुकी अवधि उसे दंडित करने के लिए पर्याप्त है और इसी से संबंधित मामले में न्याय हुआ, यह समझा जाए।"

राष्ट्रीय महिला आयोग की चिंता यह थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषसिद्ध पाया गया हो, सरकारी सेवा में आने का प्रयास कर रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस आशय के स्पष्टीकरण की मांग की कि क्या किसी अत्यधिक गंभीर प्रकृति के अपराध (जो नैतिक अधमता से संबद्ध है) के मामले में दोषसिद्ध पाए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त उत्तर में यह कहा गया कि "परीक्षा में सफलता से किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं होता जब तक सरकार यह जानने के लिए कि आवेदक का चरित्र और उसका पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, जांच–पड़ताल करके पूर्णतः संतुष्ट न हो जाए।"

इस निर्णय से एक अत्यधिक अधोगामी पूर्वोदाहरण स्थापित होता है। "बलात्कार के दोषी के मामले में यह एक विशेष मामला था, जिसमें उच्चतम न्यायालय में जाने का निर्णय लिया गया। आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 16 मार्च, 2009 को उच्चतम न्याालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

5 शोध एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ज) के अंतर्गत, आयोग संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान का कार्य करता है जिससे सभी क्षेत्राों में महिलाओं के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जा सकें और उन कारकों की पहचान की जा सके जो उनके विकास में रुकावट के लिए जिम्मेवार हैं। इस संबंध में आयोग ने अनेक सेमिनार, जन सुनवाइयां, कार्यशालाएं और शोध अध्यन प्रायोजित किए हैं ताकि महिला–पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से सबंधित मुद्दों के उच्च प्राथमिकता वाले विषयों पर सुसंगत जानकारी प्राप्त की जा सके।

वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। पिछड़े और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकांश लोग अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया। कुल 12 जागरूकता कार्यक्रम तथा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 227 कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 जन सुवधिाओं का भी आयोजन किया गया और 13 पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की गईं। इसके अलावा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर 17 सम्मेलन, गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर महिलाओं से संबधित मुद्दों और समस्याओं पर जनता को संवेदित करना था। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

कानूनों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रायोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम तथा पारिवारिक महिला लोक अदालतें

आयोग ने वर्ष 2008–09 के दौरान कानूनों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 227 जागरूकता कार्यक्रमों और 13 पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन किया।

क्रम सं.	राज्य	कानूनों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या
1.	असम	24
2.	बिहार	17
3.	बिहार	09
4.	छत्तीगढ़	08
5.	दिल्ली	19
6.	हरियाणा	17
7.	हिमाचल प्रदेश	01
8.	झारखंड	06
9.	केरल	01
10.	कर्नाटक	01
11.	मध्य प्रदेश	05
12.	महाराष्ट्र	06
13.	मिजोरम	02

14.	मणिपुर	05
15.	उड़ीसा	11
16.	राजस्थान	37
17.	तमिलनाडु	02
18.	त्रिपुरा	05
19.	उत्तर प्रदेश	30
20.	उत्तराखंड	04
21.	पश्चिम बंगाल	13
22.	पंजाब	02
23.	नागालैंड	02
	जोड़	**227**

आयोग द्वारा प्रायोजित पारिवारिक महिला लोक अदालतें

क्रम सं.	राज्य	प्रायोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
1.	बिहार	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	उत्तर प्रदश	10
4.	पश्चिम बंगाल	1
	जोड़	**13**

आयोग द्वारा आयोजित की गई महत्त्वपूर्ण बैठकें/कार्यशालाएं

1. "कृषि कार्य से जुड़ी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप" विषय पर 10 और 11 मई, 2008 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आई आई सी), नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र।

"कृषि कार्य से जुड़ी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र के दौरान पारस्परिक विचार–विनिमय करते हुए (बाएं से) डॉ. गिरिजा व्यास, सुश्री सईदा हमीद, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य

2. "डायन प्रथा" विषय पर 18 नवंबर, 2008 को श्रीमंत कला क्षेत्र, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी (असम) में आयोजित सेमिनार।

3. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के विषय पर 28.01.2009 को गुवाहाटी में आयोजित सेमिनार।

4. महिला सशक्तीकरण और पंचायत नियमों से संबंधित मुद्दों पर 28.02.2009 को देहरादून (उत्तराखंड) में आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार।

5. निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं पर 23.01.2009 को चेन्नै में आयोजित सेमिनार।

6. महिलाओं के साथ हिंसा विषय पर 21.02.2009 को गुंटूर (आंध्र प्रदेश) में आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार।

7. महिला सशक्तीकरण विषय पर 21.02.2009 को तिनसुकिया (असम) में आयोजित सेमिनार।

"घर बचाओ परिवार बचाओ" परियोजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक पायलट परियोजना भी शुरू की

है। "घर बचाओ परिवार बचाओ" नामक इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाना के स्तर पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना है ताकि वह महिलाओं से संबंधित मामलों में प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सके। दिल्ली में महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए परियोजना का चरण–2 मार्च 2009 में शुरू किया गया। इन प्रकोष्ठों के प्रमुख कार्य महिलाओं के साथ हुए हिंसात्मक व्यवहारों, आपराधिक शिकायतों के प्राप्त होने पर पुलिस सहायता का प्रावधान, परिवार सेवा एजेंसियों को संदर्भ भेजने तथा महिलाओं के साथ हिंसा के मामले में परामर्श उपलब्ध कराने, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित मामले होंगे। इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है, जो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (टी आई एस एस) के सहयोग से यह कार्य कर रहा है। यह दत्तकग्रहण पर भी बल देता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित सेमिनार, जन सुनवाइयां/कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम

1. वूमेंस स्ट्डीज रिसर्च सेंटर, बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा द्वारा "उड़ीसा में विकास प्रेरित विस्थापन और महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

2. इंस्टिट्यूट ऑफ ताज स्ट्डीज एंड रिसर्च (असम) द्वारा "सार्वजनिक प्रक्रिया और पूर्वोत्तर भारत का विकास – एक लैंगिक संदर्भ" विषय पर 26 अप्रैल, 2008 को आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार।

3. अकादमी ऑफ ग्रासरूट स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, तिरुपति द्वारा "भारत में संसद और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला सशक्तीकरण : भूमिका, स्थिति, भागीदारी और निर्णयन" विषय पर आयोजित सम्मेलन।

4. आर के मोसंग मेमोरियल सोसाइटी, जिला चांगलांग (आंध्र प्रदेश) द्वारा "विवाद की स्थिति में महिला" विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन।

5. जागरूक महिला संस्थान, परचम, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा "मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

6. श्रीमती हेलना कौशिक महिला (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, मल्सीसर, जिला झुंझनु (राजस्थान) द्वारा "लघु वित्त और महिला सशक्तीकरण" विषय पर सेमिनार।

7. इंटीग्रेटिड ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर वीकर सेक्शंस (आई टी डी डब्ल्यू एस), कोरापुट (उड़ीसा) द्वारा "उड़ीसा में लघु वन उत्पादों और अन्य वन्य संसाधनों पर जनजातीय महिला अधिकारों का प्रभाव" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन।

8. राजीव गांधी जन सेवा संस्थान, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा "महिला और राजनीतिक भागीदारी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

9. द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा कानपुर में "महिला सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

10. सिल्दा स्वास्ती उन्नयन समिति, जिला पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) द्वारा "पश्चिम बंगाल में बाल विवाह" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

11. द्वारसनी श्रमिक संघ, उड़ीसा द्वारा "उड़ीसा में दलित महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर आयोजित जन सुनवाई।

12. बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा "जगदलपुर, बस्तर में महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार" विषय पर आयोजित जन सुनवाई।

13. संजीवनी, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा "पुरी, उड़ीसा में महिला अत्याचारों से संबंधित मामलों" विषय पर आयोजित जन सुनवाई।

14. अभिनव कला केंद्र, विकास नगर, रांची द्वारा "परिवारों के मुखिया की भूमिका निभा रही निर्धन महिलाओं के लिए कार्यशाला/सेमिनार/शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करना।

15. पांडिचेरी महिला आयोग (पांडिचेरी) द्वारा पांडिचेरी में "महिला पुलिस कांस्टेबल" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय कार्यशाला।

16. एजूकेशन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, विल्लूपुरम जिला (तमिलनाडु) द्वारा "भारत में महिलाओं का सामाजिक बहिस्कार" विषय पर दो जागरूकता शिविरों का आयोजन।

17. भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जिला हरदोई (उत्तर प्रदेश) द्वारा "महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार" विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम।

18. उज्जवल, गुड़गांव (हरियाणा) द्वारा "महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार" विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम।

19. नेहरू शिक्षा ग्रामीण संस्थान, जिला दौसा (राजस्थान) द्वारा "बाल विवाह के विरुद्ध महिला सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम।

20. पांडिचेरी महिला आयोग, पांडिचेरी द्वारा "पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में आत्महत्या के अनुपात में कमी लाना" विषय के संबंध में विभिन्न स्व–सेवा समूहों के लिए आयोजित एक–दिवसीय कार्यक्रम।

21. अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण समिति, मुरैना (मध्य प्रदेश) द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी" विषय पर आयोजित दो जागरूकता कार्यक्रम।

22. दीपक चेरिटेबल, वड़ोदरा, गुजरात द्वारा "नंदेश्वरी (गुजरात) में सुरक्षित मातृत्व तथा बच्चों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना" विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन

1. जन नेता एरावत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंड एंड सोशल सर्विस (मणिपुर) द्वारा "मणिपुर में महिलाओं के स्व–सहायता समूह की बैंक संबद्धता कार्यक्रम का मूल्यांकन" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

2. भारत इंटीग्रेटिड सोशल वेल्फेयर एजेंसी (बी आई एस डब्ल्यू ए) (उड़ीसा) द्वारा "उड़ीसा के संबलपुर जिले में महिलाओं को लघु ऋण की उपलब्धता तथा स्व–सहायता समूहों की भूमिका" विषय पर अनुसंधान कार्यक्रम।

3. ओमेव कुमार दास इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट (असम) द्वारा "महिला, सशस्त्र संघर्ष तथा इसके प्रभाव : एक सांक्षेत्रिक विश्लेषण (असम के बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्तशासी जिला और कर्बी अंगलांग जिला का तुलनात्मक अध्ययन)" का अनुसंधान अध्ययन।

4. सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर एंड सप्रेस्ड (सी एस डब्ल्यू ए एस), नई दिल्ली द्वारा "धनबाद, पलामू और रामगढ़ जिला (झारखंड) के कोयला खदानों में कार्य कर रही महिला श्रमिकों" पर अध्ययन।

5. नोबल सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) द्वारा "आंध्र प्रदेश में हथकरघा और बिजली से चलने वाले करघा क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा आत्महत्या तथा उसके कारण परिवार तथा महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव" विषय पर अध्ययन।

6. जलगांव समिति सजागौरी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड द्वारा "उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पंचायतों में महिलाएं" विषय पर अध्ययन।

7. स्टेट रूरल सर्विस एजेंसी (आर यू एस ए), इम्फाल (मणिपुर) द्वारा "मणिपुर के इम्फाल पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों में एच आई वी/ एड्स से ग्रसित महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या" विषय पर अध्ययन।

8. ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन, बारबला, जिला बारपेटा (असम) द्वारा "बारपेटा, असम में कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में लगी महिलाओं" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

9. मदर टेरेसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, कोमारोल, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश) द्वारा "महिलाओं को लघु ऋण की उपलब्धता तथा स्व–सहायता समूहों की भूमिका" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

10. एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा "उड़ीसा और दिल्ली में महिलाओं के साथ प्राकृतिक, संभावित दुर्घटना तथा घरेलू हिंसा के प्रभाव का अध्ययन" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

11. मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, जोधपुर, राजस्थान द्वारा "ग्रामीण राजस्थान के गांवों में महिला साक्षरता के प्रभाव" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

12. एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा "बिहार और केरल में निःशक्तता से ग्रस्त महिला श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

13. एवियोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किशोरियों के लिए एक काउंसलिंग टूल किट विकसित करने के संबंध में अनुसंधान अध्ययन"।

14. चैतन्य, गया (बिहार) द्वारा "सरपंचों और पंचों द्वारा झेली जा रही समस्याओं पर अनुसंधान अध्ययन"।

15. इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्कर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा "महिलाओं को उपलब्ध लघु ऋण तथा स्व–सहायता समूहों की भूमिका" विषय पर अनुसंधान अध्ययन।

1. "राजस्थान के भेड़पालन करने वाले समुदाय रेबारी (रायका समुदाय) में महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दों को समझना" – श्री आसरा विकास संस्था, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार करना एक सामान्य घटना है। अभी भी वहां की महिलाओं को सरकारी स्कीमों, कानूनों, अधिकारों और उनके पक्ष में निर्मित अधिनियमों के लाभ की जानकारी नहीं है। जनजातीय समुदाय की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। राजस्थान में एक सर्वाधिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा समुदाय रेबारी समुदाय है, जो अर्द्ध–घुमंतु प्रकृति का है। इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। जागरूकता के अभाव के कारण यह समुदाय बार–बार शोषण का शिकार होता रहा है।

उद्देश्य

- विभिन्न आयु वर्ग की रेबारी महिलाओं/ बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- रेबारी महिलाओं/ बालिकाओं में विवाह/मातृत्व धारण करने की औसत आयु ज्ञात करना।
- रेबारी समुदाय में प्रचलित प्रथा तथा लैंगिक संबंध पर उनका प्रभाव।
- रेबारी महिलाओं/ बालिकाओं के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और इन समस्याओं का उनके समग्र विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

- रेबारी महिलाओं/बालिकाओं की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में हो रहे परिवर्तन के पैटर्न का अध्ययन करना।
- रेबारी महिलाओं/बालिकाओं के लिए बाध्यकारी सामाजिक मान्यताएं/प्रथाएं और उनकी आर्थिक स्थिति।
- यायावरी व्यवस्था में महिलाओं और बालिकाओं के दैनिक कार्य के पैटर्न और उनकी जीवनशैली के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

क्रियाविधि :

- अध्ययन का मुख्य केंद्र पाली जिला था, जहां की सभी आठों तहसीलों और लगभग 300 गांवों में रेबारी समुदाय के लोग काफी अधिक संख्या में रहते हैं। इस इलाके में रेबारी समुदाय के परिवारों की संख्या के आधार पर विस्तृत अध्ययन हेतु 40 प्रतिश्दर्श गांवों की पहचान की गई।
- इस अध्ययन में एक प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें रेबारी समुदाय में विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक अवसरों जैसेकि बच्चों के जन्म, विवाह, त्योहारों, मृत्यु आदि के दौरान प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्न शामिल थे।
- विस्तृत सर्वेक्षण में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, अवकाश, आर्थिक और पारिस्थितिकी पहलुओं को शामिल किया गया था।
- प्रश्नों के उत्तर रेबारी समुदाय के बालकों और बालिकाओं के लिए लागू भिन्न–भिन्न नियमों और विनियमों के बारे में पूछे गए।
- रेबारी समुदाय और उनके गांव के बारे में सूचना ग्राम डेटा शीट से संगृहीत की गई। स्कूल के शिक्षकों, समुदाय के नेताओं, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों आदि के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए विशेष सूचनाएं जुटाई गईं।
- प्राप्त आंकड़ों को प्राप्त हुई जानकारी–वार और प्रत्यर्थी–वार सारणीबद्ध किया गया।

निष्कर्ष :

- इस समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों के पास भूमि के रूप में कोई स्थायी साधन उपलब्ध नहीं है।
- बहुत अधिक संख्या में बच्चे अपने माता–पिता के साथ प्रवसन करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं होता।
- रेबारी समुदाय के लोगों में बाल विवाह की प्रथा काफी अधिक प्रचलित है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि वे निर्धरता, निरक्षता और अंध विश्वासों के भीषण चक्र में फंसे हुए हैं!
- युवाओं को नौकरियां मिलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास उचित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है।
- अपने अधिकांश शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों के लिए वे ओझाओं की शरण में जाते हैं और वे उन समस्याओं के निराकरण हेतु किसी वैज्ञानिक या तार्किक समाधान की तलाश नहीं करते।
- अर्ध यायावरी जीवनशैली के कारण वे विभिन्न सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं की जकड़ में हैं और इनके कारण वे सहिष्णु और अनुदार हो गए हैं।
- अनेक बार जातिगत पंचायतों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
- निकट संबंधियों की परिभाषा व्यक्तियों के रक्त संबंध या निवास संबंध द्वारा परस्पर संबंधित होने के रूप में दी जाती है।
- रेबारी समुदाय के लोग केवल नर पशुओं की ही बिक्री करते हैं। इस समुदाय में मादा पशुओं की

बिक्री निषिद्ध है जिससे उनके पशुओं के समूह में संख्या वृद्धि होती रहती है।

- पशुओं को वध हेतु कसाई को बेचना पाप समझा जाता है और इस कर्म का इस समुदाय में कड़ाई से निषेध है।
- इस समुदाय में दूध बेचना भी निषिद्ध है। दूध बेचना अपना पूत बेचने के समान समझा जाता है। धीरे–धीरे इस समुदाय के लोगों के मन–मस्तिष्क में कुछ बदलाव आ रहा है।
- ऊंटनी के दूध से दही, घी आदि बनाना भी निषिद्ध है जबकि उसके बाल, ऊन और उसके गोबर को बेचने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- यदि परिवार बड़ा है और विशेषकर संयुक्त परिवार है तो उसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ऊंची हैसियत प्राप्त होती है। परिवार के वृद्ध व्यक्तियों की हैसियत युवाओं की तुलना में अधिक सम्मानजनक होती है।
- महिलाओं की स्थिति उनके पतियों की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है।
- महिलाओं की स्थिति किसी समय विशेष के दौरान उसकी हैसियत द्वारा निर्धारित होती है। अविवाहित पुत्री की स्थिति उसके माता–पिता के परिवार में काफी निम्न होती है।
- महिलाओं की स्थिति काफी बढ़ जाती है यदि वह किसी लड़के को जन्म दे।
- रेबारी समुदाय में पति की मृत्यु हो जाना पत्नी के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है; इसके कारण पत्नी के जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां आने लगती हैं।
- रेबारी समुदाय की महिलाओं के दैनिक कार्यों में भोजन पकाने के लिए पानी लेकर आने, बरतन आदि साफ करने, अनाज कूटने–पीसने से लेकर वे सभी कार्य शामिल हैं जो आवश्यक हों।
- रेबारी समुदाय में परदा प्रथा प्रचलित होने के बावजूद, महिलाओं को पूरे परिवार की ओर से आधिकारिक रूप में बात करने की स्थिति प्राप्त है।
- रेबारी समुदाय की महिलाओं को अभी भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होना शेष है।

सिफारिशें :

- रेबारी समुदाय का मुख्य कार्य पशुपालन है, अतः उन्हें अपने मवेशियों को वनों में या वन भूमि में चराने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। चरागाह के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- रेबारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित करना आवश्यक है।
- रेबारी समुदाय द्वारा पशुपालन को एक संगठित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एन सी पी सी आर जैसी सरकारी एजेंसियों को बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- रेबारी समुदाय को अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- रेबारी समुदाय की लड़कियों के क्षमता सृजन और उनमें ज्ञान सृजन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

2 "एचआईवी ग्रस्त महिलाओं के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक संदर्भ" – यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

एचआईवी एक विषाणु है। एचआईवी जैसे विषाणु अपने आप बहुगुणित नहीं हो सकते, उन्हें अपनी संख्या

वृद्धि करने के लिए सजीव प्राणियों की कोशिकाओं को संक्रमित करने की आवश्यकता होती है। मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रायः विषाणुओं की तलाश करके उसे शीघ्रतापूरक नष्ट कर देती है। एचआईवी के विषाणु सर्दी या जुकाम और फ्लू के विषाणुओं के समान संस्पर्श–जनित नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य सामाजिक संपर्कों के कारण संचारित नहीं हो सकते। यह विषाणु रेट्रोवायरस नामक विषाणु समूह का एक सदस्य है। रेट्रोवायरस साधारण सूक्ष्म जीव हैं, जो अपनी संख्या वृद्धि (प्रजनन) के लिए पोषी के शरीर पर निर्भर करते हैं। एचआईवी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ प्रतीत हो सकता है और उसमें रोग का कोई भी शारीरिक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं भी हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति के शरीर में रोग गंभीर रूप लेने के साथ ही व्यक्ति अलग–अलग ढंग से रोग और शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करने लगता है क्योंकि एचआईवी विषाणु संबंधित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कमजोर बना देता है।

एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति बाह्य उत्प्रेरकों के आधार पर सामान्य व्यक्ति की तुलना में अलग प्रकार से प्रक्रिया व्यक्त करने लगता है। इस रोग के कारण शारीरिक लक्षणों की शुरुआत होने के पश्चात आगे क्या होगा, इस संबंध में पर्याप्त चिंता बनी रहती है। अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि यदि एचआईवी से संक्रमित महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण और उपयुक्त संबंध बनाए रखा जाए तो उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में कमी आ सकती है।

उद्देश्य :

- यह जानना कि आयु बढ़ने के साथ–साथ किस प्रकार किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की उसकी क्षमता में बदलाव आता है।
- यह ज्ञात करना कि इन परिवर्तनों के कारण व्यक्ति किस प्रकार नई परिस्थितियों से पुनः अनुकूलन स्थापित करने के लिए बाध्य हो जाता है जिसके कारण उसके लिए नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- व्यक्ति के व्यवहार और उसकी प्रवृत्ति के प्रभावों का अनुसंधान करना।
- उपर्युक्त मुद्दों के दृष्टिगतएच आई वी ग्रस्त ग्रामीण और शहरी महिलाओं तथा एच आई वी से संक्रमित न हुई महिलाओं पर उपर्युक्त कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

क्रियाविधि :

अध्ययन हेतु प्रयुक्त परीक्षण उपकरण हैं:

- पारिवारिक परिस्थितियों का पैमाना
- जोखिम उठाने की क्षमता
- यौन आचरण से प्रवृत्ति की जांच
- बेमेल व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी एकत्र करना

इस अध्ययन हेतु कुल 120 व्यक्तियों का प्रतिदर्श एकत्र किया गया। इनमें से 60 व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव मामले थे, जिनकी आयु 22 से 45 वर्ष के बीच थी; और 60 व्यक्ति सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति थे और उनकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच थी। एच आई वी पॉजिटिव मामलों का उपर्युक्त प्रतिदर्श लगभग 110 एचआईवी पॉजिटिव मामलों में से छांट कर के प्राप्त किया गया। इन उपर्युक्त दो समूहों को एक बार फिर से दो और समूहों में अर्थात ग्रामीण और शहरी समूहों में विभाजित किया गया।

निष्कर्ष:

- एच आई वी पॉजिटिव मामलों में चयनित व्यक्तियों का यौन आचरण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न देखा गया।
- एच आई वी संक्रमित मामले में संक्रमण का एक आम कारण असुरक्षित यौन संबंध है और साथ ही इसका एक कारण यह भी है कि लोगों में यौन

क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। इस प्रकार का आचरण का एक मुख्य कारण संबंधित समूह के लोगों की आदतों, उनकी प्रत्याशा और उनकी रुचि से सम्बद्ध होता है।

- वर्तमान अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि एच आई वी ग्रस्त मामलों में संबंधित व्यक्ति जोखिम की स्थितियों में बचाव के उपाय नहीं करते।
- एच आई वी ग्रस्त मामलों में यह भी देखा गया कि संबंधित व्यक्ति यौन संतुष्टि के प्रति काफी अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में ग्रस्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व का बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के योगदानों के आधार पर अध्ययन किया गया। यह ज्ञात हुआ कि ऐसे व्यक्ति अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते और वे उन्हें अपने तक ही समित रखना चाहते हैं।

सिफारिशें :

- जिस परिवार में कोई सदस्य एचआईवी ग्रसित हो, उसमें पारिवारिक वातावरण काफी विषादपूर्ण हो जाता है। अतः ऐसे परिवार में पारिवारिक माहौल बेहतर बनाने के लिए प्रभावी संपर्क और सामाजिक सहायता की आवश्यकता है।
- चूंकि एचआईवी से ग्रस्ति व्यक्ति में यौन संबंधों के प्रति एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, अतः लैंगिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक–सामाजिक परामर्श की आवश्यकता है।
- एचआईवी से ग्रसित महिलाओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए; इससे उनकी आत्मधारणा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- एचआईसी से ग्रसित महिलाएं आमतौर पर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें सकारात्मक जोखिम उठाने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे उनके मनौवैज्ञानिक–शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
- मनौवैज्ञानिक–सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत काफी गंभीरतापूर्वक इस बात की सिफारिश की जाती है कि सरकारी एजेंसियां ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करें। समाज में चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम उपलब्ध कराई जाए, जो एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे मन से कार्य करें।
- यौन संबंधों और सुदृढ़ पारिवारिक वातावरण के संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। सुदृढ़ और संतुलित व्यक्तित्व समाज को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

3. "आंध्र प्रदेश में महिला सफाई कर्मचारियों" पर अध्ययन – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

हालांकि, हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को अछूतों से भी निम्न कोटि का समझा जाता है किंतु वे किसी एक अछूत जाति से संबंधित नहीं हैं। अलग–अलग राज्यों में उन्हें अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जैसकि 'हान', 'हाडी' (बंगाल), 'बाल्मीकि', 'धानुक' (उत्तर प्रदेश), 'मेतहर' (हैदराबाद), 'मेतहर', 'भंगी' (असम), 'पाकी' (तटीय आंध्र प्रदेश), 'थोटि' (तमिलनाडु) आदि। सफाई कर्मियों में यह आश्चर्य की बात है कि सभी राज्यों में महिला सफाई कर्मियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक है।

हाथ से सफाई करने में झाड़ू, टिन की छोटी प्लेटों और टुकड़ियों का प्रयोग करके मानव और पशु के मल–मूत्र को उठाना और उसे सिर पर ढोना शामिल है। वर्षा ऋतु के दौरान उन टोकरियों में रखी सामग्री सफाई कर्मी के

बालों, कपड़ों और उसके शरीर पर टपकती रहती है। इन महिला सफाई कर्मियों को घरों, कार्यालयों और समाज में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें अछूत जातियों से भी अधिक निम्न दृष्टि से देखता है। दस घंटे से भी अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात उन्हें अपने सभी घरेलू कार्यों को भी निपटाना पड़ता है।

उद्देश्य :

- अध्ययन क्षेत्र में मैला उठाने वाली महिलाओं और सफाई कर्मियों की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करना।
- मैला उठाने वाली महिलाओं और सफाई कर्मियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति और उनकी वास दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- मैला उठाने वाली महिलाओं और सफाई कर्मियों के परिवारों की आर्थिक स्थिति और उनकी वास दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- मैला उठाने वाली महिलाओं के बच्चों की जीवनशैली के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- मैला उठाने वाली महिलाओं की कार्य संबंधी दशाओं और कार्य की परिस्थितियों का अध्ययन करना।
- हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास की दिशा में सरकारी एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
- मैला उठाने वाली महिलाओं की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपायों का समुझाव देना।

क्रियाविधि :

- यह अध्ययन आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया गया। इस अध्ययन हेतु प्रारंभिक आंकड़े साक्षात्कार कार्यक्रमों, साक्षात्कार से प्राप्त मार्गदर्शनों, प्रेक्षण टिप्पणियों, सामूहिक विचार–विमर्शों के माध्यम से एकत्र किए गए।
- इस अध्ययन हेतु दो सौ महिला सफाई कर्मियों का साक्षात्कार लिया गया।

निष्कर्ष :

- अधिकांश सफाईकर्मी (98.5 प्रतिशत) अनुसूचित के लोग हैं। इस जाति के अधिकांश लोग सफाई के कार्य से जुड़े हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की है।
- इन महिलाओं के पास रहने का उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।
- इन लोगों के बीच साक्षरता की दर काफी कम है। इन समूहों के बच्चों में स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देने की दर काफी अधिक है।
- इनमें सफाई कर्मियों के परिवारों के स्वामित्वाधीन वस्तुतः कोई भूमि नहीं है। वे जो कुछ भी कमाते हैं, उसे अधिकांशतः खाने–पीने पर खर्च कर देते हैं।
- इनमें से अधिकांश परिवार (60 प्रतिशत) ऋण के बोझ से दबे हैं और साहूकारों पर निर्भर करते हैं।
- इनमें से लगभग 50 प्रतिशत सफाई कर्मी इस पेशे में 11–20 वर्ष की अल्पायु में प्रवेश करते हैं।
- सभी प्रकार की अपमानजनक परिस्थितियों के बावजूद इनमें से लगभग 50 प्रतिशत महिला सफाई कर्मी ठेका आधार पर काम करती हैं और उन्हें भविष्य के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती। उनमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाली रोजगार की सुरक्षा के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।

सिफारिशें :

सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिफारिशें की गईं तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सुझाव दिए गए। ये निम्नवत हैं:

केंद्र सरकार :

- सरकारी संस्थाओं जैसेकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन सफाई कर्मियों को कुछ कल्याण और विकासपरक उपाय उपलब्ध कराए जाएं।
- उपर्युक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा सफाई कर्मियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत समाधान प्रकोष्ठ गठित किया जाए।

राज्य सरकार :

- सफाई कर्मियों में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों और स्वच्छता के महत्त्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए।
- इन सफाई कर्मियों को गृह ऋण और उस पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
- सफाई कर्मियों को शिक्षा, पेय जल, जल–मल की उपयुक्त निकासी की व्यवस्था से युक्त आवासीय क्षेत्र., विद्युत, संचार सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।
- रोजगार के स्वरूप पर विचार किए बिना सभी सफाई कर्मचारियों को कपड़े, संरक्षी उपकरण, जूते, अन्य सामग्री, मातृत्व लाभ आदि उपलब्ध कराए जाएं।
- अस्थायी/ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को स्थायी रोज़गार उपलब्ध कराया जाए।
- सफाई कर्मियों को ट्रेड यूनियनों के बारे में जागरूक बनाया जाए और उन्हें इन यूनियनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।
- महिला सफाई कर्मचारी अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के विरुद्ध शिकायतें करती हैं। इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक निकाय/प्रकोष्ठ गठित किया जाए।
- सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोज़गारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें स्वयंसेवा समूहों (एस एच जी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- सफाई कर्मियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- माता–पिता को अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रेरित किया जाए।
- औपचारिक ऋण संस्थाएं सृजित की जाएं ताकि सफाई कर्मचारियों की साहूकारों पर निर्भरता कम हो सके।

स्थानीय निकाय :

- सफाई कर्मियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए कि सफाई कर्मियों को प्रत्येक माह समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
- स्थानीय सरकारी निकायों और राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

4. "उड़ीसा में बढ़ते प्रवसन का महिलाओं पर प्रभाव" – संसृष्टि, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

प्रवसन की प्रक्रिया का अर्थ है लोगों के समूह का किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, जिसके कारण एक भिन्न स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण प्रवसन करने वाले व्यक्तियों पर एक बाध्यकारी प्रभाव न केवल संरचनात्मक रूप में बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों में भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन यापन करना, शोषण का शिकार होना तथा भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना

भी शामिल है। महिला प्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद प्रवसन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता जबकि महिला प्रवासियों को आश्रित के रूप में देखा जाता है। हम प्रायः उनके व्यक्तिगत स्तर पर किए गए आर्थिक योगदान की अनदेखी कर देते हैं। गरीबी और रोज़गार की तलाश लोगों के प्रवसन का एक प्रमुख कारण रहा है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था कृषि–प्रधान है, जहां के अधिकांश कृषक छोटी जोत वाले हैं। मौसमी बेरोज़गारी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न करना, आदि के कारण ग्रामीण लोग अपने जिले के भीतर और उसके बाहर और अन्य पड़ोसी राज्यों में भी शहरी क्षेत्रों में प्रवसन के लिए बाध्य होते हैं। तेजी से हो रहे औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण महिला प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों के स्वैच्छिक और बाध्य होकर प्रवसन में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है।

उद्देश्य :

सामान्य उद्देश्य

- विकास और विशेषकर नीति निर्माण के महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में महिलाओं की आवश्यकताओं को स्थान दिया जाए।

विशिष्ट उद्देश्य

- महिलाओं के संदर्भ में उत्तरजीविता हेतु किए गए प्रवसन को परिभाषित करना।
- अध्ययन क्षेत्र – अंतर–राज्यीय या अंतरा–राज्यीय में प्रवसन और इसके कारणों की जांच करना।
- कार्य, भोजन, स्वास्थ्य, हिंसा के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा पर उनके प्रवसन के प्रभाव का आकलन करना।
- प्रवसन के कारण सृजित महिला प्रधान परिवारों की दशा का अध्ययन करना।
- प्रवसन के कारण महिलाओं के कार्य में बदलाव का अध्ययन करना।
- प्रसन को रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई निर्धनता उन्मूलन स्कीमों तक महिलाओं की पहुंच का आकलन करना।
- इस विषय पर सिफारिशें करना।

क्रियाविधि :

- इस अध्ययन में स्थल आधारित अनुसंधान पर बल दिया गया। फील्ड सर्वेक्षण हेतु यह अध्ययन दो जिलों अथात नूआपाड़ा और बोलंगीर में किया गया। इन दो जिलों का चयन गैर–सरकारी संगठनों और प्रवसित हुए लोगों से विचार–विमर्श करने के बाद किया गया।
- इस अध्ययन में ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखा गया जो प्रायः वंचित वर्ग से हों, भूमिहीन हों और अत्यधिक हाशिये पर स्थित परिवारों से संबंधित हों। साथ ही, जो पति द्वारा प्रवास के पश्चात अकेली रह गई हों।
- इस अध्ययन हेतु एक बहु–विधि दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें मुख्य बल स्तरित गुणात्मक दृष्टिकोण पर दिया गया है, विशेषकर इस दृष्टिकोण के अंतर्गत महिलाओं के ज्ञान और उनकी जागरूकता के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए महिलाओं के साथ गुणात्मक साक्षात्कार करने पर बल दिया गया है। नूआपाड़ा और बोलंगीर के प्रत्येक जिले से ऐसी 40 महिलाओं का चयन किया गया तथा महिलाओं के स्व–सेवा समूह के सदस्यों, वृद्ध महिलाओं और प्रवसित महिलाओं के साथ सामूहिक विचार–विमर्श करने पर बल दिया गया।
- राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर सरकारी कार्यालयों से आंकड़े एकत्रित किए गए।

- महिलाओं पर प्रवसन के प्रभाव का विशेष उल्लेख करने के लिए कुछ मामलों में विशेष मामला अध्ययन किया गया।
- प्रारंभिक आंकड़ों के अतिरिक्त जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, मानव विकास रिपोर्ट, गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त सामग्रियों से द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए।

निष्कर्ष:

- आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों से संपूर्ण परिवार मुंबई, सूरत, नागपुर, रायपुर, बेंगलुरु, भिलाई जैसे शहरों में भवन निर्माण कार्यों में कार्य करने के लिए प्रवसन करते है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवार के पुरुष सदस्य इन शहरों में जाकर रिक्शा चलाने का कार्य भी करते हैं। यह देखा गया कि जिन परिवारों ने प्रवास किया, उनके सदस्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और दैनिक मजदूरी के आधार पर श्रम करना था। इन परिवारों के पुरुषों को उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी दैनिक मजदूरी हेतु प्राथमिकता दी जाती है जबकि महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता है।
- प्रवसन करने वाले परिवारों की आय का दूसरा मुख्य स्रोत वनोत्पादों का एकत्रण है। धीरे–धीरे वनोत्पादों पर स्थानीय लोगों के अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और इसके कारण स्थानीय लोगों के लिए अपने इलाकों में अपनी आजीविका अर्जित कर पाना काफी कठिन हो गया है।
- प्रवसन करने वाली महिलाओं के लिए आयु एक महत्त्वपूर्ण उपादान है। 16 से 24 वर्ष के आयु–वर्ग की 80 प्रतिशत महिलाएं भिन्न–भिन्न स्थानों के लिए प्रवसन करती हैं। जिन दो क्षेत्रों में अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किए गए, वे क्षेत्र सूखा–प्रभावित थे, जहां से 90 प्रतिशत महिलाओं ने आंध्र प्रदेश में ईंट के भट्टों में कार्य करने के लिए प्रवसन किया।
- ऐसा ज्ञात होता है कि बोलंगीर और नूआपाड़ा जिलों के महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा आजीविका अर्जित करने के लिए अल्पकालिक प्रवसन को अपनाया गया।
- प्रवसन करने वाले परिवारों के स्वामित्वाधीन भूमि की स्थिति का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इनमें से 28 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। इनके स्वामित्वाधीन लगभग आधी भूमि कृषि हेतु अनुपयोगी है। अतः आजीविका निर्वाह के लिए केवल भूमि पर स्वामित्व होना ही पर्याप्त नहीं है। कम उत्पादन, काम की कमी, कम और अनियमित भुगतान, ऋण के भारी बोझ के कारण ऐसे परिवारों के लोग कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रवसन हेतु बाध्य होना पड़ता है।
- चूंकि ये दोनों जिले सूखा–प्रवण जिले हैं, अतः जब कभी भी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो इन क्षेत्रों के सीमांत किसान और छोटे किसान साहूकारों को अपनी भूमि बेचने या बंधक रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह कर्ज, निर्धनता, भूख और प्रवसन सहित संबद्ध गंभीर समस्याओं को उत्पन्न करने का एक अंतर्निहित कारण है।
- चूंकि परिवार के लिए छह से लेकर सात महीनों तक भोजन की उपलब्धता में कमी रहती है, अतः वे प्रवसन हेतु सहमत हो जाते हैं क्योंकि दलाल उन्हें भोजन की अनुपलब्धता वाले महीनों के दौरान भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं।
- घरेलू खर्चों, विवाह, त्योहारों, परिवार के सदस्यों की मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले आयोजनों, चिकित्सीय व्यय, पहले लिए गए कर्जों के भुगतान, शिक्षा आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए गरीब किसान प्रायः साहूकारों से कर्ज लेते हैं और उसके बदले अपनी भूमि उन्हें गिरवी रख देते हैं। ऐसे मामलों में जमींदार गरीब लोगों से काफी ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं

जिसे प्रायः गरीब किसान चुकाने में विफल रहते हैं। ऐसे ऋणों की शर्तें काफी कठोर होती हैं और उनमें कोई छूट प्राप्त कर पाना इन गरीब किसानों के लिए संभव नहीं होता।

- ऋण को चुकाने और इन साहूकारों के कोप से बचने के लिए ये लोग श्रमिक ठेकेदारों से अग्रिम राशि लेते हैं। इन समुदायों पर केंद्रित सामूहिक विचार–विमर्श से यह ज्ञात होता है कि ऐसे परिवारों के लोग वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में गांव में रहने वाले श्रमिक ठेकेदारों से संपर्क रखते हैं। इसके कारण वे और संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि वे कर्ज के दुर्भेद्य चक्र में और गहरे फंस जाते हैं। अंततः उन्हें दलाल को चुकाने के लिए अपने मूल स्थान से प्रवसन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वे ऐसी स्थिति में नहीं रहते कि वे अपने कार्यस्थल पर कार्य की बेहतर दशाओं और सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी प्राप्त करने के लिए इन श्रमिक ठेकेदारों से कोई मोल–तोल कर सकें।
- न तो जिला श्रम अधिकारी और न ही पंचायत को संबंधित क्षेत्रों से प्रवसन करने वाली महिलाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त है।
- प्रवसन करने वाले लोग वितरण सुविधाओं के संदर्भ में पंचायत के अधिकारियों द्वारा धोखा और शोषण का शिकार होते हैं, विशेषकर महिला प्रधान परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं क्योंकि ऐसे परिवारों की मुखिया महिलाएं पंचायत कार्यालय में नहीं जा पातीं। सरकारी पक्ष द्वारा इन्हें इन महीनों के दौरान काम उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया जाता।
- प्रवसन की प्रक्रिया में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण होती है।
- अज्ञानता और जागरूकता की कमी एक प्रमुख बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी व्यक्तियों के पास बी पी एल कार्ड भी नहीं हैं जिनके कारण उन्हें नियमित रूप से सरकारी राशन भी प्राप्त नहीं हो पाता।
- अधिकांश महिलाओं अर्थात 57.5 प्रतिशत महिलाओं को सरकार की नरेगा योजना के अंतर्गत काम नहीं मिला। नरेगा के अंतर्गत कार्य का आबंटन इन गांवों में पूरी तरह से नहीं है। कुछ ग्रामीणों के पास कार्ड है और कुछ ग्रामीण परिवारों ने इसके लिए आवेदन किया है किंतु उन्हें अभी तक यह कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्ड के जरिए काम की उपलब्धता काफी अनियमित है।
- गांवों में प्रवसन अक्तूबर–नवंबर के महीने में शुरू हो जाता है और मई–जून तक जारी रहता है। प्रवसन के महीनों के दौरान सभी ठेकेदार/ दलाल शहर में आकर जम जाते हैं और लोगों को गांव से बाहर शहरों में कार्य करने के लिए भर्ती करना शुरू कर देते हैं। सभी प्रवसित होने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को सरदार और दलाल कार्यस्थल पर लेकर चले जाते हैं।
- जिन परविारों द्वारा अधिक कर्ज लिया जाता है, वे अपने कर्ज को चुकाने के लिए दिन में लगभग 16 घंटे तक कार्य करते हैं। पारिश्रमिक का भुगतान प्रायः परिवार के मुखिया को जो विशेषकर पुरुष होता है, किया जाता है। परिवार के अन्य कार्यशील सदस्यों को अलग–अलग कोई भुगतान नहीं किया जाता।
- प्रवसन करने वाली महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने घर से निकलने पर यात्रा के दौरान अनेक बार महिलाओं को दूसरे सह–यात्रियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। काम के लिए जाते समय और कार्यस्थल से वापस आते समय महिलाएं छेड़छाड़, बलात्कार और कभी–कभी अपहरण का शिकार भी हो जाती हैं।

- नूआपाड़ा और बोलंगीर की महिलाएं, जिनके पतियों द्वारा प्रवसन किया गया है, अपने परिवारों की देखभाल स्वयं करती हैं। वे दो–तीन महीनों तक अपने घरेलू उत्पादन पर निर्वाह कर सकती हैं और जब उन्हें कहीं अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे अपनी फसल को बेचकर उसका निपटान करती हैं; जिसके बाद उन्हें प्रायः दैनिक मजूदरी करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। इन महिलाओं को वर्ष के दौरान अपने गांव के भीतर 10–15 दिनों का काम भी नहीं मिल पाता और वे काम की तलाश में नजदीकी गांवों में भी नहीं जा सकतीं। इसी कारण वे महुआ के फूल और केंदु की पतियों जैसे वनोत्पादों के एकत्रीकरण में जुट जाती हैं। किंतु इस कार्य से भी उन्हें वर्ष भर में 200–300 रुपए तक की प्राप्ति हो पाती है।
- ऐसे वृद्ध व्यक्तियों जिनके पुत्र और पुत्रवधु भी प्रवसन कर जाते हैं, को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें वित्तीय संकट का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही अस्वस्थ होने की स्थिति में उनके आसपास उनकी सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। ऐसे लोगों को समान रूप से उत्पीड़न और शोषण का शिकार होना पड़ता है।
- प्रवसन करने वाले लोगों के बच्चों पर सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपने माता–पिता के साथ प्रवसन करने वाले बच्चों का स्कूल छूट जाता है। प्रवसन के महीनों के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर काफी अधिक होती है।

सिफारिशें :

- बोलंगीर और नूआपाड़ा में प्रवसन की समस्या के समाधान हेतु राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।
- जिन गांवों से प्रवसन हो रहा है, उनमें आजीविका के पोषणीय साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के लिए आय के पूरक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कठोर नीतियां तैयार की जाएं।
- प्रवसन, मानव दुर्व्यापार, श्रम कानूनों और रोज़गार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित नीतियों को परस्पर–संबद्ध किया जाए।
- महिलाओं के अधिकारों और उन्हें न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आधार स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- प्रवसन पर निगरानी रखने और उस पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाए।
- जिला श्रम कार्यालय में श्रमिक ठेकेदारों का पंजीकरण किया जाए।
- महिला प्रवासियों की शिकायतों के समाधान हेतु उनके द्वारा जिस राज्य/जिले में प्रवास किया गया है, उसमें कार्य कर रहे महिला संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों के बीच तालमेल होना चाहिए।

5. महिला संसाधन अधिकार के बारे में कार्यसूची अध्ययन : "दिल्ली में संसाधिनी कार्यक्रम" के लिए एक मामला तैयार करना

प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्य

- दिल्ली के विभिन्न जिलों में महिलाओं की आजीविका के साधनों तथा सरकार और बाजार द्वारा उपलब्ध कराए गए आजीविका के साधनों के आधार पर विभिन्न महिला समूहों की स्थिति का अध्ययन करना।

- ऐसी महिलाओं और वे जिस समुदाय में रहती हैं, उसकी मौजूदा आवश्यकताओं का उनके द्वारा वर्तमान में की जा रही सेवाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना।
- यह ज्ञात करना कि महिलाएं जिनकी हकदार हैं और अधिकार आधारित दृष्टिकोण के मुकाबले प्रणाली से वे जो कुछ भी प्राप्त कर पा रही हैं, उनके बीच क्या अंतर है।
- आवास, भूमि और संसाधन अधिकारों के संबंध में समूह दृष्टिकोण पर आधारित समाधानों का सुझाव देना।

क्रियाविधि

इस अध्ययन के दौरान समुदाय, विशेषकर महिलाओं से उनके आस–पास के क्षेत्रों में ज़ोनों या संसाधिनी की स्थापना करने के लिए सामग्री, मार्ग, महत्त्वपूर्ण मुद्दों और प्रबंधन से संबंधित जानकारियों के संबंध में सूचना प्राप्त की गई।

भौगोलिक क्षेत्रों का चयन

यह अध्ययन कार्यक्रम दिल्ली के बवाना, बनुवाल नगर, रोहिणी के सरस्वती विहार, आईटीओ के पीछे स्थित राजीव गांधी झोंपड़ी पट्टी और यमुना पुश्ता क्षेत्रों में आयोजित किया गया।

प्रारंभिक आंकड़े बवाना के 76 परिवारों, जाकिर नगर में रहने वाली 30 मुस्लिम महिलाओं और दक्षिण दिल्ली में रहने वाली 20 एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं से एकत्र किए गए। परिवारों का संरक्षण करने के अतिरिक्त 8 विषय–केंद्रित समूहों के साथ चर्चाएं भी आयोजित की गई हैं, जिनमें 6 समूह महिलाओं के और 2 समूह पुरुषों के थे।

परिणाम

- बवाना में जिन परिवारों से आंकड़े एकत्र किए गए, उनमें महिलाओं के स्वामित्व में 18 या 12 वर्ग मीटर के प्लाट पर बने मकान थे जो उन्हें पुनर्वास पैकेज के रूप में सात वर्षों की अवधि तक के लिए पट्टे पर दिए गए थे। इससे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होती है किंतु इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। परिवार इस समय महिलाओं के स्वामित्वाधीन परिसरों में रह रहा है, किंतु ऐसा संभव है कि उन महिलाओं का संपत्ति के दस्तावेज या संपत्ति पर नियंत्रण न हो;
- अधिकांश मामलों में मकान पर बुजुर्ग महिलाओं, जिनमें से अधिकांश सास थीं, का स्वामित्वाधिकार ज्ञात हुआ। इस सर्वेक्षण से वे अपनी मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम हुई;
- महिलाओं के पास कुछ आभूषण थे जिन्हें वे अपना कह सकती थीं;
- अधिकांश महिलाओं ने यह कहा कि उनके घर में जो कुछ भी है, वह सभी का है। किंतु वे यह भी महसूस करती हैं कि कानूनी संदर्भ में उनके पास कोई संपत्ति नहीं है और उनकी स्थिति वस्तुतः दयनीय है। उनके पास जो एकमात्र संपदा है, वह यह है कि वे घरेलू श्रम कर सकती हैं जिसके द्वारा वे अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ अर्जित कर सकती हैं;
- अधिकांश महिलाएं वर्ष में एक बार अपने मूल स्थान को जाती हैं बशर्ते आर्थिक दृष्टि से वे ऐसा करने में सक्षम हों। केवल 10 प्रतिशत महिलाएं ही दिल्ली में लगातार रहती हैं जिसका कारण यह है कि उनके विधवा होने के कारण या आर्थिक अथवा भावनात्मक कारणों से उनके परिवार द्वारा उन्हें पारिवारिक व्यवस्था से बाहर करके परित्याग कर दिया गया है;
- 90 प्रतिशत महिलाओं के पास उनके जन्म स्थान से प्रायः कोई न कोई आता रहता है जो उनके साथ तब तक रहता है जब तक कि उसे दिल्ली में कोई रोजगार न मिल जाए;

- इन महिलाओं को उपलब्ध कार्य और अवसर खिलौने बनाने और औद्योगिक वस्तुओं तथा वस्त्र उद्योग, घरेलू और फैक्टरी के कार्य में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री तैयार करने के क्षेत्र में प्राप्त होता है;
- इनमें से अनेक महिलाएं कपड़े काटना और सीलना तथा टेडी बियर्स बनाना जानती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें खाना पकाना भी आता है तथा वे कृषि कार्य से संबंधित जानकारियां भी रखती हैं तथा उन्हें बागबानी और पुष्पी पौधों को उगाने या उनकी देखभाल करने से संबंधित कार्य में नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, दाई का कार्य, एच आई वी ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण, बस्ती सेविका भवन में प्रशिक्षण भी प्राप्त है;
- एफ और जी ब्लॉकों में अनेक स्थलों का उनके प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है; इसके बदले उन स्थलों का प्रयोग कूड़ा डालने और मल–मूत्र त्याग करने के लिए स्थान के रूप में किया जा रहा है।
- **उत्पादक संसाधन जिन्हें महिलाएं प्राप्त करना चाहेंगी, निम्नलिखित हैं:**
  - 22 प्रतिशत महिलाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हैं।
  - 6 प्रतिशत महिलाएं धन अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहती हैं।
  - 18 प्रतिशत महिलाएं कोई भी सहायता प्राप्त नहीं चाहतीं क्योंकि वे उन्हें जो कुछ भी प्राप्त है, उससे संतुष्ट हैं।
  - 5 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी कोई बात नहीं बताई।
  - 5 प्रतिशत महिलाएं अपनी बचत राशि को जमा करने के लिए बैंक में अपने नाम से खाता खोलना चाहती हैं।
  - 9 प्रतिशत महिलाएं लघु ऋण सेवाओं के लिए स्व–सेवा समूहों में शामिल होना चाहती हैं।
- 65 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना चाहती हैं जबकि 10 प्रतिशत महिलाएं वे जिस रूप में भी रह रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहतीं।
- महिलाओं के नाम पर संसाधनों में वृद्धि करने का समाधान परिसंपत्ति सृजन हेतु एक सामूहिक दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में केंद्रित समूह से चर्चा से विचारों के बजाए ज्ञात हुए कुछ छोटे–छोटे उपायों का विवरण निम्नवत है।
- 50 प्रतिशत महिलाओं को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। 15 प्रतिशत महिलाओं को स्कीमों के संबंध में जानकारी थी किंतु उन्हें इन स्कीमों की सही प्रक्रिया का ज्ञान नहीं था।
- केंद्रित समूह से विचार–विमर्श के दौरान कार्य में लगी महिलाओं द्वारा एक सूचना केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई। इस क्षेत्र में नवज्योति, प्रयास और अन्य गैर–सरकारी संगठनों के लिए पहले से ही सामुदायिक केंद्र मंजूर किया गया है। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि इन केंद्रों का इस्तेमाल घरेलू और निर्माण कार्य से जुड़े कामगारों के लिए नियोजन केंद्र के रूप में किया जाए।
- महिला समूह द्वारा उनके लिए सत्संग भवन स्थापित करने की मांग की गई, जहां वे ईश्वर की उपासना कर सकें और उस स्थान का उपयोग सामुदायिक बैठकों के लिए भी कर सकें।

- समुदाय के लिए राशन की दुकान पहली प्राथमिकता है। महिलाओं को राशन प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत की अन्य महिलाओं के समान ही एच आई वी पॉजिटिव महिलाओं को भी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एच आई वी पॉजिटिव होने के कारण उनकी दशा और भी दयनीय है।

अध्ययन से ज्ञात हुई अपेक्षित कार्रवाइयों का विवरणः

1. सरकार और बाजार के एक दायित्व के रूप में महिला संसाधन अधिकारों को सुनिश्चित करने की एक नीति।
2. महिलाओं के समूहों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के संबंध में सूचना और आवेदन की प्रणाली विकसित की जाए। यह प्रणाली राज्य महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया एक क्रियाकलाप हो, जो महिलाओं के लिए संसाधन आधार में वृद्धि करने के विशिष्ट लक्ष्यों के दृष्टिगत कार्य करे, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक जिले में पुरुष और महिला स्वामित्व के बीच समानता लाना हो।
3. यदि कोई नवनिर्मित भवन उपलब्ध न हो तो पहले से निर्मित अवसंरचना को विकसित करने के लिए धनराशि आबंटित की जाए।
4. ये पायलट परियोजनाएं भारत के आठ अलग–अलग राज्यों में चलाई जा रही अन्य दस परियोजनाओं से संबद्ध होंगी, जो एक प्रवसन मार्ग के रूप में दिल्ली से जुड़ेंगी।
5. उपर्युक्त की प्राप्ति हेतु गैर–सरकारी संगठन 'साथी' द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सिविल सोसाइटी विंडो स्थापित करने की मांग की जाती है, जो सरकार को लैंगिक समानता की दिशा में कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी।

6. "पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिला लघु उद्यमों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव"

एल आई एस एस इंडिया, कोठामंगलम, केरल द्वारा किया गया अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला लघु उद्यमों द्वारा केरल में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में निभाई जाने वाली भूमिका सुनिश्चित करना।
2. केरल में महिलाओं के सशक्तीकरण में महिला लघु उद्यमों की व्यवहार्य की जांच करना।
3. इस क्षेत्र में सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों की भूमिका का पता लगाना।
4. महिला लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने में बैंकों, उद्योगों आदि सहित विभिन्न वित्तीय एजेंसियों और तकनीकी एजेंसियों की भूमिका का पता लगाना।
5. यह ज्ञात करना कि क्या महिला सशक्तीकरण से महिला लघु उद्यमों को सफलता प्राप्त होती है या महिला लघु उद्यमों के सफल होने से महिलाओं का सशक्तीकरण होता है।
6. महिला लघु उद्यमों द्वारा झेली जा रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाना।
7. सरकार को उपर्युक्त उपायों के संबंध सुझावों की सिफारिश करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

अध्ययन हेतु एर्णाकुलम, पालघाट और इडुकी – इन तीन जिलों का चयन किया गया। अपेक्षित सूचनाएं प्रारंभिक और द्वितीयक आंकड़ों के जरिए एकत्र की गई। प्राथमिक आंकड़े 30 वित्तपोषी एजेंसियों, 90 व्यक्तिगत लघु उद्यमों और 330 समूह उद्यमों से एकत्र किए गए।

रिपोर्ट में 7 अध्याय शामिल हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

i. भूमिका
ii. सैद्धांतिक व्यवस्था
iii. आनुभाविक विश्लेषण
iv. मामला अध्ययन
v. कार्यकारी सारांश
vi. निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्ययन के निष्कर्ष

- अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाली अधेड़ आयु की महिलाओं ने पंचायत राज प्रणाली का बेहतर प्रयोग किया है;
- 30 प्रतिशत लाभभोगियों ने सातवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त थी, 53.3 प्रतिशत लाभभोगियों को हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त थी और केवल 16.7 प्रतिशत लाभभोगियों ने प्री–यूनिवर्सिटी स्तर तक की पढ़ाई की थी;
- ये महिला लघु उद्यम अनेक उत्पादों का उत्पादन करते हैं; 90 व्यक्तिगत लघु उद्यमों में से 34.4 प्रतिशत खाद्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं; 6.7 प्रतिशत घरेलू उपकरण और अन्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं; 3.3 प्रतिशत तैयार वस्त्रों का उत्पादन करते हैं और 55.6 प्रतिशत अनेक अन्य वस्तुओं जैसेकि खाद्य वस्तुओं, साबुन आदि का उत्पादन करते हैं;
- अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि उनमें से 65.6 प्रतिशत को पंचायत से धन प्राप्त हुआ तथा 34.4 प्रतिशत को कुडुम्बाश्री से धनराशि प्राप्त हुई;
- 95.6 प्रतिशत लाभभोगियों ने निधि का उपयोग लघु उद्यमों के लिए। शेष 4.4 प्रतिशत ने निधि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया।
- लघु उद्यम की सफलता रोजगार सृजन के संबंध में उनकी उपयोगिता के रूप में की जा सकती है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि उनमें से 74.5 प्रतिशत में 5 से भी कम कर्मचारी काम करते हैं; उनमें से 13. 7 प्रतिशत 5–10 व्यक्तियों को रोजगार दे सके तथा उनमें से 11.8 प्रतिशत में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

  सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि उनमें से 90 प्रतिशत को अपने उद्यम से प्रतिमाह 1000/– रुपए तक की आय प्राप्त होती है। उनमें से 7.8 प्रतिशत की आय 1000–3000 रुपए के बीच तथा 2.2 प्रतिशत की आय 5000/– रुपए से अधिक है।
- सशक्तीकरण का मापन कतिपय गुणात्मक सूचकांकों जैसेकि जीवन स्तर में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, संप्रेषण कौशल में सुधार, मितव्ययता और बचत की आदत डालने की क्षमता तथा आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि के संदर्भों में किया जा सकता है। सभी महिलाओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उन लोगों ने इन संदर्भों में काफी अधिक प्रगति की है;
- सशक्तीकरण इन महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी से भी दृष्टिगोचर होता है। यह ज्ञात हुआ है कि उनमें से 94.4 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी ग्राम सभा में है। उनमें से 11.1 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायती राज चुनावों में भाग लिया। उनमें से 53.3 प्रतिशत महिलाएं स्वैच्छिक संगठनों में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से 92.2 प्रतिशत अपने अड़ोस–पड़ोस में निर्मित महिला समूहों में अध्यक्ष/सचिव/खजांची जैसे पदों पर कार्य कर रही हैं।
- 9.1 प्रतिशत महिलाओं को अपने उद्यमों को केवल इसलिए बंद कर देना पड़ा कि उन्हें संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में उचित जानकारी प्राप्त नहीं थी तथा 27.3 प्रतिशत महिलाएं ऐसी समस्याएं झेल रही हैं।

- यह ज्ञात हुआ है कि महिलाएं एक व्यक्ति के स्वामित्वाधीन एकल लघु उद्यमों की तुलना में सामूहिक लघु उद्यमों को शुरू करना अधिक पसंद करती हैं। इसका कारण यह है कि सामूहिक उद्यमों की पूंजी राशि एक व्यक्ति के स्वामित्व में शुरू की गई लघु उद्यम की राशि की तुलना में अधिक होती है।
- आर्थिक विकास का मापन व्यक्ति की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में किया जा सकता है। इन महिलाओं में से 89.7 प्रतिशत ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनकी आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार हुआ है।
- 31.8 प्रतिशत महिला उद्यमियों को अपने लघु उद्यमों को चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से 40 प्रतिशत को वित्तीय समस्याएं, 7.6 प्रतिशत को रोजगार संबंधी समस्याएं तथा 20 प्रतिशत को विपणन संबंधी समस्याएं थीं। केवल 4.8 प्रतिशत महिलाओं को तकनीकी समस्याएं थीं।

केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें

- उद्यम के सफलतापूर्वक और निर्बाध कार्यकरण हेतु आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित उपाय किए जाएं।
- उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार द्वारा विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जाए।
- महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं।

राज्य सरकार के लिए सिफारिशें :

- भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।
- उद्यमों के सफल और निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- सरकार द्वारा ब्लॉक/ जिला स्तर पर महिला लघु उद्यमों का एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाए, जो यूनिटों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद करके उन्हें अपने विक्रय केंद्रों के जरिए बेचे।
- प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।
- त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए, जहां आकर्षक छूट देकर इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री की जा सके।

- व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए। एक शीर्ष निकाय उत्पाद का एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत विपणन कर सकता है।
- शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा कर सकती है।
- महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए और इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी की स्थापित की जाए।
- मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
- सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं।

स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए सिफारिशें

- अनेक महिला लघु उद्यमों के बाद में चलकर विफल होने का कारण यह रहा कि परियोजना का अभिनिर्धारण उपयुक्त रूप में नहीं किया गया था, जिसके कारण संबंधित यूनिट व्यवहार्य नहीं रही। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि भावी महिला उद्यमियों को उपयुक्त परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- नए उद्यमियों को ऐसी यूनिटें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनमें स्थानीय कच्ची सामग्रियों का उपयोग हो, जो कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होती हैं।
- भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।

- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।
- त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए। व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए।
- शीर्ष निकाय द्वारा एक जैसी यूनिटों के उत्पादों की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करके एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत उन उत्पादों का विपणन किया जा सकता है।
- शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- महिला समूहों के अनेक लघु यूनिट समूह के सदस्यों के बीच मतैक्यता न होने के कारण विफल हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यह होता है कि इन समूहों का गठन केवल एक लघु यूनिट आरंभ करने के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों की पेशकश की जाती है। अतः केवल ऐसी महिला समूहों को ही सामूहिक लघु यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनका विगत रिकार्ड सही हो।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- सफल महिला उद्यमों के साथ परस्पर संपर्क के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाए।
- इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी स्थापित की जाए। मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

अन्य एजेंसियों (गैर–सरकारी संगठनों) के लिए सिफारिशें

- यह सुनिश्चित किया जाए कि भावी उद्यमियों को उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- नए उद्यमियों को ऐसी यूनिटें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनमें स्थानीय कच्ची सामग्रियों

का उपयोग हो, जो कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होती हैं।

- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए, जहां आकर्षक छूठ देकर इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री की जा सके। व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया जाए।
- सफल महिला उद्यमों के साथ परस्पर संपर्क के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाए।
- उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

5A राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनकी जाति, वंश, धर्म, वर्ण और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना न्याय और समानता की गारंटी दी गई है। महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं तथा मौजूदा नियमों में संशोधन भी किए गए हैं ताकि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से निपटा जा सके। इन उपायों के बावजूद, महिलाओं के साथ अपराध जैसेकि दहेज हत्या, तेज़ाब से हमले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि अभी भी जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने की दिशा में आयोग को प्रदत्त मूल अधिदेश का निर्वहन करते हुए आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान कानूनी पहलुओं के संबंध में सरकार के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसी वर्ष के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययनों को भी प्रायोजित किया है । इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सिफारिशों का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन हेतु नीचे उल्लेख किया गया है:

वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के विधि प्रकोष्ठ द्वारा की गई सिफारिशें:

1) महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की समीक्षा

सिफारिशें

चूंकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया जा चुका है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना है कि इस कानून का उचित और प्रभावी रूप में क्रियान्वयन हो। महिलाओं को इस कानून के उपबंधों के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने हित में इस कानून का उपयोग कर सकें। इस दिशा में आयोग के विधि प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

संरक्षण अधिकारी

(i) पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर संविदा आधार पर नियुक्ति किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(ii) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक सहायक व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें विशेष संरक्षण अधिकारी और उनकी सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध हो सके।

(iii) संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाए बशर्ते कि उनके पास कार्यालय, परिवहन व्यवस्था, कर्मचारी आदि जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

(iv) संरक्षण अधिकारियों की संख्या इतनी पर्याप्त हो कि वे तालुका/ ब्लॉक स्तर पर पहुंच सकें तथा प्रत्येक पंचायत में एक महिला न्याय समिति गठित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(v) आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा अपनाई गई घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) सूचकांक मॉडल को इस निर्देश के साथ सभी राज्यों को परिचालित किया जाए कि इस मॉडल को उन राज्यों द्वारा अपनाया

जाए। संरक्षण अधिकारी को घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) के रखरखाव हेतु प्रभारी नियुक्त किया जाए तथा संरक्षण अधिकारी द्वारा समन आदि जारी करने से संबंधित रिकार्ड को दर्ज किए जाने वाले सेवा रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

(vi) पुलिस/महिला एवं बाल विकास विभाग/ संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक के बीच भूमिका सुनिश्चित और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में व्यापक प्रचार किया जाए।

सेवा प्रदाता

(i) अधिनियम के नियम 11 के अनुसार सेवा प्रदाता के संबंध में अधिसूचना जारी करना आवश्यक है। सेवा प्रदाताओं की उपयुक्तता के संबंध में विधिवत सत्यापन किए जाने के पश्चात उनका पंजीकरण अवश्य किया जाए तथा उनके फोन नंबरों और पतों को निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाए और उपलब्ध कराया जाए।

(ii) धारा 10 के तहत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता को डी आई आर रिकार्ड करने और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है।

(iii) यह उपबंध ऐसे गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण भी कराया है या जिनका संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, के लिए अवरोधक है और उन्हें प्रथम दृष्टया आधार पर महिलाओं की सहायता करने से रोकता है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(iv) सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मानचित्र संबंधी सूचनाएं तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

(v) परामर्शदाताओं के लिए मानदेय का प्रावधान

(vi) ऐसे सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए जो अपना पंजीकरण करा पाने में विफल रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति को सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं।

आश्रय गृह एवं चिकित्सीय सुविधाएं

(i) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं को अधिसूचित करने की आवश्यकता।

प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण एवं प्रसार :

(i) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में शामिल स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा संरक्षण अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस एवं न्यायपालिका के लिए अलग से प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) हिंसा के शिकार व्यक्तियों की सहायता के लिए अन्य प्रमुख घटकों, जैसेकि ग्राम पंचायतों और समाज न्याय समितियों, स्वयं सेवा समूहों और परिसंघों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों आदि के लिए अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए मीडिया अभियानों को चलाकर कानून के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

(iv) अधिनियम का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना ताकि इसका आसानी से प्रचार–प्रसार किया जा सके तथा लोग इसे समझ सकें।

केंद्रीय एवं राज्य सरकारें

(i) बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित करना : घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को मदद पहुंचाने के

लिए संरक्षण अधिकारियों, पुलिस, विधि सेवा प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, परामर्शदाताओं आदि के बीच एक बहु–एजेंसी अनुक्रिया सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इस अनुक्रिया के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल तथा सिविल समाज के संगठनों के बीच भागीदारी की आवश्यकता है।

(ii) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बजट का पर्याप्त आबंटन।

(iii) परिवार न्यायालयों/फास्ट ट्रैक न्यायालयों को प्रबल/सशक्त बनाना – ऐसे न्यायालयों द्वारा सभी मामलों पर निर्णय किया जाना है।

(iv) आश्रय गृहों की संख्या में वृद्धि करना – इसके लिए आउटसोर्स किया जा सकता है तथा कारपोरेट क्षेत्रों से अंशदान प्राप्त करके निजी क्षेत्रों की भागीदारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए कर में रियायतें प्रदान की जा सकती हैं।

(v) पारिवारिक विवादों के समाधान और उनमें मध्यस्थता के लिए महिला आयोगों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।

एकल खिड़की निष्पादन/ भूमिका की स्पष्टता

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आईपीसी की धारा 498क, घरेलू हिंसा अधिनियम इन अर्थों में अति व्याप्त होते हैं कि वे सभी वैवाहिक संबंधों में असमन्वय और हिंसा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
- राज्य सरकारों ने इन अधिनियमों के क्रियान्वयन में अलग–अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं – कुछ राज्यों में पुलिस/समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों आदि को दहेज प्रतिषेध अधिकारियों/संरक्षण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- इस प्रणाली के कारण कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होती है।
- सीआरएल सीपीडब्ल्यूपी संख्या 539/86 – डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.12.1996 के निर्णय में दिया गया आदेश :

  बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग शिकायत की उपयुक्तता और यथार्थता के संबंध में कुछ जांच किए जाने के पश्चात केवल इस बात का उपयुक्त रूप में समाधान हो जाने के पश्चात तथा यह विश्वास हो जाने के पश्चात कि गिरफ्तारी करना दोनों व्यक्तियों के लिए अनिवार्य और आवश्यक है, किया जाए।

- अनेक राज्यों में पुलिस अब परामर्श और समझौता कराने का सहारा ले रही है तथा आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दिशा में आंध्र प्रदेश के मॉडल को अपनाकर घरेलू हिंसा अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 498क का उपयुक्त रूप में समावेश करके पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।
- आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर भी परामर्श और समझौता कराने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और संबंधित व्यक्तियों को आरोपित करके उन्हें गिरफ्तार करने की, क्योंकि इस संबंध में उपबंध संज्ञेय और गैर–जमानती है।
- ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश मॉडल से उपयोगी लाभ प्राप्त हो सकता है।
- यह पुलिस और संरक्षण अधिकारी के बीच भूमिका की स्पष्टता भी सुनिश्चित करता है तथा एजेंसियों के बीच उचित समन्वय भी सुनिश्चित करता है।

❑ आयोग की यह प्रबल राय है कि परामर्श का कार्य पुलिस द्वारा न किया जाए बल्कि इसके लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी की सेवाएं ली जाएं तथा उसके पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

(i) घरेलू घटना रिपोर्ट (डी आई आर) को कौन लिख सकता है और मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है। धारा 9ख के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करे, धारा 10(2)(ख) के अंतर्गत सेवा प्रदाता घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और उसे मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकते हैं। नियम 5 के अंतर्गत, केवल संरक्षण अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही डी आई आर लिखने के लिए प्राधिकृत हैं।

ये उपबंध अत्यधिक अवरोधक प्रकृति के हैं और ये महिला आयोगों तथा महिलाओं से संबंधित विवादों के समाधान में सक्रिय रूप से जुटे अन्य संघों की भूमिका को कम करते हैं। यह सत्य है कि ये संगठन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन दायर कर सकते हैं किंतु धारा 12 का परंतुक इन संगठनों द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी भूमिका को कम करता है। क्योंकि ऐसी कोई भी कार्रवाई संरक्षण अधिकारी/ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त डी आई आर पर निर्भर करती है, यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट भी संरक्षण अधिकरी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर या दायर की जाने वाली डी आई पर निर्भर करेगी। **अतः इस अवरोधक उपबंध को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाले या मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करने वाले किसी भी सांविधिक निकाय या पुलिस या किसी भी अन्य गैर–सरकारी संगठनों को ऐसी रिपोर्ट दायर करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, जिसे महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डी आई आर समझा जाएगा, स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्कूल या महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है।**

(ii) **"साझा घर"** की परिभाषा : एस आर बतरा बनाम तरुणा बतरा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है :

"साझा घर" का आशय ऐसे घर से है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी चरण पर एक घरेलू संबंध के रूप में रहा था ..... इस तथ्य पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का साझे घर पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या हित हो अथवा नहीं।

इस संबंध में महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि साझे घर का स्वामित्व साझे घर में रहने के अधिकार से संबंधित नहीं है {(धारा 17 (1)}। न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि प्रश्नाधीन परिसर संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है और इसलिए इसे "साझा घर" नहीं कहा जा सकता। यह भी धारा 17(1) के स्पष्ट उपबंध के विरुद्ध है।

ऐसी व्याख्या से महिलाओं द्वारा अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में दायर किए गए आवेदनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है, जिनमें पति अपनी पत्नी को अपने माता–पिता के घर में लेकर आता है, वहां कुछ महीनों तक रहता है और तब विदेश चला जाता है। पत्नी उस मकान में, जो

संभवतः उसके सास–ससुर द्वारा स्वतः अर्जित संपत्ति है, रहना जारी रखती है। बतरा के मामले में दिए गए निर्णय की व्याख्या से न्यायालयों के लिए स्वतः रूप में यह कहना आवश्यक हो जाएगा कि चूंकि इसे "साझा घर" नहीं माना जा सकता, अतः पत्नी को ऐसे मकान में रहने का कोई हक नहीं है, चाहे उसका पति उसके लिए वीज़ा या नये घर में आवास की व्यवस्था करे या न करे। क्या इनसे अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है – जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, क्योंकि इस प्रकार के मामले में लिए गए निर्णय से यही तथ्य सामने आता है।

अतः परिभाषा खंड 2 (एस) में संशोधन की आवश्यकता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम के संबंधित उपबंध को निम्नानुसार उपयुक्त रूप में संशोधित किया जाए:

मौजूदा उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
"साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति **रहता है** या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में अकेले या प्रतिवादी के साथ **रहा हो**।	धारा 2(ध) "साझा घर" का आशय एक ऐसे घर से है, जहां पीड़ित व्यक्ति निवास करता है या किसी भी समय घरेलू संबंध के रूप में एक पर्याप्त अवधि तक (तीन वर्ष या अधिक) अकेले या प्रतिवादी के साथ रहा हो।
(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या रुचि है अथवा नहीं।	(इसमें ऐसा घर भी शामिल है, जिस पर पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी का या तो संयुक्त रूप में स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या किराये पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों का संयुक्त रूप में या एकल रूप में कोई हक, मालिकाना हक, हित या इक्विटी हो तथा जिसमें ऐसा घर शामिल हो, जो उस संयुक्त परिवार का हो, जिसका प्रतिवादी एक सदस्य है।) इस बात पर विचार किए बिना कि प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का "साझे घर" पर कोई अधिकार, मालिकाना हक या रुचि है अथवा नहीं।

(iii) यह कानून संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के साक्ष्यात्मक महत्त्व या उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में भी मूक है। संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक महत्त्व नहीं है। संरक्षण अधिकारी को बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालयों द्वारा बार–बार उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, जिसके कारण उनकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील की जा सकती है, जिसका आशय यह है कि अंतरिम आदेशों के संबंध में भी अपील की जा सकती है। चूंकि प्रत्येक आदेश को अपीलयोग्य

बना दिया गया है, अतः इस संबंध में कोई सीमा नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपील करने और समीक्षा करने का अधिकार संशोधित किया जाना चाहिए तथा अपील केवल अंतिम आदेशों के खिलाफ ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 में न्यायालय द्वारा धारा 25 और 26 के अंतर्गत दिया गया आदेश अपीलयोग्य हैं, **यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हों**।

(v) वैकल्पिक विवाद समाधान महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे न्यायालयों पर काम का भारी बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।

(vi) धारा 31 में यह उल्लेख किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना एक अपराध होगा, जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही धारा 31(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आईपीसी की धारा 498क या देहज अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। धारा 32 के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बातें परस्पर–विरोधी हैं। आपराधिक कानून के अंतर्गत ऐसा कोई भी अपराध जिसमें एक वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान हो, समन मामला कहलाता है। किसी समन मामले पर विचार करने की प्रक्रिया आईपीसी की धारा 498क के अंतर्गत किसी मामले पर विचार किए जाने की प्रक्रिया से पूर्णतः भिन्न है। इसके कारण जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना है। अतः इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) इसके अंतर्गत, केवल संरक्षण आदेशों का उल्लंघन ही एक अपराध है। यह कानून अन्य आदेशों, जैसेकि आवास से संबंधित आदेशों, अभिरक्षा में लेने से संबंधित आदेशों आदि के उल्लंघन के संबंध में मूक है। अधिनियम की धारा 31 में अन्य आदेशों के उल्लंघन को दंडनीय बनाने के संबंध में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) **नियम 3** में यह उल्लेख किया गया है कि संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी – संविदात्मक नियुक्तियों के संबंध में यह एक संभव विकल्प नहीं होगा क्योंकि संविदा आधार पर कर्त्तव्यों के निरंतर निष्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा संबंधित पद के नियमितीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिसके लिए संभवतः सरकार सहमत न हो। किसी सरकारी कार्यपालक को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के संबंध में मौजूदा समय में अपनाया गया विकल्प ही सही उपाय है।

2. तेजाब से हमले की स्थिति में पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम

आयोग ने पहले "(तेजाब से हमला) अपराध निवारण विधेयक, 2008" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। बाद में यह सुझाव दिया गया कि बलात्कार की पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के समान ही एक स्कीम लाई जाए और तदनुसार आयोग ने महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधों (तेजाब से हमले) के संबंध में राहत और पुनर्वास की एक स्कीम तैयार की जो बलात्कार की पीड़िताओं के संबंध में जारी स्कीम के ही समान है। इस स्कीम की मुख्य–मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- इस योजना को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस संबंध में जिला और राज्य स्तरों के प्राधिकारी बलात्कार की पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना में सुझाए गए प्राधिकारियों के अनुसार होंगे।

- पीड़िता को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए तत्काल 5,00,000/– रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे बाद में अधिकतम 30,00,000/– रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- पीड़िता के पुनर्वास हेतु 5,00,000/– रुपए निर्धारित किए गए हैं।

संशोधित स्कीम मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई है।

3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन को अंतिम रूप देना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितंबर, 2008 में एक परामर्श सत्र आयोजित किया और इस सत्र में शामिल प्रतिनिधिमंडलों और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग करके की गई सिफारिशों के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित सिफारिशें मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई हैं।

4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2008 में संशोधन से संबंधित विधेयक

विधेयक का प्रारूप कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से निवारण और समाधान उपलब्ध कराने से संबंधित है। **'किसी भी महिला कर्मचारी के अतिरिक्त पीड़ित महिला की परिभाषा के अंतर्गत कार्य स्थल से संबंधित कोई भी महिला शामिल होगी, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय आदि में विद्यार्थी, अनुसंधान अध्येता शामिल हैं।'** इसमें सरकार और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अधीन स्थित सभी कार्यस्थल शामिल हैं। विधेयक के प्रारूप की मुख्य–मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) का गठन
- जिला अधिकारी की नियुक्ति
- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन
- संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से प्रावधान
- शिकायत की सामग्री और जांच की प्रक्रिया को प्रकाशित करने या उजागर करने के लिए दंड

संशोधित विधेयक मंत्रालय को विचारार्थ भेज दिया गया है।

5. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता में विस्तार करने के लिए **"विज्ञापन"** की परिभाषा में इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी अन्य मीडिया को शामिल किया गया है। **प्रतिषेध और दंडों से संबंधित उपबंध** पर एक अलग अध्याय शामिल किया गया है। किसी भी प्रकाशित/ प्रसारित/ टेलीकास्ट की गई सामग्री में महिलाओं को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, इसे शासित और विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकारी की नियुक्ति का भी प्रस्ताव किया गया है।

न्यायालय के हस्तक्षेप

राजकुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539

भरण–पोषण के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1)(ख) और (ग) में यथानिहित उपबंधों के अनुसार,

यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन–संपन्न हो तथा निम्नलिखित के भरण–पोषण के लिए नकारता हो या अस्वीकार करता हो –

(ख) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चे का, जो विवाहित हो अथवा नहीं हो और जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में सक्षम न हो, या

(ग) अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

उप–धारा (ग), जिसमें यह कहा गया है कि " अपने ऐसे वैधानिक या अवैधानिक बच्चे (जो विवाहित लड़की न हो), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, तथा ऐसा बच्चा जो शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो" – यह एक अवरोधक उपबंध है तथा विशेषकर किसी सक्षम बच्चे और ऐसा बच्चा जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, विशेषकर बालिका बच्चे के मामले में, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता द्वारा भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध होना चाहिए, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने पर भी अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों । इस अधिकार के उपलब्ध होने से बालिका शिशु को किसी भी कठिनाई और अकिंचन की स्थिति से उबारा जा सकता है, जो भरण–पोषण से संबंधित उपबंध का एक मुख्य उद्देश्य है।

राज कुमारी अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार – 2008 सी आर आई एल जे 2539 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि धारा 125 (1)(ग) – उपर्युक्त उपबंध के सामान्य अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी वयस्क लड़की (अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो) जो अविवाहित हो, का भरण–पोषण करना तभी आवश्यक है यदि वह लड़की किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो – इसके अतिरिक्त, अन्य किसी भी स्थिति में उसे अपने माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अंतर्गत स्थिति यह है कि 18 वर्ष की आयु की कोई कालेज जाने वाली लड़की, जो अभी अविवाहित है, जब तक वह किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता या क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ न हो, उसे उसके पिता द्वारा जो पर्याप्त साधन संपन्न है, भरण–पोषण उपलब्ध कराने के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। किंतु यह अपेक्षा करना कि एक ऐसी अविवाहित लड़की जो अभी कालेज जा रही है या जो घर में रह रही है किंतु जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, और जिसके पास अपना स्वयं का भरण–पोषण करने के लिए स्वतंत्र आय का कोई साधन नहीं है, को उसके पर्याप्त साधन–संपन्न पिता द्वारा केवल इस आधार पर भरण–पोषण उपलब्ध कराने से इनकार किया जा सके कि संहिता की धारा 125(1)(ग) में जैसाकि अपेक्षित है, स्वयं का भरण–पोषण करने में उस लड़की की असमर्थता उसकी किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता के कारण नहीं है, अत्यधिक अमानवीय और उत्पीड़क होगा और ऐसा करना सभी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा।

यह उपबंध विशेष रूप से त्रूटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि धारा 125(1) के अन्य खंडों, अर्थात खंड (क), (ख) और (घ) में, पर्याप्त साधन–संपन्न किसी व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी, अपने वैधानिक या अवैधानिक अवयस्क बच्चों, जो विवाहित हों अथवा न हों या अपने माता–पिता जो अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में समर्थ न हों, को भरण–पोषण उपलब्ध कराना अपेक्षित है तथा इन श्रेणियों के व्यक्तियों को यह सिद्ध करने की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है कि वे इस सम्मानजनक सामाजिक विधायन का लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक अपसामान्यता अथवा क्षति के कारण अपना स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। यह उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39(ड.) और (च) की भावना के भी विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें राज्यों से यह कहा गया है कि वे महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों और

युवाओं का नैतिक और भौतिक दृष्टि से परित्याग करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाएं। मामले के इस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए, **यह सहमति हुई कि विधायिका द्वारा उप–धारा 125(1)(ग) में संशोधन किया जाए तथा पर्याप्त साधन–संपन्न माता–पिता से भरण–पोषण प्राप्त करने का बच्चों/लड़कियों का अधिकार ऐसी सभी अविवाहित लड़कियों को उपलब्ध कराया जाए जो वयस्कता की आयु प्राप्त करने के बाद भी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।**

इस आदेश की प्रति भारत के विधि आयोग तथा अन्य राज्यों के महिला आयोगों को भी उपयुक्त टिप्पणी हेतु प्रेषित की जाए। आयोग ने माननीय न्यायालय की राय से सहमति व्यक्त करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मध्यक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(ग) भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान का उल्लंघन करती है और इसे भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित किया जाए और तदनुसार इसे इसके मौजूदा रूप में हटा देने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन

1. "आंध्र प्रदेश में महिला सफाई कर्मचारियों" पर अध्ययन – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को अछूतों से भी निम्न कोटि का समझा जाता है किंतु वे किसी एक अछूत जाति से संबंधित नहीं हैं। अलग–अलग राज्यों में उन्हें अलग–अलग नामों से जाना जाता है, जैसकि 'हान', 'हाडी' (बंगाल), 'बाल्मीकि', 'धानुक' (उत्तर प्रदेश), 'मेतहर' (हैदराबाद), 'मेतहर', 'भंगी' (असम), 'पाकी' (तटीय आंध्र प्रदेश), 'थोटि' (तमिलनाडु) आदि। सफाई कर्मियों में यह आश्चर्य की बात है कि सभी राज्यों में महिला सफाई कर्मियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से काफी अधिक है।

हाथ से सफाई करने में झाड़ू, टिन की छोटी प्लेटों और टुकड़ियों का प्रयोग करके मानव और पशु के मल–मूत्र को उठाना और उसे सिर पर ढोना शामिल है। वर्षा ऋतु के दौरान उन टोकरियों में रखी सामग्री सफाई कर्मी के बालों, कपड़ों और उसके शरीर पर टपकती रहती है। इन महिला सफाई कर्मियों को घरों, कार्यालयों और समाज में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें अछूत जातियों से भी अधिक निम्न दृष्टि से देखता है। दस घंटे से भी अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात उन्हें अपने सभी घरेलू कार्यों को भी निपटाना पड़ता है।

सिफारिशें :

सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिफारिशें की गई तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सुझाव दिए गए। ये निम्नवत हैं:

केंद्र सरकार :

- सरकारी संस्थाओं जैसेकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन सफाई कर्मियों को कुछ कल्याण और विकासपरक उपाय उपलब्ध कराए जाएं।
- उपर्युक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा सफाई कर्मियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत समाधान प्रकोष्ठ गठित किया जाए।

राज्य सरकार :

- सफाई कर्मियों में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों और स्वच्छता के महत्त्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की जाए।
- इन सफाई कर्मियों को गृह ऋण और उस पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए।
- सफाई कर्मियों को शिक्षा, पेय जल, जल–मल की उपयुक्त निकासी की व्यवस्था से युक्त आवासीय

क्षेत्र., विद्युत, संचार सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

- ❖ रोजगार के स्वरूप पर विचार किए बिना सभी सफाई कर्मचारियों को कपड़े, संरक्षी उपकरण, जूते, अन्य सामग्री, मातृत्व लाभ आदि उपलब्ध कराए जाएं।
- ❖ अस्थायी/ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को स्थायी रोज़गार उपलब्ध कराया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों को ट्रेड यूनियनों के बारे में जागरूक बनाया जाए और उन्हें इन यूनियनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए।
- ❖ महिला सफाई कर्मचारी अधिकारियों और अपने सहकर्मियों के विरुद्ध शिकायतें करती हैं। इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक निकाय/प्रकोष्ठ गठित किया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोज़गारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें स्वयंसेवा समूहों (एस एच जी) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- ❖ सफाई कर्मियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- ❖ माता–पिता को अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रेरित किया जाए।
- ❖ औपचारिक ऋण संस्थाएं सृजित की जाएं ताकि सफाई कर्मचारियों की साहूकारों पर निर्भरता कम हो सके।

स्थानीय निकाय :

- ❖ सफाई कर्मियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए कि सफाई कर्मियों को प्रत्येक माह समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए।
- ❖ स्थानीय सरकारी निकायों और राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग यह सिफारिश करता है कि मौजूदा सभी शौचालयों के स्थान पर जल–आधारित शौचालय निर्मित किए जाएं ताकि हाथ से सफाई करने का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए।

2. "उड़ीसा में बढ़ते प्रवसन का महिलाओं पर प्रभाव" – संसृष्टि, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

प्रवसन की प्रक्रिया का अर्थ है लोगों के समूह का किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, जिसके कारण एक भिन्न स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण प्रवसन करने वाले व्यक्तियों पर एक बाध्यकारी प्रभाव न केवल संरचनात्मक रूप में बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों में भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन यापन करना, शोषण का शिकार होना तथा भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना भी शामिल है। महिला प्रवासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद प्रवसन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता जबकि महिला प्रवासियों को आश्रित के रूप में देखा जाता है। हम प्रायः उनके व्यक्तिगत स्तर पर किए गए आर्थिक योगदान की अनदेखी कर देते हैं। गरीबी और रोज़गार की तलाश लोगों के प्रवसन का एक प्रमुख कारण रहा है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था कृषि–प्रधान है, जहां के अधिकांश कृषक छोटी जोत वाले हैं। मौसमी बेरोज़गारी, आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न करना, आदि के कारण ग्रामीण लोग अपने जिले के भीतर और उसके बाहर और अन्य पड़ोसी राज्यों में भी शहरी क्षेत्रों में प्रवसन के लिए बाध्य होते हैं। तेजी से हो रहे औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण महिला प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों के स्वैच्छिक और बाध्य होकर प्रवसन में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है।

सिफारिशें :

- ❖ बोलंगीर और नूआपाड़ा में प्रवसन की समस्या के समाधान हेतु राजनैतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।
- ❖ जिन गांवों से प्रवसन हो रहा है, उनमें आजीविका के पोषणीय साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ❖ महिलाओं के लिए आय के पूरक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- ❖ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कठोर नीतियां तैयार की जाएं।
- ❖ प्रवसन, मानव दुर्व्यापार, श्रम कानूनों और रोज़गार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित नीतियों को परस्पर–संबद्ध किया जाए।
- ❖ महिलाओं के अधिकारों और उन्हें न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आधार स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- ❖ प्रवसन पर निगरानी रखने और उस पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाए।
- ❖ जिला श्रम कार्यालय में श्रमिक ठेकेदारों का पंजीकरण किया जाए।
- ❖ महिला प्रवासियों की शिकायतों के समाधान हेतु उनके द्वारा जिस राज्य/जिले में प्रवास किया गया है, उसमें कार्य कर रहे महिला संगठनों/ गैर–सरकारी संगठनों के बीच तालमेल होना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि सभी गांवों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाए और ग्रामीण महिलाओं की क्षमता में वृद्धि की जाए तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें प्रवसन की आवश्यकता उत्पन्न न हो।

3. "राजस्थान के भेड़पालन करने वाले समुदाय रेबारी (रायका समुदाय) में महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दों को समझना" – श्री आसरा विकास संस्था, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार करना एक सामान्य घटना है। अभी भी वहां की महिलाओं को सरकारी स्कीमों, कानूनों, अधिकारों और उनके पक्ष में निर्मित अधिनियमों के लाभ की जानकारी नहीं है। जनजातीय समुदाय की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। राजस्थान में एक सर्वाधिक कठिनाई के दौर से गुजर रहा समुदाय रेबारी समुदाय है, जो अर्द्ध–घुमंतु प्रकृति का है। इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। जागरूकता के अभाव के कारण यह समूह बार–बार शोषण का शिकार होता रहा है।

सिफारिशें :

- ❖ रेबारी समुदाय का मुख्य कार्य पशुपालन है, अतः उन्हें अपने मवेशियों को वनों में या वन भूमि में चराने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। चरागाह के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ❖ रेबारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित करना आवश्यक है।
- ❖ रेबारी समुदाय द्वारा पशुपालन को एक संगठित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
- ❖ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एन सी पी सी आर जैसी सरकारी एजेंसियों को बच्चों, विशेषकर

बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए।

- ❖ रेबारी समुदाय को अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- ❖ रेबारी समुदाय की लड़कियों के क्षमता सृजन और उनमें ज्ञान सृजन हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

4. "एचआईवी ग्रस्त महिलाओं के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक संदर्भ" – यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

एचआईवी जैसे विषाणु अपने आप बहुगुणित नहीं हो सकते, उन्हें अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए सजीव प्राणियों की कोशिकाओं को संक्रमित करने की आवश्यकता होती है। मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रायः विषाणुओं की तलाश करके उसे शीघ्रतापूरक नष्ट कर देती है। एचआईवी के विषाणु सर्दी या जुकाम और फ्लू के विषाणुओं के समान संस्पर्श–जनित नहीं होते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य सामाजिक संपर्कों के कारण संचारित नहीं हो सकते। यह विषाणु रेट्रोवायरस नामक विषाणु समूह का एक सदस्य है। रेट्रोवायरस साधारण सूक्ष्म जीव हैं, जो अपनी संख्या वृद्धि (प्रजनन) के लिए पोषी के शरीर पर निर्भर करते हैं। एचआईवी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ प्रतीत हो सकता है और उसमें रोग का कोई भी शारीरिक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं भी हो सकता है। प्रभावित व्यक्ति के शरीर में रोग गंभीर रूप लेने के साथ ही व्यक्ति अलग–अलग ढंग से रोग और शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करने लगता है क्योंकि एचआईवी विषाणु संबंधित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कमजोर बना देता है।

एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति बाह्य उत्प्रेरकों के आधार पर सामान्य व्यक्ति की तुलना में अलग प्रकार से प्रक्रिया व्यक्त करने लगता है। इस रोग के कारण शारीरिक लक्षणों की शुरुआत होने के पश्चात आगे क्या होगा, इस संबंध में पर्याप्त चिंता बनी रहती है। अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि यदि एचआईवी से संक्रमित महिलाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण और उपयुक्त संबंध बनाए रखा जाए तो उनमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति काफी कम हो सकती है।

सिफारिशें :

- ❖ जिस परिवार में कोई सदस्य एचआईवी ग्रसित हो, उसमें पारिवारिक वातावरण काफी विषादपूर्ण हो जाता है। अतः ऐसे परिवार में पारिवारिक माहौल बेहतर बनाने के लिए प्रभावी संपर्क और सामाजिक सहायता की आवश्यकता है।
- ❖ चूंकि एचआईवी से ग्रस्ति व्यक्ति में यौन संबंधों के प्रति एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, अतः लैंगिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक–सामाजिक परामर्श की आवश्यकता है।
- ❖ एचआईवी से ग्रसित महिलाओं के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए; इससे उनकी आत्मधारणा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- ❖ एचआईवी से ग्रसित महिलाएं आमतौर पर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें सकारात्मक जोखिम उठाने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे उनके मनौवैज्ञानिक–शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
- ❖ मनौवैज्ञानिक–सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत काफी गंभीरतापूर्वक इस बात की सिफारिश की जाती है कि सरकारी एजेंसियां ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करें। समाज में चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम उपलब्ध कराई जाए, जो एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे मन से कार्य करें।

- यौन संबंधों और सुदृढ़ पारिवारिक वातावरण के संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। सुदृढ़ और संतुलित व्यक्तित्व समाज को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात की भी सिफारिश करता है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इंजेक्शन लगाने की एक सुरक्षित प्रणाली अपनाई जाए तथा साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों द्वारा स्थानीय स्तर पर एचआईवी से संबंधित मामलों में सूचना उपलब्ध कराई जाए। प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक व्यापक बनाया जाए।

5. महिला संसाधन अधिकार के बारे में कार्यसूचीः "दिल्ली में संसाधिनी कार्यक्रम" के लिए एक मामला तैयार करना – साथी फॉर आल पार्टनरशिप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न जिलों में महिलाओं और समुदायों की मौजूदा जरूरतों का पता लगाना तथा आवास, भूमि और संसाधन अधिकारों के संबंध में सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर समाधानों का सुझाव देना था। यह अध्ययन कार्यक्रम दिल्ली के बवाना, बनुवाल नगर, रोहिणी के सरस्वती विहार, आईटीओ के पीछे स्थित राजीव गांधी झोपड़ पट्टी और यमुना पुश्ता क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस अध्ययन के दौरान समुदाय, विशेषकर महिलाओं से उनके आस–पास के क्षेत्रों में ज़ोनों या संसाधिनी की स्थापना करने के लिए सामग्री, मार्ग, महत्त्वपूर्ण मुद्दों और प्रबंधन से संबंधित जानकारियों के संबंध में सूचना प्राप्त की गई।

सिफारिशें :

- ❖ सरकार और बाजार के एक दायित्व के रूप में महिला संसाधन अधिकारों को सुनिश्चित करने की एक नीति।
- ❖ महिलाओं के समूहों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के संबंध में सूचना और आवेदन की प्रणाली विकसित की जाए। यह प्रणाली राज्य महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया एक क्रियाकलाप हो, जो महिलाओं के लिए संसाधन आधार में वृद्धि करने के विशिष्ट लक्ष्यों के दृष्टिगत कार्य करे, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक जिले में पुरुष और महिला स्वामित्व के बीच समानता लाना हो।
- ❖ यदि कोई नवनिर्मित भवन उपलब्ध न हो तो पहले से निर्मित अवसंरचना को विकसित करने के लिए धनराशि आबंटित की जाए।
- ❖ ये पायलट परियोजनाएं भारत के आठ अलग–अलग राज्यों में चलाई जा रही अन्य दस परियोजनाओं से संबद्ध होंगी, जो एक प्रवसन मार्ग के रूप में दिल्ली से जुड़ेंगी।
- ❖ उपर्युक्त की प्राप्ति हेतु गैर–सरकारी संगठन 'साथी' द्वारा राष्ट्रीय योजना आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सिविल सोसाइटी विंडो स्थापित करने की मांग की जाती है, जो सरकार को लैंगिक समानता की दिशा में कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी।

इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि सभी परियोजनाओं में लैंगिक समानता की स्थिति की जांच की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

6. "पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिला लघु उद्यमों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव" – एलआईएसएस इंडिया, कोठामंगलम, केरल द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केरल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महिला लघु उद्यमों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा महिला लघु उद्यमों द्वारा झेली जा रही

विभिन्न समस्याओं की पहचान करना था। इस अध्ययन द्वारा सरकार को कुछ सुझावों की भी सिफारिश की गई। इस अध्ययन कार्यक्रम में 30 वित्तपोषक एजेंसियों, 90 एकल लघु उद्यमों और 330 सामूहिक उद्यमों को कवर किया गया।

सिफारिशें :

केंद्र सरकार :

- उद्यम के सफलतापूर्वक और निर्बाध कार्यकरण हेतु आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित उपाय किए जाएं।
- उद्यमों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- सरकार द्वारा विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा की जाए।
- महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एक्सपोज़र कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए।

राज्य सरकार :

- भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।
- उद्यमों के सफल और निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए आसान और सस्ती दरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- सरकार द्वारा ब्लॉक/ जिला स्तर पर महिला लघु उद्यमों का एक शीर्ष निकाय स्थापित किया जाए, जो यूनिटों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद करके उन्हें अपने विक्रय केंद्रों के जरिए बेचे।
- प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।
- त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए, जहां आकर्षक छूट देकर इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री की जा सके।
- व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए। एक शीर्ष निकाय उत्पाद का एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत विपणन कर सकता है।
- शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर और अन्य सहायक व्यवस्थाओं के माध्यम से

निर्यात हेतु उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

- सरकार विभिन्न उपायों को करके लघु उद्यमों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा कर सकती है।
- महिला लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों की खपत के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रचार माध्यमों का प्रयोग करके प्रचार–प्रसार किया जाए।
- सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए और इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी की स्थापित की जाए।
- मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
- सरकार द्वारा सड़क, विद्युत, जल आपूर्ति, भंडारण सुविधाओं आदि जैसी सभी अवसंरचनाएं उपलब्ध कराकर महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएं।

स्थानीय निकाय :

- अनेक महिला सूक्ष्म उद्यमों के बाद में चलकर विफल होने का कारण यह रहा कि परियोजना का अभिनिर्धारण उपयुक्त रूप में नहीं किया गया था, जिसके कारण संबंधित यूनिट व्यवहार्य नहीं रही। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि भावी महिला उद्यमियों को उपयुक्त परियोजनाओं के अभिनिर्धारण के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- नए उद्यमियों को ऐसी यूनिटें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनमें स्थानीय कच्ची सामग्रियों का उपयोग हो, जो कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध होती हैं।
- भावी उद्यमियों को उपयुक्त एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए।
- अनेक उद्यम केवल इस कारण विफल हो गए हैं कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाया। अतः किसी भी उद्यम को आरंभ करने से पहले, बाज़ार का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए तथा उद्यमियों को विपणन कौशल विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्राधिकरणों द्वारा जिला स्तर पर केंद्रीकृत बाजार स्थापित किया जाए, जहां उद्यमों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाए और उन्हें ग्राहकों को सीधे बेचा जाए।

- ❖ त्योहार के मौसम के दौरान इन उत्पादों के लिए विशाल मेलों का आयोजन किया जाए।
- ❖ व्यावसायिकों की सहायता लेकर उद्यमियों के लिए नियमित रूप से कार्यशाला/ सेमिनारों का आयोजन करके उनमें गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजित की जाए।
- ❖ शीर्ष निकाय द्वारा एक जैसी यूनिटों के उत्पादों की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करके एक सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत उन उत्पादों का विपणन किया जा सकता है।
- ❖ शीर्ष निकाय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इन उद्यमियों में कौशल के विकास के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- ❖ महिला समूहों के अनेक लघु यूनिट समूह के सदस्यों के बीच मतैक्यता न होने के कारण विफल हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यह होता है कि इन समूहों का गठन केवल एक लघु यूनिट स्थापित करने के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों की पेशकश की जाती है। अतः केवल ऐसी महिला समूहों को ही सामूहिक लघु यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिनका विगत रिकार्ड सही हो।
- ❖ सफल महिला लघु उद्यमों को मान्यता प्रदान करके और उन्हें पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाए।
- ❖ सफल महिला उद्यमों के साथ परस्पर संपर्क के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाए।
- ❖ इन लघु यूनिटों के लाभ हेतु स्थानीय निकायों, सरकारी विभागों और वित्तपोषक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानीटरिंग एजेंसी स्थापित की जाए। मानीटरन समिति के साथ–साथ, कठिनाई में कार्य कर रहे उद्यमों की सहायता के लिए एक संकट प्रबंधन समिति गठित की जाए और उद्यमों को इन समितियों की विशेषज्ञता का बिना किसी हिचक के लाभ उठाने की सलाह दी जाए।
- ❖ उद्यमों को किसी सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं जैसेकि परियोजना अभिनिर्धारण, परियोजना सृजन, विभिन्न सरकारी स्कीमों, वित्तीय सहायता, निर्यात प्रोत्साहनों आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- ❖ प्राधिकरणों द्वारा महिला लघु उद्यमों के लाभ हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।
- ❖ विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं तथा उसमें अंतर्निहित लालफीताशाही के कारण सामने आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए नए उद्यमियों के लिए एकल खिड़की समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

6 आयोग के लेखे

तुलन–पत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार

निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजी निधि	1	46,038,841.00	47,204,902.00
आरक्षित निधि और अधिशेश	2	(2,314,709.18)	14,461,974.00
निर्धारित/स्थायी निधि		—	—
सुरक्षित ऋण और उधार		—	—
असुरक्षित ऋण और उधार		—	—
आस्थगित ऋण देयताएं		—	—
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	3	12,500,597.00	3,792,481.00
		56,224,728.82	**65,459,357.00**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	21,600,966.22	29,204,902.00
निवेष – निर्धारित/स्थायी निधि से		—	—
निवेष – अन्य	5	862,257.60	—
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	6	33,761,505.00	36,254,455.00
विविध व्यय		—	—
जोड़ (ख)		**56,224,728.82**	**65,459,357.00**
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	15		

सदस्य–सचिव

आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
बिक्री/सेवाओं से प्राप्त आय			—		—
अनुदान/राज सहायता	7	35,350,082.00	31,132,000.00	36,134,128.00	26,000,000.00
शुल्क/अभिदान	8		2,914.00		980.00
निवेश से प्राप्त आय (निधियों में अंतरित निर्धारित/	9		—		104,206.00
स्थायी निधि से)			—		—
रायल्टी/प्रकाशन आदि से आय			—		—
अर्जित ब्याज	10		384,427.60		382,502.00
अन्य आय	11		610.00		189,973.00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक और डब्ल्यआईपी में वृद्धि/कमी			—		—
जोड़ (क)		**35,350,082.00**	**31,519,951.60**	**36,134,128.00**	**26,677,661.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	12	5864336.00	20,734,073.00	4,140,593.00	10,774,764.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	36,002,957.00	14,610,666.00	25,163,117.00	15,265,723.00
अनुदान, राज सहायता आदि पर व्यय			—		—
ब्याज			—		—
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		6,434,684.78			—
जोड़ (ख)		**48301977.78**	**35344739.00**	**29303710**	**26040487**
आय की तुलना में व्यय के पश्चात अतिरिक्त बची शेष राशि (क–ख)		**(12,951,895.78)**	**(3,824,787.40)**	**6,830,418.00**	**637,174.00**
विशेष आरक्षित राशि को अंतरण		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित राशि को/से अंतरण		—	—	—	—
समग्र/पूंजी निधि में ले जाई गई अधिशेष/(कम हुई) शेष राशि		**(12,951,895.78)**	**(3,824,787.40)**	**6,830,418.00**	**637,174.00**

सदस्य सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष		भुगतान	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
प्रारंभिक शेष									
हस्तगत नकदी	625.00		9,483.00	4,457.00	स्थापना व्यय (अनुसूची–16)	4,140,593.00	10,774,764.00	5,864,336.00	15,925,472.00
बैंक में जमा शेष नकदी	6,080,304.00	1,419,550.00	12901864	3,168,740.00	**अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–17)**	25163117	17,167,321.00	42,387,165.00	18,392,427.00
प्राप्त अनुदान	38,000,000.00	26,000,000.00	36,000,000.00	31,132,000.00	प्रेषित धन (अनुसूची–18)		3060346.00		4,099,153.00
					स्थायी परिसम्पत्तियों पर व्यय	1,865,872.00		649,918.00	
निवेश पर आय									
स्थायी निधि	–		–		**अंतिम शेष**				
स्वयं की निधियां	–		–		हस्तगत नकदी	9,483.00	4,457.00		–
निवेश पर ब्याज		104,206.00	–		बैंक में जमा शेष राशि	12901864	3,168,740.00	9,928.00	288,287.00
प्राप्त ब्याज									
बैंक में जमा राशि		345,303.00		273,465.00					
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज		32,000.00		24,000.00					
ऋण एवं अग्रिम		–		–					
नकदीकृत निवेश		3,000,000.00		–					
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज		5,199.00		–					
अन्य आय									
आरटीआई		980.00		2,914.00					
विविध		206,924.00		340.00					
आय		–		270.00					
विप्रेषण (अनुसूची–18)		3061466		4099153.00					
	44,080,929.00	**34,175,628.00**	**48,911,347.00**	**38,705,339.00**		**44080929.00**	**34175628.00**	**48911347.00**	**38,705,339.00**

सदस्य सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा – भविष्य निधि
31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष
प्रारंभिक शेष	2143758	अंतिम भुगतान/अग्रिम/निकासी	2,100,354.00
अभिदान	747,451.00		
अंशदान	361,464.00		
बैंक द्वारा प्रतिपूरित टीडीएस	3,190.00		
अंशदायी भ.नि. से अर्जित ब्याज	9705.00		
		अंतिम शेष	
		बैंक में जमा शेष राशि	380,214.00
		बैंक में आवधिक जमा	785,000.00
	3,265,568.00		**3,265,568.00**

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र से संबद्ध अनुसूची

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि (राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	47,204,902.00	47,204,902.00
जोड़ें: समग्र/पूंजीगत निधि में अंशदान	—	—
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	—	—
जोड़ें: ब्याज पर टीडीएस की प्रतिपूर्ति के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	3,190.00	—
घटाएं: स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	1,819,169.00	—
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत निधि		649,918.00
वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	**46,038,841.00**	**47,204,902.00**

अनुसूची–2 आरक्षित एवं अधिशेष निधि (राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	*पूंजीगत आरक्षित निधि*		
	पिछले लेखा के अनुसार	14,461,974.00	6,994,382.00
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय)	(16,776,683.18)	7,467,592.00
	कुल	**(2,314,709.18)**	**14,461,974.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–3 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान देयताएं			
देय अंशदायी भविष्य निधि		1,226,496.00	2,143,758.00
देय वेतन		4,808,601.00	
देय आय कर		1,120.00	
बकाया किराया		1,647,603.00	
गैर–सरकारी संगठनों को देय अग्रिम	क+ख+ग+घ	5,146,035.00	
गैर–सरकारी संगठनों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को देय अग्रिम	ड.+च+छ	1,319,465.00	
		12500597.00	**3,792,481.00**
विशेष अध्ययन	(क)	**2,591,325.00**	—
अभियान, छत्तीसगढ़		249,000.00	
एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनीशिटिव, कोटा		223,650.00	
सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, जयपुर		97,050.00	
सेंटर फॉर स्टडीज फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		101,400.00	
चैतन्य मोहन कोठी, गया		58,800.00	
एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली		152,400.00	
एनवायरनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली		109,200.00	
इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, कोलकाता		109,800.00	
जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइजेशन		48,615.00	
जलगांव समिति सजगौरी लीगल सर्विस, अपोलो अस्पताल के निकट		131,670.00	
लीगल सर्विस, अपोलो अस्पताल के निकट		65,200.00	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस		111,800.00	
मथुरा कृष्णा फाउंडेशन, बिहार		41,200.00	
मदर टेरेसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी		108,360.00	
सुश्री शीला चौधरी		49,200.00	
नव कृष्णा चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज		40,000.00	
नोबल सोशल एंड एज्युकेशनल सोसाइटी		99,540.00	
पश्चिम बंग युवा कल्याण मंच		38,640.00	
आर.के. एचआईवी/एड्स सेंटर, मुंबई		257,400.00	
श्री राज सिंह निर्वाण		232,000.00	
सिच्युएशनल एनालिसिस ऑफ होमलेस वूमेन		150,000.00	
वूमेन स्टडी एंड डेवलपमेंट, कोची		116,400.00	

		वर्तमान वर्ष
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	(ख)	**1,848,610.00**
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30,000.00
ऑल इंडिया वूमेंस कान्फ्रेंस, नई दिल्ली		13,860.00
आशा विकास संस्थान		30,000.00
एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड नेचर एसोसिएशन, जयपुर		30,000.00
बहार कोटा प्रीमिटिथा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी		15,000.00
बाल एवं महिला उत्थान समिति, राजस्थान		45,000.00
बापू युवक संघ		30,000.00
भारत एज्युकेशन एवं पीस प्रोमोशनल सोसायटी		15,000.00
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान		15,000.00
भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन		30,000.00
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग		30,000.00
दलित महिला रचनात्मक परिषद		15,000.00
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर		15,000.00
डायनमिक यूथ सोसायटी		20,000.00
ज्ञान गंगा बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान		15,000.00
गांधी सेवा संस्थान		15,000.00
गांधी विद्या मंदिर शिक्षा समिति		15,000.00
गिरधर सोसायटी		30,000.00
गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान		15,000.00
ग्रामोदय जन जागृति समिति		15,000.00
ज्ञान दर्शन अकादमी		15,000.00
होली मशिनी फांडेशन		15,000.00
ह्युमन राइट्स आर्गेनाइजेशन		30,000.00
इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन		15,000.00
जय स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान		15,000.00
जय कल्याण एवं विकास समिति		15,000.00
ज्वाइंट वूमेंस प्रोग्राम		30,000.00
कल्याण सेवा समिति		30,000.00
कमालपुर बाबला आदर्श जन कल्याण समिति		15,000.00
किसाान भारती विकास संस्थान		30,000.00
महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल		30,000.00
महात्मा शिक्षा प्रसार समिति		15,000.00
महिला जागृति समिति		30,000.00

	वर्तमान वर्ष
महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति	15,000.00
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति	15,000.00
महिला सेवक समाज	30,000.00
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति	60,000.00
महिला विकास समिति	15,000.00
मानव कल्याण संस्थान	30,000.00
मानव उज्ज्वल समाज समिति	15,000.00
मानव विकास महिला कल्याण संस्थान	45,000.00
मानव विकास संस्थान	15,000.00
मातृदर्शन शिक्षा समिति	15,000.00
मातृदर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15,000.00
म्यूर ग्रामीण विकास सेवा संस्थान	15,000.00
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति	15,000.00
नारी समाजोत्थान समिति	15,000.00
नस्तर एज्युकेशनल सोसायटी	15,000.00
नेशनल यूथ एसोसिएशन	40,000.00
नव अंचल जिला नालंदा	30,000.00
न्यू ऐज फाउंडेशन	15,000.00
न्यू लाइफ क्लब	15,000.00
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	50,000.00
पार्वती सेवा एवं शिक्षण संस्थान	45,000.00
प्रगति महिला मंडली	45,000.00
प्रकृति चारिटेबल सोसायटी	30,000.00
पुष्पा ककातीय चारिटेबल	15,000.00
रछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति	12,500.00
रजत ग्राम उद्योग विकास संस्थान	15,000.00
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरैडिकेशन	15,000.00
राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन एंड सोशल वेल्फेयर	15,000.00
रूरल अवेयरनैस एंड वेल्फेयर ट्रस्ट	15,000.00
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर एग्रो डेवलपमेंट	40,000.00
सहारा समिति	30,000.00
शहीद भगत सिंह युवा संगठन	15,000.00
समाज संस्थान एवं सर्वजन विकास संस्थान	9,000.00
समाज उथान समिति	13,250.00

		वर्तमान वर्ष
समता सेवा संस्थान		30,000.00
संकल्प डिस्ट्रिक्ट सिवास नगर		40,000.00
सर्वजन उन्नयन समिति		20,000.00
सरोजिनी नायडू महिला विकास एवं कल्याण संस्थान		30,000.00
सवेरा शिक्षण संस्थान		30,000.00
श्री आनंद विकास समिति		15,000.00
श्री हरिकृष्ण शिक्षा सेवा समिति		15,000.00
श्रीमती सुशील देवी एज्युकशनल सोसायटी		30,000.00
सोशनल एक्शन नेटवर्क ग्रुप		15,000.00
सोसायटी फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, नूआपाड़ा		15,000.00
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान		15,000.00
सुसामान्य गीता भवन		15,000.00
एस वी एस संस्थान		15,000.00
तरुण चेतना		15,000.00
विज्ञान शिक्षा केंद्र		30,000.00
पीएमएलए	(ग)	**195,000.00**
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण		150,000.00
सैनिक महिला प्रशिक्षण		15,000.00
श्री आनंद विकास समिति		30,000.00
सेमिनार एवं सम्मेलन	(घ)	**511,100.00**
अभिनव कला केंद्र		30,000.00
अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण		30,000.00
बस्तर सामाजिक जन विकास समिति		9,000.00
भारतीय ग्रोमोद्योग सेवा संस्थान		15,000.00
द्वारसनी श्रमिक संघ		9,000.00
एज्युकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट		30,000.00
हेलेना कौशिक वूमेंस कालेज		30,000.00
इंटेग्रेटिड ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स		30,000.00
जागरूक महिला संस्थान, परचम		30,000.00
नवयुग सोशल डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट		56,100.00
राजीव गांधी जन सेवा संस्थान		30,000.00
आर.के. मोशंग		90,000.00
आर के एचआईवी/एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर		50,000.00

		वर्तमान वर्ष
रोल ऑफ वूमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग		18,000.00
संजीवनी		9,000.00
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति		30,000.00
उज्ज्वल, गुड़गांव		15,000.00
गैर–सरकारी संगठनों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को अग्रिम	ड.+च+छ	**1,319,465.00**
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	(ड.)	**985,000.00**
अरुणाचल पराज्य महिला आयोग		300,000.00
आशा वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसायटी		20,000.00
असम राज्य महिला आयोग		50,000.00
कोसमोस मिशन, असम		20,000.00
क्राफ्ट सोसायटी ऑफ त्रिपुरा		20,000.00
दायलता सेवा मंच		20,000.00
डायनमिक यूथ सोसायटी		20,000.00
जाजी, गुहावाटी		20,000.00
लचीमा विकास समिति		20,000.00
मज काजुल मारिफ, नगांव		15,000.00
मेघायल राज्य महिला आयोग		140,000.00
मिजोरम राज्य महिला आयोग		220,000.00
नार्थ–ईस्ट वेमेन इंटरप्रेन्योर		20,000.00
फाकुन हारमोती गांव श्रीमत शंकर		40,000.00
सोशियो ओरिएंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन		20,000.00
सन क्लब, असम		20,000.00
सुप्रभात सोसायटी		20,000.00
सेमिनार एवं सम्मेलन	(च)	**90,000.00**
एनवायरनमेंट एंड इकोनोमिक्स मेनेजमेंट		30,000.00
इंस्टिट्यूट ऑफ टाई स्टडीज एंड रिसर्च		60,000.00
विशेष अध्ययन	(छ)	**244,465.00**
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन		109,800.00
जन नेता इरावत फाउंडेशन		37,065.00
ओमियो कुमार दास इंस्टिट्यूट : ए सोशल चेंज		48,000.00
रूरल सर्विस एजेंसी		49,600.00

सदस्य–सचिव

अनुसूची–4 : स्थायी परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	भूमि	3,689,781.00	3,689,781.00
2)	भवन	875,174.40	972,416.00
3)	फर्नीचर और जुड़नार	4,634,580.75	4,869,520.00
4)	मशीन एवं उपकरण	5,673,346.57	15,206,800.00
5)	कंप्यूटर	2,877,001.60	—
6)	वाहन	3,175,050.90	3,790,354.00
7)	पुस्तकें एवं प्रकाशन	676,031.00	676,031.00
		21,600,966.22	**29,204,902.00**

अनुसूची–5 : निवेश – अन्य

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अंशदायी भविष्य निधि में निवेश	785,000.00	—
जोड़ें : अर्जित ब्याज	77,257.60	—
	862,257.60	**—**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

			(राशि रुपए में) वर्तमान वर्ष	(राशि रुपए में) पिछला वर्ष
क.	***वर्तमान परिसंपत्तियां***			
1)	हस्तगत नकदी (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		—	13,940.00
2)	बैंक में शेष राशिः			
	अनुसूचित बैंकों के पास			
	बचत खाते में		298,215.00	16,070,604.00
	अंशदायी भविष्य निधि खाते में, केनरा बैंक		380,214.00	—
3)	ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशि प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकदी या वस्तु रूप में			
		क	**678,429.00**	**16,084,544.00**

				सदस्य–सचिव
ख.	***ऋण एवं अग्रिम***		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	योजनागत	**ख**	**11,039,612.00**	**—**
	कर्मचारियों को अग्रिम		**11,039,612.00**	**—**
	सेमिनार एवं सम्मेलन			
	अब्दुस सलाम		1,125,301.00	
	भावना कुमार		9,000.00	
	करीना थेंगमम		23,185.00	
	मृदुल भट्टाचार्य		1,500.00	
	राजकुमार (सहायक)		1,500.00	
	एस.सी. शर्मा		1,500.00	
	एस.के. जेरा		10,000.00	
	वी.के. अस्थाना		13,950.00	
	योगेश मेहता		5,518,176.00	
	मंजू एस. हैम्ब्रम		700,000.00	
	नीवा कुंवर		600,000.00	
	निर्मला वेंकटेश		773,700.00	
	याशमीन अबरार		2,243,000.00	
	त्योहार अग्रिम टी एस		14,400.00	
	मोटरवाहन			
	महेंद्र सिंह		4,400.00	
	योजनेतर	**ग**	**1,119,966.00**	**11,153.00**

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारियों को अग्रिम	**1,108,813.00**	—
मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन	**2,500.00**	
अरुण कुमार	2,500.00	
कार्यालय व्यय	**4,906.00**	
अरुण कुमार	806.00	
जय भगवान	4,000.00	
एस.सी. शर्मा	100.00	
यात्रा व्यय	**736,005.00**	
मंजू एस. हैमब्रम	200,396.00	
नीवा कुंवर	99,452.00	
रेखा दावर	26,800.00	
एस. चटर्जी	4,000.00	
वानसुख सईम	82,342.00	
यास्मीन अबरार	116,360.00	
योगेश मेहता	206,655.00	
अवकाश यात्रा रियायत	**365,402.00**	
नीलमणि शर्मा	150,037.00	
योगेश मेहता	215,365.00	

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अन्य मोटरकार अग्रिम		**11,153.00**	**11,153.00**
अन्य मोटरकार अग्रिम		11,153.00	11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत	घ	**1,810,096.00**	**—**
कर्मचारियों को अग्रिम		**1,810,096.00**	**—**
सेमिनार एवं सम्मेलन		**1,810,096.00**	**—**
योगेश मेहता (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		11,596.00	
नीवा कुंवर		300,000.00	
वानसुक सईम		800,000.00	
योगेश मेहता		698,500.00	
अन्य			
भविष्य निधि से अग्रिम		—	2,143,758.00
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		18,000,000.00	18,000,000.00
आईसीसीडब्ल्यू		1,098,402.00	—
	ङ.	**19,098,402.00**	**20,143,758.00**
	कुल (ख+ग+घ+ङ.)	**33,068,076.00**	**20,154,911.00**
प्रतिभूति जमा	छ	15,000.00	15,000.00
	कुल (क+च+छ)	**33,761,505.00**	**36,254,455.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के संबंध में आय और व्यय संबंधी विवरण से संबद्ध अनुसूची

अनुसूची–7 : अनुदान

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1)	केंद्र सरकार	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
	अनुदान	36,000,000.00	31,132,000.00	38000000.00	26000000
	घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान की राशि	649,918.00		1865872	
	कुल अनुदान	**35,350,082.00**	**31,132,000.00**	**36134128.00**	**26,000,000.00**

अनुसूची–8 : शुल्क/अभिदान

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	प्रवेश शुल्क	—	—	—	—
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	—	—	—	—
3)	आरटीआई शुल्क	—	2,914.00	—	980
			2,914.00		**980**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–9 और 10 : अर्जित ब्याज

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	बचत बैंक खाता से				
	क) अनुसूचित बैंक से	—	273,465.00		345303
	ख) निवेश पर ब्याज	—			104206
2)	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज		24,000.00		32000
3)	अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज		9,705.00		5199
4)	आवधि जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज		77,257.60		
			384,427.60		**486708**

अनुसूची–11 : अन्य आय

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	आय	—	270.00	0	
2)	विविध आय	—	340.00	0	189973
3)	अन्य आय	—	—	0	
		—	**610.00**	**0**	**189973**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–12 : स्थापना व्यय

(राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :–				
	अध्यक्ष एवं सदस्य		9,298,348.00		3749717
	अधिकारी		5,884,495.00		5988020
	कर्मचारी		5,102,393.00		
2.	मजदूरी	5,121,910.00		3648066	
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान		387,034.00		276573
4.	अन्य निधियों में अंशदान :–				
	एलएससी		61,803.00		760454
	पीसी				
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	742,426.00		492527	
		5864336	**20734073.00**	**4140593.00**	**10774764.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–13 : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विज्ञापन व्यय	6,118,063.00		4424409	
कानूनों के संबंध में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम	6,454,973.00			
मुद्रण	957,912.00		1296841	
सेमिनार एवं सम्मेलन	9,090,938.00		14211979	
विशेष अध्ययन	8,101,734.00		4634366	
एनआरसीडब्ल्यू	428,156.00		595522	
पीएमएलए	510,000.00			
कार्यालय व्यय		1,562,350.00		2704058
मरम्मत एवं अनुरक्षण		289,645.00		477883
टेलीफोन		703,053.00		748810
यात्रा व्यय		3,895,177.00		3751928
लेखापरीक्षा शुल्क		60,080.00		57255
बैंक प्रभार		33,084.00		6659
पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंट		853,490.00		808426
अंशदायी भविष्य निधि पर प्रदत्त ब्याज		74,177.00		120292
किराया, दर और कर		7,139,610.00		6590412
विज्ञापन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	403,330.00			
कानूनों के संबंध में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,285,000.00			
सेमिनार एवं सम्मेलन, पूर्वोत्तर क्षेत्र	579,590.00			
विशेष अध्ययन, पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,073,261.00			
	36002957.00	**14610666.00**	**25163117.00**	**15265723.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान से संबंधित विवरणी से संबद्ध अनुसूची

अनुसूची–16 : स्थापना व्यय

(राशि रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :–				
	अध्यक्ष एवं सदस्य		6,443,717.00		3749717
	अधिकारी		4,826,568.00		5988020
	कर्मचारी		4,206,350.00		
2.	मजदूरी	5,121,910.00		3648066	
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान		387,034.00		276573
4.	अन्य निधियों में अंशदान				
	एलएससी		61,803.00		760454
	पीसी				
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	742,426.00		492527	
		5,864,336.00	**15,925,472.00**	**4,140,593.00**	**10774764.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान से संबंधित विवरणी से संबद्ध अनुसूची

अनुसूची–17 : अन्य प्रशासनिक व्यय

		वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष
विवरण		जमा की गई कुल राशि	ओ/एस शेष	कुल भुगतान	
1.	*योजनागत*				
	विज्ञापन व्यय	6,118,063.00	—	6,118,063.00	4424409
	कानूनों के संबंध में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	6,454,973.00	1,848,610.00	4,606,363.00	
	मुद्रण	957,912.00	—	957,912.00	1296841
	सेमिनार और सम्मेलन	9,090,938.00	511,100.00	8,579,838.00	14211979
	विशेष अध्ययन	8,101,734.00	2,591,325.00	5,510,409.00	4634366
	एनआरसीडब्ल्यू	428,156.00	—	428,156.00	595522
	पीएमएलए	510,000.00	195,000.00	315,000.00	
	निम्नलिखित हेतु अग्रिमः सेमिनार और सम्मेलन			11,020,812.00	
	मोटरवाहन			4,400.00	
	त्योहार अग्रिम			14,400.00	
			क	**37,555,353.00**	**25163117.00**
2.	*योजनेतर*				
	कार्यालय व्यय			1,562,350.00	2704058
	मरम्मत और अनुरक्षण			289,645.00	477883
	टेलीफोन			703,053.00	748810
	यात्रा व्यय			3,895,177.00	3751928
	लेखापरीक्षा शुल्क			60,080.00	57255
	बैंक प्रभार			33,084.00	6659
	पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंट्स			853,490.00	808426
	किराया, दर और कर			9,885,615.00	5492010
	निम्नलिखित हेतु अग्रिमः कार्यालय व्यय			4,906.00	
	यात्रा व्यय			736,005.00	
	मरम्मत और अनुरक्षण			2,500.00	
	एलटीसी अग्रिम			365,402.00	

विवरण		जमा की गई कुल राशि	वर्तमान वर्ष ओ/एस शेष	 कुल भुगतान	पिछला वर्ष
पिछले वर्ष के लिए प्रदत्त आयकर				1,120.00	
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज					120292
निवेश					3000000
			ख	**18,392,427.00**	**17167321.00**
टिप्पणी 1 निम्नलिखित के लिए किरायाः	पिछला वर्ष			1,647,603.00	
	वर्तमान वर्ष			7,139,610.00	
	अग्रिम 2009			1,098,402.00	
				9,885,615.00	
3. ***पूर्वोत्तर क्षेत्र***					
विज्ञापन		403,330.00	—	403,330.00	
कानूनों के संबंध में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम		2,285,000.00	985,000.00	1,300,000.00	
सेमिनार और सम्मेलन		579,590.00	90,000.00	489,590.00	
विशेष अध्ययन		1,073,261.00	244,465.00	828,796.00	
सेमिनार और सम्मेलन हेतु अग्रिम		1,810,096.00			
			ग	**4,831,812.00**	
			जोड़ क+ख+ग	**60,779,592.00**	

सदस्य–सचिव

विप्रेषण अनुसूची–18

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	वृद्धि	विप्रेषण की गई राशि	वृद्धि	विप्रेषण की गई राशि
सामान्य भविष्य निधि	1159610.00	1159610.00	1396188.00	1,396,188.00
लाइसेंस शुल्क	84140.00	84140.00	93885.00	93,885.00
आय कर	1004382.00	1003262.00	1633159.00	1,633,159.00
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना	16190.00	16190.00	29250.00	29,250.00
डाक जीवन बीमा	6912.00	6912.00	0.00	—
केंद्र सरकार कर्मचारी स.बी. योजना	14775.00	14775.00	16046.00	16,046.00
गृह निर्माण अग्रिम	108345.00	108345.00	72759.00	72,759.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	31898.00	31898.00	18000.00	18,000.00
एमसीए+ब्याज	15000.00	15000.00	36000.00	36,000.00
ओएमसीए	22580.00	22580.00	14800.00	14,800.00
ओएमसीए पर ब्याज	5600.00	5600.00	0.00	—
त्योहार अग्रिम	2550.00	2550.00	2250.00	2,250.00
कंप्यूटर अग्रिम	15340.00	15340.00	8040.00	8,040.00
सीपीएफ अभिदान	557072.00	557072.00	767028.00	767,028.00
परिवार लाभ निधि	120.00	120.00	0.00	—
एसएफबीएफ–एचबीए	198.00	198.00	0.00	—
जीईएच – निधि	60.00	60.00	0.00	—
जीवन बीमा प्रीमियम	1767.00	1767.00	0.00	—
सीएसआईआर थ्रिफ्ट सोसायटी	14400.00	14400.00	9216.00	9216.00
हितकारी निधि	99.00	99.00	132.00	132.00
जल प्रभार	360.00	360.00	—	—
अन्य वसूली	68.00	68.00	2,400.00	2,400.00
जोड़	**3061466.00**	**3060346.00**	**4099153.00**	**4099153.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–14

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्त शासी निकायों (अलाभकारी संगठन और ऐसे ही संस्थान) के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 "अल्पावधि निवेश" और "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा के रूप में लागत पर आगे ले जाए जाते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, परियोजना प्रचालित किए जाने से पूर्व का व्यय (जिसमें परियोजना विशेष के पूरा होने से पहले के ऋणों पर ब्याज भी शामिल है) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग हैं।

3.2 गैर–वित्तीय अनुदानों के द्वारा प्राप्त अस्थायी परिसंपत्तियों में केवल प्रकाशन ही सम्मिलित हैं और उनका बही–मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर किया जाता है। वर्तमान वर्ष (2008–09) से वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। इस वर्ष से स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान/राजसहायता

5.1 सरकारी अनुदान/राजसहायता का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।

31.03.2009 को समाप्त अवधि की वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–15

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.2 निम्नलिखित के सम्बन्ध में :

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गये ऋण पत्र – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग के पास चुकाए जाने वाले बिल – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :

आय कर – शून्य रुपये	(पिछले वर्ष शून्य रुपये)
बिक्री कर – शून्य रुपये	(पिछले वर्ष शून्य रुपये)
नगरपालिका कर – शून्य रुपये	(पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2.

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

आयोग की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गयी कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

5.1 आयातों का लागत–बीमा भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकलित मूल्य :

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क) यात्रा	शून्य
(ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन विप्रेषण और ब्याज	शून्य
(ग) अन्य व्यय	शून्य
बिक्री पर कमीशन	शून्य
कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

निर्यातों का मूल्य एफ.ओ.बी. आधार पर	शून्य

6. वित्तीय विवरण डीजीएसीआर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर तैयार किए गये हैं जो आयोग पर लागू होते हैं।

7. लेखा बही में कर्मचारियों की मृत्यु/अवकाश प्राप्ति पर देय ग्रेच्युटी तथा जमा छुट्टियों के नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया है।

8. भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्राालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजनागत (रुपये)	योजनेतर (रुपये)
1.	वर्ष के आरम्भ में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि	1,29,01,864	31,68,740
	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष हस्तगत नकद राशि	9,483	4,457
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,30,00,000	3,11,32,000
3.	वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्राप्त अनुदान	30,00,000	–
4.	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि	9,928	2,88,287

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिये जाने वाले अनुदानों/वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान/वित्तीय सहायता जारी कर दिये जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. वर्तमान वर्ष अर्थात 2008–09 के लिए आयोग की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

11. पिछले वर्ष (2007–08 के दौरान) 18.19 लाख रुपए मूल्य की स्थायी परिसंपत्तियों की नीलामी की गई किंतु उनका बही मूल्य स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर से काटा नहीं गया। इस वित्त वर्ष (2008–09) में स्थायी परिसंपत्तियों का बही मूल्य काटकर आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।

12. अनुसूची 1 से 13 और अनुसूची 15 से 18 संलग्न हैं जो वर्ष 2008–09 के तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

(सदस्य सचिव)

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2009 को राष्ट्रीय महिला आयोग के तुलन पत्र (संलग्न) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धति, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में भारत के नियत्रंक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार प्रायोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में इस बात का जायजा लेना भी शामिल है कि प्रबन्धन द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों में क्या सिद्धांत अपनाए गये हैं और यह मूल्यांकन भी किया जाता है कि वित्तीय विवरणों का समूचा प्रस्तुतीकरण किस प्रकार किया गया है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा विहित लेखाओं के सामान्य प्रपत्र के अनुसार तैयार नहीं किये गये हैं।

iii. हमारे विचार से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के अनुसार लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

iv. हमें यह भी रिपोर्ट करनी है:

क. तुलन–पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 प्रावधान

अवकाश वेतन अंशदान और पेंशन अंशदान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार नहीं है।

ख. सामान्य

(i) आयोग की लेखाओं में लेखापरीक्षा के कहने के अनुसार संशोधन किया गया। संशोधन के फलस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में 64.66 लाख रुपए की वृद्धि हुई और वर्तमान परिसंपत्ति ऋणों और अग्रिमों में इतनी ही राशि की कमी आई।

(ii) 40.99 लाख रुपए के धन विप्रेषणों को, जिन्हें प्राप्ति और भुगतान लेखे में शामिल नहीं किया गया था, अब शामिल कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप प्राप्ति और भुगतान लेखे के प्राप्ति और साथ ही भुगतान दोनों ही शीर्षों के अंतर्गत इतनी ही राशि की वृद्धि हुई है।

ग. सहायता अनुदान

राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण मुख्यतः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान, इसे 671.32 लाख रुपये का सहायता अनुदान (330.00 लाख रुपये योजनागत के अंतर्गत, 30.00 लाख रुपये योजनागत – पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत और 311.32 लाख रुपये योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत) प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, आयोग के पास पिछले वर्षों में खर्च न की गई 160. 84 लाख रुपए (129.11 लाख रुपये योजनागत के अंतर्गत तथा 31.73 लाख रुपये योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत) की अनुदान राशि भी थी। इसे योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 3.85 लाख़ रुपये की आंतरिक राशि भी प्राप्त हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुल राशि में से 842.97 लाख रुपये (योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 489.52 लाख रुपये और योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 353.45 लाख रुपये) का उपयोग किया जिससे 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इसका 167.80 लाख रुपये (योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 129.52 लाख रुपये और योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 38.28 लाख रुपये) का घाटा शेष रह गया।

घ. प्रबन्धन पत्र

जो खामियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई हैं उनकी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग का ध्यान अलग से एक प्रबन्धन पत्र जारी करके उपचारात्मक कार्यवाही के लिए दिलाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्तुत तुलन–पत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.12.2009

प्रधान लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

7 अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठन चार्ट

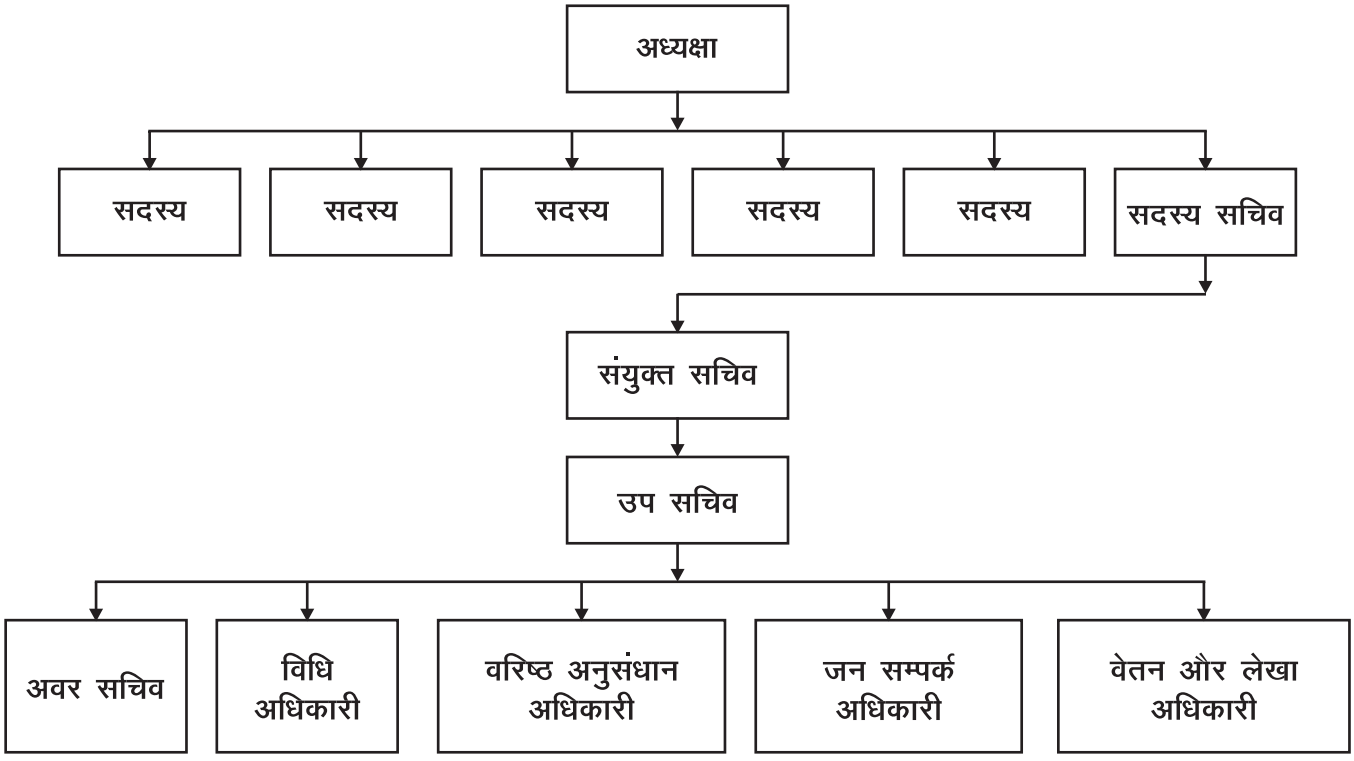

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग को वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में प्रकृति–वार रिपोर्ट

क्रम सं.	प्रकृति	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
1	तेजाब से हमला	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	1	0	8
2	हत्या का प्रयास	2	0	8	5	9	8	4	4	2	3	1	0	40
3	बलात्कार का प्रयास	19	17	35	23	20	21	5	12	19	15	17	14	217
4	द्वि–विवाह/व्यभिचार	28	22	19	10	18	5	4	14	8	9	12	7	156
5	बच्चों की अभिरक्षा	3	4	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	13
6	साइबर अपराध	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
7	परित्याग	2	4	16	3	10	1	3	1	1	2	1	1	45
8	तलाक	3	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	10
9	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	80	91	137	100	85	108	86	71	99	79	108	93	137
10	दहेज मृत्यु	75	50	91	45	44	51	36	60	43	42	29	36	602
11	दहेज उत्पीड़न	233	163	259	172	137	178	134	168	147	140	126	163	2020
12	नारी शिशु हत्या/भ्रूण हत्या	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	6
13	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	61	51	43	26	28	20	8	23	21	9	32	22	349
14	दहेज के लिए उत्पीड़न/क्रूरतापूर्ण व्यवहार	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
15	अपहरण/भगा ले जाना	44	33	50	29	11	25	17	18	19	30	27	0	308
16	भरण–पोषण (गुजारा भत्ता)	17	5	15	7	6	6	3	6	9	3	5	3	85
17	विविध	224	207	274	270	326	375	393	445	513	453	526	492	4498
18	छेड़छाड़/तंग करना	49	35	47	20	17	15	18	22	21	18	20	15	257
19	हत्या	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
20	अनधिदेशित	141	137	2	228	0	0	0	0	0	0	0	0	508
21	अप्रवासी भारतीयों से विवाह	4	9	5	3	3	4	2	6	3	1	1	0	41
22	पुलिस की निष्क्रियता	64	57	90	49	35	22	23	29	47	70	64	132	882
23	पुलिस उत्पीड़न	73	56	68	62	36	19	20	36	36	26	40	15	487
24	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्री धन)	91	73	91	64	38	35	19	52	63	38	30	27	621
25	बलात्कार	46	48	75	39	47	51	36	43	44	57	42	49	577
26	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न	24	18	21	11	16	14	17	10	10	0	7	9	164
28	आश्रय/पुनर्वास	0	0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	7
	जोड़	1286	1084	1359	1170	893	964	830	1025	1108	1002	1089	1085	12895

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग को वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की राज्य–वार रिपोर्ट

क्रम सं.	प्रकृति	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	1	0	0	1	3	1	0	3	0	0	0	11
2	आंध्र प्रदेश	19	10	21	16	4	8	5	9	4	6	17	16	135
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	4	4	2	5	3	4	1	2	2	2	3	8	40
5	बिहार	33	28	28	38	26	19	20	24	37	21	30	34	338
6	चंडीगढ़	0	2	2	1	4	2	4	0	0	0	0	0	15
7	छत्तीसगढ़	5	8	6	9	9	7	4	4	4	4	3	6	69
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	181	176	182	166	176	140	124	152	150	143	160	160	1910
11	गोवा	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
12	गुजरात	10	4	13	10	10	10	8	5	8	7	17	9	111
13	हरियाणा	70	78	88	66	47	50	52	47	44	39	64	55	700
14	हिमाचल प्रदेश	2	5	2	4	2	3	0	1	1	3	5	6	34
15	जम्मू और कश्मीर	3	4	5	1	1	1	2	1	0	2	2	2	24
16	झारखंड	21	15	18	17	8	15	11	17	15	7	15	19	178
17	कर्नाटक	8	7	7	5	3	8	3	4	6	5	13	13	82
18	केरल	0	2	0	2	4	2	1	0	4	0	1	3	19
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	49	43	54	39	32	25	26	26	25	23	52	37	431
21	महाराष्ट्र	16	20	22	17	13	19	12	16	1	25	29	23	230
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3
23	मेघालय	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2	0	8
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
26	उड़ीसा	6	9	11	4	0	4	1	5	2	5	6	9	62
27	पांडिचेरी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6
28	पंजाब	20	29	20	17	21	14	16	19	9	16	12	19	212
29	राजस्थान	87	87	126	101	96	52	43	61	46	10	65	85	919
30	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	तमिलनाडु	17	28	14	9	11	5	10	1	17	U	28	21	186
32	त्रिपुरा	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	
33	उत्तर प्रदेश	703	491	702	608	400	550	458	595	681	572	526	527	6813
34	उत्तराखंड	16	15	27	19	13	13	17	13	15	19	25	20	212
35	पश्चिम बंगाल	13	16	7	13	7	7	9	12	15	13	10	10	132
	जोड़	1286	1084	135£	1170	893	964	830	1025	11CG	1002	1089	10	12895

अनुलग्नक–IV

अपराध (तेजाब से हमला) की शिकार महिलाओं और बच्चों को राहत और पुनर्वास की स्कीम राष्ट्रीय महिला आयोग

उद्देश्य और कारणों का कथन

अधिकांश मामलों में तेज़ाब के प्रहार पीड़िता को स्थायी रूप से विरुपित, अत्यंत दुर्बल और अन्ततः शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह से नष्टप्राय कर देते हैं। इसमें अनेक मामले में पीड़ितों की धीरे–धीरे दर्दनाक ढंग से मृत्यु हो जाती है (अप्रैल 1998 में) हसीना जैसे मामलों में तथा अन्य मामलों में ऐसे प्रहारों के कारण युवतियों का रूप बिगड़ जाता है, वे अपंग हो जाती हैं और आजीवन घर की चारदीवारी में सिमटकर रह जाती हैं। उन्हें चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि तेज़ाब रिस कर शरीर में चला जाता है और लम्बी अवधि में आंतरिक अंगों को हानि पहुंचाता है। पीड़िता को विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के रूप में अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किन्तु पीड़िता के परिवार के लिए इतनी बड़ी शल्य चिकित्सा का खर्च उठाना प्रायः असंभव है क्योंकि ऐसे मामलों में पीड़िता का क्षतिग्रस्त चेहरा पुनः बनाना पड़ता है और इस प्रकार बहुत सी पीड़िताएं एक जीवित शव की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। व्यक्ति को पहले जैसी शक्ल देने के लिए विभिन्न चरणों में ऐसी शल्य–चिकित्साएं करानी पड़ती हैं। इसलिए इन शल्य चिकित्साओं पर कम से कम दो लाख से कई लाख रुपए तक खर्च होते हैं।

यह भी देखा गया है कि तेज़ाब प्रहार के पश्चात पीड़िता के लिए पुनर्वास की कोई गुंजाइश नहीं रहती और कोई भी उसे सहायता नहीं देता। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश मामलों में पीड़िता जानती है कि उस पर प्रहार किसने किया है, प्रहार करने वाले प्रायः कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं और बहुत कम मामलों में अपराधियों पर दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाती है।

तेज़ाब प्रहारों को महिलाओं पर हिंसा की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि इनसे महिलाओं को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक हानि या कष्ट होता है अथवा हो सकता है। 'महिलाओं के प्रति हिंसा का उन्मूलन' सम्बन्धी घोषणा, 1993 में प्रावधान है कि –

राष्ट्रों को महिलाओं के प्रति हिंसा की निन्दा करनी चाहिए और सभी उपयुक्त साधनों से अविलम्ब महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन की नीति का अनुसरण करना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ –

- हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं पर हुए अन्याय के लिए सजा देने के लिए देश के विधान में फौजदारी, दीवानी, श्रमिक और प्रशासनिक सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- उन्हें उपलब्ध संसाधनों के आलोक में, और जहां आवश्यक हो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के दायरे में, यथासंभव अधिकतम सीमा तक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा की शिकार महिलाओं और जहां उपयुक्त हो उनके बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाये जैसेकि पुनर्वास, बच्चों की देखभाल और भरणपोषण, उपचार, मंत्रणा और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएं, सुविधाएं और कार्यक्रम तथा समर्थन व्यवस्थाएं। इसके अतिरिक्त, उनकी सुरक्षा तथा भौतिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए सभी अन्य उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए।

- सरकारी बजटों में महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रस्तावित अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने पर ध्यान देने की मांग की गई है :–

- तेजाब से प्रहार की पीड़िता को चिकित्सीय उपचार की सेवाएं उपलब्ध करा कर और सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समर्थन जुटाकर उसकी सहायता करना।
- पीड़िता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके पुनर्वास की योजनाओं की व्यवस्था करना।

अध्याय–I
संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस स्कीम का नाम अपराध (तेजाब से हमला) की शिकार महिलाओं और बच्चों को राहत और पुनर्वास की स्कीम होगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. अनुप्रयोग – यह स्कीम तेजाब प्रहारों के पीड़ितों (महिलाओं और बच्चों) पर लागू होगी।

3. **परिभाषाएं** – (1) इस स्कीम में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो :–

(क) 'तेजाब' से अभिप्रेत होगा तथा इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ सम्मिलित होगा जिस के लक्षण अम्लीय या क्षारीय या ज्वलन प्रकृति के हों जिनसे शारीरिक हानि हो सकने के कारण निशान पड़ सकते हैं या विरुपण अथवा अस्थायी या स्थायी निर्योग्यता हो सकती है।

(ख) 'तेजाब प्रहार' से पीड़ित पर किसी रूप में इस इरादे से या यह जानते हुए तेजाब फेंकना या तेजाब का प्रयोग करना अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति अन्य व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति पहुंचा सकता है या उसके शरीर के किसी भाग को विकृत या विरुपित कर सकता है।

(ग) 'उपयुक्त सरकार' से केन्द्रीय और राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(घ) 'बच्चे' से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ड.) 'जिला बोर्ड' से जिला स्तर पर स्थापित आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड (सी आई आर आर बी) अभिप्रेत है।

(च) 'जिला मानीटरन समिति' से प्रत्येक जिले में स्थापित समिति अभिप्रेत है।

(छ) 'घरेलू हिंसा' की वही परिभाषा है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 में दी गई गई है।

(ज) 'पीड़ित' से कोई महिला या बच्चा अभिप्रेत है।

(झ) 'चिकित्सीय उपचार' में सुधारात्मक शल्य चिकित्साएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल होगा।

(ञ) 'चिकित्सीय सुविधा' से ऐसा कोई अस्पताल अभिप्रेत है जिसका वित्तपोषण सरकार करती हो या कोई प्राइवेट अस्पताल, जिसमें ज्वलन के घावों, तेजाब प्रहारों के पीड़ितों के लिए विशेष उपचार का प्रावधान हो।

(ट) 'राष्ट्रीय बोर्ड' से राष्ट्रीय आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड अभिप्रेत है।

(ठ) 'अपराध' से भारतीय दंड संहिता अथवा किसी भी अन्य कानून के तहत दंडनीय कोई अपराध अभिप्रेत होगा।

(ड) 'सेवा प्रदाता' से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कोई स्वयंसेवी संगठन या कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के तहत पंजीकृत कोई कम्पनी, जो महिला समर्थन वाले मुद्दों का पक्ष लेती है तथा/अथवा तेजाब प्रहारों के पीड़ितों को समर्थन तथा पुनर्वास मुहैया करती है, अभिप्रेत होगा।

(ढ) 'राज्य बोर्ड' से राज्य स्तर पर राज्य आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड अभिप्रेत है।

अध्याय–II

इस स्कीम का क्रियान्वयन करने वाले प्राधिकरण

4. राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड का गठन

केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन करेगी, जिसे 'राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड' के नाम से जाना जाएगा।

(ii) इस राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा –

– राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो इस बोर्ड की पदेन अध्यक्ष होंगी

- एक अधिकारी, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव रैंक से निम्न रैंक का न हो।
- एक महिला सदस्या जिसे आपराधिक कानूनों से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी हो या उनका व्यावहारिक अनुभव हो।
- महिलाओं के सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों या महिला कार्यकर्ताओं के दो महिला प्रतिनिधि।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अधिकारी इस बोर्ड का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

5. कामकाज की प्रक्रिया और बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य मानदेय के आधार पर कार्य करेंगे। राष्ट्रीय, राज्य और जिला बोर्डों के गैर–सरकारी सदस्य प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 500/– रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे तथा जिला मानीटरन समिति के गैर–सरकारी सदस्य प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 500/– रुपये मानदेय प्राप्त करने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय, राज्य और जिला बोर्डों के ऐसे सदस्य जो सरकारी सेवक हैं, मानदेय के आधार पर कार्य करेंगे तथा वे अपने नियमित लेखा शीर्ष से उन पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे।

6. बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

राष्ट्रीय बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करने के प्रयोजनार्थ अल्पकालिक अनुबंध सहित (प्रतिनियुक्ति पर अथवा अन्यथा) इतने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

7. राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य

राष्ट्रीय बोर्ड इस स्कीम को क्रियान्वित करेगा और इसके लिए:

क. स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासन हेतु नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा।

ख. स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि और अन्य राहतों की मात्रा की समय–समय पर समीक्षा करेगा और इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देगा।

ग. मंत्रालय को इस आशय की सलाह देगा कि राज्य सरकारों को उपयुक्त परामर्श जारी करके उनसे यह कहा जाए कि वे सरकारी अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उपयुक्त मुआवजे के संबंध में आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखें और स्कीम के अनुसार शुरू की गई कार्रवाइयों के संबंध में न्यायालय को अवगत कराएं।

घ. निधियों/बजट की आवश्यकता का आकलन करेगा, राज्य बोर्डों को शासित करेगा और उन्हें निधियां आबंटित करेगा।

ड. पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित कराने के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेगा।

च. पुनर्वास स्कीमों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार करेगा और निर्णय जारी करेगा।

छ. स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा और उनका मूल्यांकन करेगा तथा इस संबंध में समय–समय पर रिपोर्टों की मांग करेगा।

ज. स्कीम के क्रियान्वयन हेतु इस स्कीम के अंतर्गत गठित राज्य और जिला प्राधिकरणों के क्रियाकलापों का समन्वयन और मानीटरन करेगा।

झ. बोर्ड ऐसी किसी भी शिकायत में जांच करेगा या स्वतः संज्ञान लेकर या अन्यथा या पीड़ित अथवा पीड़ित के पक्ष से किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर कार्रवाई करेगा जिसमें पीड़ित द्वारा उस पर तेजाब से हमले के अपराध का आरोप लगाया गया हो और/या स्कीम के उपबंधों के अनुसार किसी भी अन्य मामले में कोई शिकायत की गई हो तथा संबंधित मामले को उपयुक्त जिला या राज्य बोर्ड के समक्ष उठाएगा।

ञ. बीमा स्कीम या सामूहिक बीमा को प्रशासित करेगा तथा यथाविहित एजेंटों के नामों को अधिसूचित करेगा।

ट. सरकार को तेजाब सहित अन्य रसायानों का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति, निकाय या विनिर्माताओं के एसोसिएशन से शुल्क, कर या प्रभार वसूलने के संबंध में सिफारिश करेगा और साथ ही तेजाब और रसायन विनिर्माताओं का एक संघटन या संघ गठित करने के संबंध में भी सिफारिश करेगा जिनसे सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क या इसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क वसूल किया जा सके जिसे एक समग्र निधि स्थापित करके उसमें संगृहीत किया जा सके जिससे पीड़िता को तत्काल आधार पर मुआवजा दिया जा सके।

ठ. यथाविहित कोई भी अन्य मामला।

8. राज्य बोर्ड का गठन

(i) राज्य सरकार राज्य स्तर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड का गठन करेगी।

(ii) राज्य बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- महिला एवं बाल विकास विभाग/सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव, जो इसके अध्यक्ष होंगे।

- गृह विभाग के संयुक्त सचिव
- राज्य महिला आयोग के सदस्य–सचिव अथवा कोई अन्य सदस्य
- राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधि विभाग का एक अधिकारी
- महिला कार्यकर्ताओं के तीन प्रतिनिधि और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित वकील।

9. राज्य बोर्ड के कार्य

(i) राज्य बोर्ड, जिला बोर्डों के कार्यों में सहयोग और मानीटरन करेगा।

(ii) राज्य बोर्ड केंद्र सरकार/राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा इसे आबंटित निधियों और जिला बोर्डों को राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी अतिरिक्त राशि का समुचित आबंटन सुनिश्चित करेगा।

(iii) पीड़िता को समुचित चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत समुचित प्राधिकारियों को निदेश जारी करेगा।

(iv) बोर्ड पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तेजाब से हमले के संबंध में अपराध और/अथवा इस स्कीम के प्रावधान से संबंधित किसी मामले की शिकायत करते हुए प्रस्तुत की गई याचिका पर स्वतः संज्ञान लेकर अथवा अन्यथा जांच कर सकता है और मामले को जिला बोर्ड के पास भेज सकता है।

(v) यह बोर्ड जिला बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध सभी अपीलों को सुनेगा और असाधारण परिस्थितियों के पात्र मामलों में राष्ट्रीय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से राहत राशि में वृद्धि करने की सिफारिश करेगा।

10. जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड का गठन

(क) स्कीम के अधिसूचित हो जाने पर, प्रत्येक जिले में एक **जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड** की स्थापना की जाएगी।

(ख) उस जिले में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए बोर्ड का विशेष अधिकारक्षेत्र होगा।

(ग) बोर्ड की अध्यक्षता कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जिस नाम से उसे पुकारा जाता हो, द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चार अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से एक आपराधिक कानून से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ, एक महिलाओं के सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुभवी, एक चिकित्सा क्षेत्र का डाक्टर तथा एक पंचायती राज संस्थान अथवा जिले की नगरपालिका का प्रतिनिधि होंगे जिनमें कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी।

11. जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड (सी आई आई आर बी) के कार्य

(क) यह बोर्ड इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेजाब से हमलों के सही मामलों में, जैसा भी मामला हो, वित्तीय राहत/पुनर्वास के दावों और अवार्ड पर विचार करेगा।

(ख) यह बोर्ड किसी कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक अथवा सहयोग/सहायता के किसी अन्य रूप में पीड़ित की सहायता के लिए योजना में यथानिर्धारित जिला मानीटरिंग समिति (डी एम सी), और/अथवा सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों में सहयोग देगा और उसे मानीटर करेगा।

(ग) राज्य अथवा राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड द्वारा तेजाब से हमलों के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु बनाई गई किसी स्कीम का क्रियान्वयन।

12. जिला बोर्ड की शक्तियां

(क) यह बोर्ड तेजाब से हमलों के आरोप से संबंधित सभी मामलों में दावों पर विचार करने और वित्तीय राहत प्रदान करने का प्राधिकरण होगा और ऐसी अन्य राहत और पुनर्वास के उपाय करने के लिए आदेश देगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों।

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम के अंतर्गत क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता अथवा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के अंतर्गत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा।

13. जिला मानीटरिंग समिति

राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मानीटरिंग समिति की स्थापना करेगी, जिसकी अध्यक्षता जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। इस समिति में निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगाः

(i) एक पुलिस अधिकारी जिसमें महिला को अधिमान्यता दी जाएगी;

(ii) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सलाहकार;

(iii) एक वकील;

(iv) चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा एक डाक्टर;

(v) पंचायती राज संस्था या नगरपालिका का एक प्रतिनिधि।

14. जिला मानीटरिंग समिति के कार्य

जिला मानीटरिंग समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः

(क) पीड़िता को मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता तथा परामर्श की व्यवस्था करना;

(ख) पीड़िता को प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर संपूर्ण जांच प्रक्रिया में निष्कर्ष पर पहुंचने तक कानूनी सहायता के लिए व्यवस्था करना;

(ग) जांच के परिणाम आने तक गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना;

(घ) जांच की प्रगति को मानीटर करना और गति प्रदान करना

(ड.) पीड़िता की सुरक्षा के लिए, जमानत का विरोध करने के लिए, अपील दर्ज करने के लिए और आवेदन करने के लिए सहयोग और सहायता करना;

(च) अवयस्क पीड़िता के मामले में यह ध्यान रखना कि उसे शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हो;

(छ) रोज़गार प्राप्त करने में सहायता करना;

(ज) पीड़िताओं के पुनर्वास को सुकर बनाना;

(झ) ऐसी अवधि के लिए, जो परिस्थितियों के अनुरूप हो, पीड़िता के लिए आश्रय की व्यवस्था करना;

(ञ) पीड़िता को चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता सेवाओं के रूप में स्वयं अथवा किसी सेवा प्रदाता के जरिए तत्काल सहायता उपलब्ध कराना;

(ट) तेजाब से हमले के मामले में संबंधित स्थल का दौरा करना और जांच करना तथा ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना;

(ठ) जनता को उन उपायों के बारे में जागरूक बनाना जिनका उपयोग करके जनता बोर्ड को तेजाब से हुए हमले के मामलों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा सके, सहायता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए

गैर–सरकारी संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से नेटवर्किंग व्यवस्था विकसित करना तथा पुलिस और अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से परामर्श कार्य करना;

(ड) तेजाब से हमलों के मामले में रिकार्ड और अन्य सांख्यिकीय सूचनाओं का रखरखाव करना;

(ढ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाए।

अध्याय–III
सहायता की प्रक्रिया

16. पीड़िता को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया

(क) कोई पीड़िता या उसके आश्रित या उसके परिवार का कोई सदस्य या महिलाओं/बच्चों का हितपोषण करने वाला कोई स्वयंसेवी संगठन निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अनुसार वित्तीय और अन्य राहत के लिए जिला बोर्ड से आवेदन कर सकेगा।

(ख) तेजाब प्रहार से या उसके परिणामस्वरूप मृत्यु होने के मामले में, मृतक के बच्चे या अन्य आश्रित या महिलाओं/ बच्चों का हितपोषण करने वाला कोई स्वयंसेवी संगठन या सेवा प्रदाता इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राहत के लिए बोर्ड से आवेदन कर सकेगा।

(ग) यदि कानूनी वारिस –

(i) एक बच्चा है तो आवेदन उसकी ओर से पिता या अभिभावक या किसी प्राधिकृत स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जा सकेगा;

(ii) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अर्थों के अनुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति है तो आवेदन उस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ पीड़ित महिला सामान्यतया रहती है अथवा यथाविधि प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या किसी स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) आवेदनकर्ता आवेदन के साथ निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि आवेदन पीड़िता द्वारा या उसकी ओर से किया जा रहा हो तो उस संबंध में चिकित्सीय प्रमाण पत्र; अथवा

(ii) यदि कानूनी वारिस आवेदन कर रहा हो तो संबंधित पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र/शव परीक्षा रिपोर्ट, तथा शव परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति; अथवा

(iii) एफ.आई.आर./शिकायत की प्रति।

(ङ) **आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, जिला बोर्ड दावे के बारे में अपना समाधान करेगा, दावे की प्रकृति के बारे का प्राथमिक आकलन करेगा।**

(च) **प्राथमिक आकलन में संतुष्ट होने पर कि तेजाब प्रहार का मामला बनता है, बोर्ड आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर 5,00,000 रुपये तक की राशि की अंतरिम राहत का आदेश देगा। भुगतान सीधे उस अस्पताल को भेजा जायेगा जहां तेजाब प्रहार से प्रभावित व्यक्ति का इलाज चल रहा है और इसका उपयोग पीड़ित के उपचार के लिए किया जाएगा।**

(छ) समय–समय पर बोर्ड/निगरानी प्राधिकरण द्वारा आगे किसी राशि की मंजूरी दी जाती है तो इसका प्रयोग पीड़िता के उपचार के लिए किया जायेगा, किन्तु यह राशि **25 लाख रुपये** से अधिक नहीं होगी जिसमें अंतरिम मुआवजा भी शामिल है।

(ज) **यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो बोर्ड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 2,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि कानूनी वारिस, जहां तक संभव हो मृतका**

के बच्चों को देगा ताकि बच्चे के हितों का पूरा ध्यान रखा जा सके। यह राशि उस राशि के अलावा होगी जो पीड़िता के इलाज पर खर्च की जा चुकी है।

(झ) बोर्ड उपरोक्त के अतिरिक्त, निगरानी प्राधिकरण या सेवा प्रदाता के परामर्श से पीड़िता के पुनर्वास, कानूनी सहायता या उसकी किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपाय करेगा। बोर्ड या निगरानी प्राधिकरण ऐसे पीड़िताओं की विशेष आवश्यकताओं तथा पुनर्वास के लिए **5 लाख रुपये** तक की राशि दे सकेगा।

(ञ) इस अधिनियम के तहत जो राहतें दी जायेंगी वे दोषसिद्धि या रिहाई का ध्यान रखे बिना दी जायेंगी और इस बात को भी ध्यान में नहीं लिया जायेगा कि अपराध करने वाले व्यक्तियों की पहचान हो गई है या नहीं।

(ट) पीड़िता के घर या उसके परिसर की जांच–पड़ताल करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जायेगा कि पीड़िता कभी किसी घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी और यह निर्धारण कि मृतका का कानूनी वारिस उसका पति है या पति का कोई रिश्तेदार, बोर्ड या निगरानी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–IV
वित्त

16.

(i) केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बजटीय सहायता प्रदान करेगी जिसे अनुदान सहायता के रूप में राष्ट्रीय बोर्ड को अंतरित किया जाएगा।

(ii) बजटीय आबंटन राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा।

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड राज्य बोर्डों को निधि आबंटित करेगा। राज्य आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड निधियां प्राप्त होने के पश्चात उन्हें जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्डों को आबंटित कर देगा।

(iv) सक्षम न्यायालय द्वारा तेजाब से हमलों के दोषसिद्ध पाए गए अपराधियों से वसूली गई जुर्माने की राशि/लागत प्रतिपूर्ति की राशि, यदि न्यायालय आदेश देगा तो राष्ट्रीय आपराधिक क्षति और पुनर्वास बोर्ड को सौंप दी जाएगी।

(v) बजटीय आबंटन का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगाः

(क) इस स्कीम के तहत प्रदान की गई सहायता की लागत;

(ख) पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित निधियों सहित राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्डों के कार्यकरण हेतु अपेक्षित कोई अन्य व्यय जिसे जिला मानीटरिंग समितियों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

17. **लेखा और लेखापरीक्षा** : केंद्रीय बोर्ड और राज्य सरकार या निगरानी प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेंगे और आय तथा व्यय खाते और तुलन–पत्र सहित लेखाओं के वार्षिक ब्योरे तैयार करेंगे। इन लेखाओं की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

अध्याय–V
विविध प्रावधान

18. **सरकार का कर्तव्य** – (क) उपयुक्त सरकार राष्ट्रीय बोर्ड और निगरानी एजेंसी के साथ परामर्श से तेजाबों की किसी भी रूप में बिक्री, वितरण और खरीद को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश

तैयार करेगी; (ख) उपयुक्त सरकार सिफारिश प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही करेगी।

19. **चिकित्सा सुविधा का कर्तव्य** –

(क) सरकारी स्वामित्व वाला या गैर–सरकारी स्वामित्व वाला कोई भी मेडिकल अस्पताल या स्पेशैलिटी किसी पीड़िता को, जब ऐसी पीड़िता को ऐसी सुविधा में उपचार के लिए लाया जाये या आये, किसी आधार पर विशेषीकृत या किसी प्रकार के उपचार से इनकार नहीं करेगा।

(ख) जब ऐसी मेडिकल सुविधा उपचार के लिए ऐसे पीड़िता को लेती है तो वह तुरंत इसकी सूचना निगरानी एजेंसी या राष्ट्रीय बोर्ड और पुलिस को देगी किन्तु किसी तरीके से या किसी आधार पर ऐसे पीड़िता का इलाज करने से इनकार नहीं करेगी।

(ग) उपचार के प्रयोजनार्थ पहले पुलिस में रिपोर्ट करना या एफ.आई.आर. दर्ज कराना जरूरी नहीं होगा।

आपराधिक कानूनों में संशोधन – भारतीय दंड संहिता आदि में संशोधन

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

1. **नई धारा 326क का जोड़ा जाना – अन्य व्यक्ति के शरीर पर किसी रूप में तेजाब फेंकना या तेजाब का इस्तेमाल करना** –

संहिता की धारा 324 या 326 में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस इरादे से या यह जानते हुए अन्य व्यक्ति पर किसी रूप मे तेजाब फेंकता है या तेजाब का इस्तेमाल करता है कि वह ऐसे व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या ऐसे व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में विकृति, विरूपता ला सकता है या उसे अपंग बना सकता है, उसे किसी प्रकार की ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकेगी जो **दस वर्ष से कम नहीं होगी** किन्तु जो **बढ़ाकर आजीवन की जा सकेगी** और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा जो कम से कम 2 लाख रुपये होगा और अधिकतम 5 लाख रुपये होगा। यह अपराध संज्ञेय, गैर–जमानती और गैर–शमनीय होगा।

स्पष्टीकरण – 'तेजाब' और 'तेजाब से हमला' शब्द – जैसा कि (तेजाब से हमला) अपराध निवारण स्कीम, 2008 की धारा 3(क) और (ख) में परिभाषा दी गई है।

औचित्य : यद्यपि तेजाब फेंकने संबंधी अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 320 और 326 के तहत आते हैं, तथापि इस कृत्य की अत्यन्त घृणित प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 326 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा या ऐसी सज़ा दी जा सकती है **जो दस वर्ष तक हो सकती है, विधेयक में यह प्रस्ताव है कि न्यूनतम सजा 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ सकती है।**

इसके अतिरिक्त, जानबूझ कर और किसी इरादे से तेजाब का प्रयोग करना एक दण्डनीय अपराध है, चाहे क्षति की प्रकृति तथा विस्तार जो भी हो। अतः विभिन्न प्रकार की अपंगता का वर्गीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. **नई धारा 326ख का जोड़ा जाना – किसी अन्य व्यक्ति पर किसी रूप में तेजाब फेंकने या तेजाब का प्रयोग करने का प्रयास** – जो कोई ऐसे इरादे से या जानबूझ कर इस प्रकार का कार्य करता है और ऐसी परिस्थितियों में वह ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति, विरूपता या अपंगता पहुंचाता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास की सजा

दी जा सकेगी जो सात वर्ष से कम नहीं होगी और उस पर कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

1. **नई धारा 114ख का जोड़ा जाना – तेजाब प्रहार के बारे में अवधारणा** – जब प्रश्न यह उठे कि क्या किसी व्यक्ति ने महिला पर तेजाब फेंकने का काम किया है तो मामले की परिस्थितियों और पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की यह अवधारणा होगी कि ऐसे व्यक्ति ने महिला पर तेजाब फेंका।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

नई धारा 357क का जोड़ा जाना – व्यय की प्रतिपूर्ति–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में अथवा तत्कालीन लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या 326ख के तहत अपराध के लिए निर्णय देते समय यह निर्देश दे सकेगा कि –

(क) इस अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए किसी व्यक्ति को मुआवजा दिया जाये और इस राशि की वसूली अभियुक्त की परिसंपत्तियों से की जाए।

(ख) तेजाब से हमले के पीड़ितों को सहायता देने के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाये।

(ग) यदि किसी ऐसे मामले में जुर्माना किया जाता है जिसमें कि अपील की जा सकती हे, तो अपील पेश करने के लिए दी गई अवधि समाप्त होने से पूर्व या अपील पेश किये जाने पर अपील पर निर्णय आने से पूर्व, कोई ऐसा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(घ) इस धारा के तहत अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा भी पुनरीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई आदेश दिया जा सकता है।

स्कीम पर होने वाले वित्तीय व्यय
ग्यारहवीं योजना अवधि 2008–09 से 2011–12 के दौरान

	अंतरिम	राहत और पुनर्वास	अंतिम निपटान	स्थापना (करोड़ में)	कुल (करोड़ में)
	5 लाख	5 लाख	20 लाख	3	
	100 मामले				
2009–09	5 करोड़	5 करोड़	20 करोड़	3	33
2009:10	5 करोड़	5 करोड़	20 करोड़	3	33
2010–11	5 करोड़	5 करोड़	20 करोड़	3	33
2011–12	5 करोड़	5 करोड़	20 करोड़	3	33

अनुलग्नक–V

राष्ट्रीय महिला आयोग
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन के संबंध में सिफारिशें और सुझाव

1. भूमिका

भारतीय समाज में अपनी काफी गहरी पैठ बना चुकी सामाजिक बुराई दहेज से संबंधित समस्याओं को एनएसीसी, पूसा, नई दिल्ली स्थित सिंपोजिया हाल में 22 नवंबर, 2005 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उठाया गया।

हालांकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 नामक कानून के अंतर्गत दहेज लेने और देने दोनों का उपयुक्त रूप में प्रतिषेध किया गया है, फिर भी यह महसूस किया गया कि वर्तमान कानून इस सामाजिक बुराई पर नियंत्रण पाने में पूर्णतः विफल सिद्ध हुआ है। इस सम्मेलन, जिसमें विभिन्न राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, गैर–सरकारी संगठनों के सदस्यों, सिविल सेवकों तथा साथ ही विभिन्न राज्यों के सेवानिवृत्त और कार्यरत पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया, में यह महसूस किया गया कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए इसमें अपेक्षित संशोधन करने की काफी अधिक आवश्यकता है।

इस सम्मेलन में वकीलों द्वारा सामूहिक रूप से तैयार की गई पृष्ठभूमि टिप्पणी और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य शिष्टमंडलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर चर्चा की गई तथा इस चर्चा के आधार पर वकीलों से सामूहिक रूप में परामर्श के पश्चात अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देते हुए, निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं:

II. वर्तमान कानून और प्रस्तावित संशोधन :

I. धारा 2 : दहेज की परिभाषा

वर्तमान अधिनियम	प्रस्तावित	अभ्युक्तियां
"दहेज" से अभिप्रायः ऐसी किसी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती हो अथवा जिसे दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है।	"दहेज" से अभिप्रायः ऐसी किसी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती हो अथवा जिसे दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है।	
(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को; या	(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को।	
(ख) उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या विवाह से पहले अथवा विवाह के बाद किसी अन्य समय,	(ख) **विवाह के समय या विवाह से पहले अथवा विवाह के बाद किसी अन्य समय,** विवाह के दोनों में से	विवाह के संबंध में "वाक्यांश" को हटा दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

विवाह के दोनों में से किसी एक पक्ष के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दोनों में से किसी दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को, किंतु यह बात ऐसे व्यक्तियों जिनके संबंध में मुस्लिम स्वीय कानून (शरियत) के अंतर्गत विधवादाय या मेहर तय की जाती हो, लागू नहीं होती।	किसी एक पक्ष के माता–पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दोनों में से किसी दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को, किंतु यह बात ऐसे व्यक्तियों जिनके संबंध में मुस्लिम स्वीय कानून (शरियत) के अंतर्गत विधवादाय या मेहर तय की जाती हो, लागू नहीं होती। (2) इस धारा के अंतर्गत अन्य कोई भी बात निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगीः (क) विवाह के समय दुल्हन को **स्वेच्छा** से दिए गए **उपहार** (जिसके संबंध में कोई मांग न की गई हो) बशर्ते ऐसे उपहारों को अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज किया गया हो। (ख) विवाह के समय दुल्हे को **स्वेच्छा** से दिए गए **उपहार** (जिसके संबंध में कोई मांग न की गई हो) बशर्ते ऐसे उपहारों को अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज किया गया हो। यह भी कि यदि ऐसे **उपहार** दुल्हन द्वारा या उसकी ओर से या दुल्हन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, ऐसे उपहार देना प्रथा अथवा रिवाज से जुड़े हुए हों तथा उसका मूल्य जिस व्यक्ति की ओर से उपहार दिया गया हो, उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए काफी अधिक न हो।	उक्त धारा (2) से धारा (3) तक को दहेज की व्यापक परिभाषा में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। अभिव्यक्ति "भेंट" के स्थान पर **"उपहार"** शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।

	यह भी कि **उपहारों की सूची महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त किए गए/ मान्यताप्राप्त संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा अधिप्रमाणित और हस्ताक्षरित हो।**	उपहारों की सूची के पंजीकरण के संबंध में एक उपबंध शामिल किया जाए।
	स्पष्टीकरण I: इस धारा के प्रयोजनार्थ **अप्रत्यक्ष** से अभिप्राय – जानबूझकर किए गए किसी आचरण अथवा एक ऐसी प्रकृति के उत्पीड़न से है जिसमें महिला पर किसी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु के लिए की गई गैर–कानूनी मांग को पूरा करने के लिए दबाव डाला जाता हो अथवा जो उस महिला द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग पूरा करने में विफल होने के कारण किया जाता हो।	शब्द "अप्रत्यक्ष" की व्याख्या शामिल की जाए।
स्पष्टीकरण II: अभिव्यक्ति "मूल्यवान वस्तु" का अर्थ वही है जो इसका अर्थ भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में दिया गया है।	**स्पष्टीकरण II:** अभिव्यक्ति "मूल्यवान वस्तु" का अर्थ वही है जो इसका अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है। **स्पष्टीकरण III:** अभिव्यक्ति "उपहार" का अर्थ किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कोई मौजूदा चल अथवा अचल संपत्ति स्वेच्छा से और बिना कोई धन लिए अथवा धन मूल्य पर विचार किए अंतरित कर देना। इस अभिव्यक्ति में निम्नलिखित शामिल है किंतु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है।	जो वस्तुएं "उपहार" के रूप में दी गई हैं, उनके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा स्त्रीधन और मेहर के रूप में प्राप्त वस्तुओं के संबंध में भी उल्लेख किया जाए।

	(i) वैवाहिक वेदी के समक्ष दिए गए उपहार (ii) दुल्हन के अपने माता–पिता के घर से अपने पति के घर को विदा होते समय दिए गए उपहार (iii) प्रेम के प्रतीक के रूप में दिए गए उपहार अर्थात वे उपहार जो दुल्हन के ससुर और सास द्वारा दिए गए हों और जो उपहार दुल्हन द्वारा अपने बड़ों के पैरों पर रखकर उन्हें श्रद्धास्वरूप अपिर्त किए गए हों (iv) दुल्हन के पिता द्वारा दिए गए उपहार (v) दुल्हन की माता द्वारा दिए गए उपहार (vi) दुल्हन के भाई द्वारा दिए गए उपहार (vii) जिन व्यक्तियों के संबंध में मुस्लिम स्वीय कानून (शरियत) लागू होता है, उनके मामले में विधवादाय या मेहर एक ऐसा उपहार "रिवाज स्वरूप" कहा जाएगा यदि यह सिद्ध किया जा सके कि: क. ऐसे उपहार को लेने–देने का रिवाज वर्षों से बेरोक–टोक चला आ रहा है। ख. यह रिवाज काफी पुराने समय से प्रचलित है। ग. यह रिवाज उपयुक्त है।	उपहारों के आदान–प्रदान के संबंध में "स्वेच्छा" शब्द की व्याख्या के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

	घ. इससे देश के मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं होता। **स्पष्टीकरण IV:** उपर्युक्त स्पष्टीकरण II में प्रयुक्त अभिव्यक्ति स्वेच्छा से अभिप्राय ऐसे उपहारों से है जो उस संबंध में बिना कोई मांग किए या कोई दबाव, भय, प्रेरणा या वायदा किए दिया गया हो। **स्पष्टीकरण V:** कोई उपहार "रिवाज स्वरूप" कहा जाएगा यदि यह सिद्ध किया जाए सके कि: क. ऐसे उपहार को लेने–देने का रिवाज वर्षों से बेरोक–टोक चला आ रहा है। ख. यह रिवाज काफी पुराने समय से प्रचलित है। ग. यह रिवाज उपयुक्त है। घ. इससे देश के मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं होता। तथापि इसमें ऐसे उपहार शामिल नहीं होंगे जो बच्चों के जन्म के समय दिए जाते हैं।	

क. दहेज की परिभाषा में प्रस्तावित संशोधन का औचित्य

"दहेज" की मौजूदा परिभाषा से निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए हैं:

- शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" का क्या अर्थ है?
- वाक्यांश "विवाह के संबंध में" की परिभाषा क्या होगी?
- वाक्यांश "विवाह के पश्चात किसी समय" के प्रयोग द्वारा कितनी समय अवधि की परिकल्पना की गई है?
- क्या इस परिभाषा में विवाह के संबंध में दिए जाने वाले सभी उपहार और वस्तुओं का आदान–प्रदान शामिल है?

इस कानून के विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत दी गई परिभाषा को धारा 3 जिसके अंतर्गत दहेज देने और लेने हेतु दंड का प्रावधान किया गया है, के साथ पढ़ा जाना होगा। इस उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के उपहारों के लेन–देन के लिए छूट दी गई है:

- विवाह के समय दुल्हन को दिए गए उपहार, जिनके लिए पहले से कोई मांग न की गई हो।
- ऐसे उपहार जो "रिवाज स्वरूप" दिए गए हों और जिनका मूल्य जिस व्यक्ति द्वारा या जिस व्यक्ति की ओर से ऐसे उपहार दिए जा रहे हों, उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए काफी अधिक न हो।
- इस कानून के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार ऐसे सभी उपहारों की एक सूची तैयार की जाए।

इन दोनों उपबंधों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के समय सभी प्रकार के उपहारों के लेन–देन को इस कानून द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया है। इसके साथ ही अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं कि विवाह के समय दिए गए उपहार किसी प्रकार की मांग या किसी दबाव के अंतर्गत नहीं दिए गए हों। इस संदर्भ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से दंड का विधान किया गया है। दुर्भाग्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो दहेज की मांग करते हैं या दहेज लेते हैं, दंडित करने का प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है जो दहेज देते हैं। अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करके वर्तमान समाज की यथार्थता की अनदेखी की गई है जिसमें दहेज प्रथा इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि दहेज के संबंध में कोई मांग किए बिना भी दहेज दिया जाता है। दुल्हन के माता–पिता दहेज देने के लिए स्वयं को बाध्य पाते हैं क्योंकि उनका मानना यह होता है कि दहेज देकर वे अपनी लड़की के ससुराल पक्ष को खुश करके अपनी लड़की के लिए "सुख और सुरक्षा" सुनिश्चित कर रहे हैं।

जहां तक "दहेज की परिभाषा" का संबंध है, कानून का प्रभावी रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

I. दहेज की परिभाषा को किसी एक उपबंध के अंदर लाना

दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लिखित उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना है। तथापि इसके साथ ही कानून का अभिप्राय विवाह के समय या विवाह की प्रक्रिया के दौरान स्वेच्छा से दिए जाने वाले सभी प्रकार के उपहारों के लिए दंड का प्रावधान करना नहीं है। "दहेज" और अन्य "उपहारों" के बीच अंतर का दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दो अलग–अलग उपबंधों में उल्लेख किया गया है।

धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है, जिसमें "विवाह के संबंध में" किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आदान–प्रदान की सूची दी गई है। धारा 3 में दहेज देने और लेने के लिए दंड का विधान किया गया है और इसके साथ ही ऐसे उपहारों के लेन–देन के संबंध में छूट प्रदान की गई है जो विवाह के किसी भी पक्ष या संबंधियों को स्वेच्छा से दी जाती है बशर्ते ऐसे सभी उपहारों की एक सूची तैयार की जाए। धारा 3 में दिए गए एक अतिरिक्त सुरक्षोपाय में यह उल्लेख किया गया है कि "उपहारों" का लेन–देन रिवाज स्वरूप हो तथा ऐसे उपहारों का मूल्य उसे देने वाले की वित्तीय स्थिति को देखते हुए काफी अधिक न हो।

इन उपबंधों के बावजूद अधिनियम में ऐसी वस्तुओं जो "उपहार/भेंट" के रूप में दी गई हों और जो "दहेज" के रूप में दी गई हों, के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। यदि कानून का आशय दहेज को निषिद्ध करना है जिसका अर्थ है कि मांग किए जाने अथवा गुपचुप रूप में या खुले तौर पर कोई दबाव डालकर किन्हीं वस्तुओं के लेन–देन को निषिद्ध करना, तो स्वेच्छा से दिए गए "उपहारों" और दबाव के अंतर्गत किए गए लेन–देन के बीच निश्चित तौर पर एक स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत एक उपबंध का उल्लेख करके "दहेज" तथा वस्तुओं के ऐसे लेन–देन जो दहेज के अंतर्गत नहीं आते, को स्पष्टतः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 3(2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भेंट" के स्थान पर वस्तुओं के लेन–देन के पीछे स्वेच्छा से लेन–देन को सूचित करने के लिए अभिव्यक्ति "उपहार" को प्रतिस्थापित किया जाए। अभिव्यक्ति "उपहार" की परिभाषा उपहार–कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दी गई है।

इसके अतिरिक्त, "दहेज" तथा "स्त्रीधन" अथवा स्त्रीधन के रूप में प्राप्त उपहार के बीच स्पष्ट अंतर का उल्लेख निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए।

इन उपबंधों के बावजूद अधिनियम में ऐसी वस्तुओं जो "उपहार/भेंट" के रूप में दी गई हों और जो "दहेज" के रूप में दी गई हों, के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं। यदि कानून का आशय दहेज को निषिद्ध करना है जिसका अर्थ है कि मांग किए जाने अथवा गुपचुप रूप में या खुले तौर पर कोई दबाव डालकर किन्हीं वस्तुओं के लेन–देन को निषिद्ध करना, तो स्वेच्छा से दिए गए "उपहारों" और दबाव के अंतर्गत किए गए लेन–देन के बीच निश्चित तौर पर एक स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत एक उपबंध का उल्लेख करके "दहेज" तथा वस्तुओं के ऐसे लेन–देन जो दहेज के अंतर्गत नहीं आते, को स्पष्टतः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 3(2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भेंट" के स्थान पर वस्तुओं के लेन–देन के पीछे स्वेच्छा से लेन–देन को सूचित करने के लिए अभिव्यक्ति "उपहार" को प्रतिस्थापित किया जाए। अभिव्यक्ति "उपहार" की परिभाषा उपहार–कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दी गई है।

इसके अतिरिक्त, "दहेज" तथा "स्त्रीधन" अथवा स्त्रीधन के रूप में प्राप्त उपहार के बीच स्पष्ट अंतर का उल्लेख निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए।

II. "दहेज" और "स्त्रीधन" के बीच अंतर

ऐसा प्रतीत होता है कि "दहेज" और "स्त्रीधन" के बीच काफी हद तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू कानून की संकल्पना के अनुसार, "स्त्रीधन" की संकल्पना "वर दक्षिणा" संकल्पना से उत्पन्न हुई है जो हिंदू विवाह की एक अनुमोदित प्रथा "कन्यादान" से जुड़ी हुई है। कन्यादान ऐसे उपहार को कहते हैं जो दुल्हन के पिता द्वारा दूल्हे के पिता को दिया जाता है। "वर दक्षिणा" ऐसे उपहारों को कहते हैं जो दूल्हे को नकद या वस्तु रूप में दिया जाता है।

कन्यादान और वर दक्षिणा दोनों ही पुण्य कृत्य माने जाते थे और ये स्वेच्छा से किए जाते थे। विवाह के समय लड़की को दी जाने वाली भेंट को उसका "स्त्रीधन" कहा जाता था जो उसकी अलग से संपत्ति मानी जाती थी।

"स्त्रीधन" का शब्दिक अर्थ है "महिला की संपत्ति"। "स्मृति" के अनुसार स्त्रीधन ऐसी संपत्ति को कहते हैं जो उसे अपने रिश्तेदारों से उपहार के रूप में मिलती हो और जिसमें प्रायः चल संपत्ति जैसेकि गहने, आभूषण, वस्त्र आदि शामिल हों। कभी–कभी भूमि या संपत्ति या घर या मकान आदि भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। दुल्हन को दी जाने वाली संपत्ति को "स्त्रीधन" मानने के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था किः

- महिलाओं का उसे दी गई वस्तुओं पर पूरा अधिकार हो।
- उसकी मृत्यु पर उसका स्त्रीधन उसके उतराधिकारियों को मिल जाए।

महिला के पति को "स्त्रीधन" का प्रयोग करने या उसे महिला से लेने का अधिकार बहुत सीमित था और वह भी तभी जबकि परिवार किसी संकट के दौर से गुजर रहा हो या कोई आपात स्थिति अथवा ऐसी ही कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो। किंतु आपात स्थिति के समाप्त हो जाने के बाद पति का यह कर्त्तव्य होता था कि वह उस महिला को उसका "स्त्रीधन" लौटा दे। अतः निष्कर्ष यह है कि सभी प्रकार के "स्त्रीधन" महिला को दी गई संपत्तियां हैं जो उसे उपहार के रूप में दी जाती हैं और जिसके लिए "कोई मांग, दबाव, अनुचित प्रभाव या किसी दमन" का इस्तेमाल न किया गया हो। तथापि विगत में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जबकि दहेज और "स्त्रीधन" के बीच अंतर गलत ढंग से समझ लिया गया। कैलाशवति बनाम अयोध्या प्रसाद के मामले में मुख्य न्यायाधीश संध्या वालिया ने "स्त्रीधन" और दहेज के बीच अंतर का उल्लेख करते हुए दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल एक–दूसरे के लिए किया जैसेकि इन दोनों का अर्थ एकसमान हो। उन्होंने निम्नवत राय व्यक्त कीः

"दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विवाह के समय या उसके आसपास परंपरागत रूप से उपहारों को देने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अतः माता–पिता द्वारा दिए गए ऐसे उपहार या दहेज किसी भी स्थिति में इस नियम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते।"

उन्होंने यह भी कहा किः "वर्तमान संदर्भ में कानून के अंतर्गत हिंदू पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति पर पूर्ण एवं संपूर्ण स्वामित्व की परिकल्पना की गई है और इस संदर्भ में विवाह संस्था की कोई संगतता नहीं है और वह हिंदू पुरुष के समान ही संपत्ति पर अपना स्वामित्व तथा संपत्ति को अपने अधिकार में रख सकती है। ..... एक बार जब यह स्थापित हो जाए कि हिंदू पत्नी संपत्ति को अपने अधिकार में रख सकती है, तब यह पूर्णतः एक यथार्थ प्रश्न होगा कि क्या उसे दिए गए दहेज या परंपरागत उपहारों पर केवल उस स्त्री का ही व्यक्तिगत स्वामित्वाधिकार है या वह संपत्ति अथवा दहेज केवल उसके पति को ही उपहार में दी गई है ..... जब एक बार यह ज्ञात हो जाए तथा तथ्यतः यह स्थापित हो जाए कि दहेज की ये वस्तुएं उस महिला को व्यक्तिगत रूप में दी गई थीं और उन वस्तुओं पर उस महिला का स्वामित्वाधिकार है, तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि केवल विवाह संस्था के आधार पर ही उसके संपत्ति अधिकार में बदलाव लाया जा सकता है और उसे उसके स्वामित्वाधिकार से पूर्णतः अथवा अंशतः वंचित किया जा सकता है।"

यहां अवधारणा यह है कि दुल्हन को "उपहार" के रूप में जो कुछ भी संपत्ति प्राप्त होती है, वह उसके वैवाहिक गृह में उसके नियंत्रण में रहती है तथा अपने विवेक के अनुसार वह उस संपत्ति का अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों को इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है। यह अवधारणा वास्तव में जो घटनाएं घटित होती हैं, उससे पूर्णतः भिन्न है क्योंकि वास्तव में दुल्हन का अपनी किसी भी संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता।

प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित प्रकार के आदान–प्रदान को "स्त्रीधन" की सूची में लाकर "स्त्रीधन" को परिभाषित करने का प्रयास किया:

(i) वैवाहिक वेदी के समक्ष दिए गए उपहार

(ii) दुल्हन के अपने माता–पिता के घर से अपने पति के घर को विदा होते समय दिए गए उपहार

(iii) प्रेम के प्रतीक के रूप में दिए गए उपहार अर्थात वे उपहार जो दुल्हन के ससुर और सास द्वारा दिए गए हों और जो उपहार दुल्हन द्वारा अपने बड़ों के पैरों पर रखकर उन्हें श्रद्धास्वरूप अपिर्त किए गए हों

(iv) दुल्हन के पिता द्वारा दिए गए उपहार

(v) दुल्हन की माता द्वारा दिए गए उपहार

(vi) दुल्हन के भाई द्वारा दिए गए उपहार

न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय में यह भी स्पष्ट किया गया कि "हिंदू विवाहित महिला का अपने "स्त्रीधन" पर पूर्ण अधिकार है और वह इस संपत्ति का अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में उपयोग कर सकती है। सामान्यतः पति का अपने पत्नी के "स्त्रीधन" पर कोई अधिकार नहीं हो सकता किंतु आपवादिक स्थिति में अत्यधिक संकट आने पर पति अपनी पत्नी के स्त्रीधन को प्रयोग में ला सकता है किंतु नैतिक दृष्टि से वह अपनी पत्नी को उसका स्त्रीधन अथवा उसके बराबर मूल्य को, जब पति की स्थिति अनुकूल हो, लौटा देने के लिए बाध्य है।

न्यायमूर्ति फाजिल अली ने यह भी टिप्पणी की कि: "मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूं कि विवाहित महिलाओं के वैवाहिक गृह और "स्त्रीधन" के संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों की संकल्पना इतनी अस्पष्ट है कि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि जो संपत्ति केवल पत्नी के अनन्य उपयोग के लिए है, वह संपत्ति कानूनी रूप से उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को सौंपी जा सकती है। उन्होंने विशेष तौर पर यह उल्लेख किया कि यह संकल्पना कि जैसे ही महिला अपने वैवाहिक गृह में प्रवेश करती है, तभी उस महिला का "स्त्रीधन" दोनों गृहों की संयुक्त संपत्ति बन जाता है – हिंदू कानून का सीधे–सीधे उल्लंघन है।"

इन दोनों शब्दों के बीच अंतर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि यदि भविष्य में विवाह विच्छेद हो जाए तो महिला कम से कम "स्त्रीधन" के रूप में प्राप्त अपने उपहारों को अपने ससुरालियों से प्राप्त कर सके। अतः विवाह के समय या विवाह के दौरान भी "स्त्रीधन" के रूप में "उपहार" दिए जा सकते हैं ताकि महिला का कम से कम ऐसे उपहारों को अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वापस लेने का अधिकार हो। **अतः "स्त्रीधन" के रूप में जिन वस्तुओं को लौटाया जा सकता है, उन वस्तुओं का दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।**

III. वाक्यांश "विवाह के संबंध में" का लोप करना

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में "विवाह संबंध पर विचार करते हुए" के स्थान पर "विवाह के संबंध में" वाक्यांश को प्रतिस्थापित करने का आशय यह था कि संपत्ति की मांग, विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को संपत्ति देने या संपत्ति देने के लिए करार करने, आदि जो विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के पश्चात हो, को अधिनियम की परिधि में शामिल किया जा सके। इस संशोधन की जोगेंद्र कुमार बंसल बनाम श्रीमती अंजू[2] के मामले में और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अब दहेज का आशय ऐसी किसी भी संपत्ति से है जो विवाह के एक पक्ष के माता–पिता (या किसी अन्य व्यक्ति) द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के पश्चात विवाह के

[1] एआईआर 1985 एस सी 628

[2] 1989 इलाहाबाद लॉ जर्नल 914

संबंध में दिया जाता हो या दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की जाती हो।" अतः यदि पति द्वारा विवाह के कुछ दिनों पश्चात अपनी पत्नी के पिता से दहेज के रूप में 50,000 रुपए की राशि की मांग की जाती हो और यदि उसकी पत्नी का पिता इस राशि को देने में सक्षम न हो जिसके कारण पत्नी को यातना का शिकार होना पड़े तो इसका अर्थ यह है कि उस राशि की मांग विवाह के संबंध में की गई थी और वह राशि दहेज के रूप में मांगी गई थी, हालांकि यह मांग विवाह के पश्चात की गई।

तथापि, वाक्यांश "विवाह के संबंध में" अस्पष्ट है और इसकी व्याख्या एकसमान रूप में नहीं की गई है। यह प्रश्न कि क्या उपहार दबाव/विवाह के पूर्ण हो जाने के पश्चात या विवाह की प्रक्रिया के दौरान की गई मांग के फलस्वरूप दिया गया है, इस बात को दहेज की परिभाषा में शामिल किया गया है अथवा नहीं, अनुत्तरित है।

विगत में न्यायालयों ने इस वाक्यांश की व्याख्या प्रतिवादियों के पक्ष में की है जबकि उन्होंने यह दावा किया कि उन्हें कोई भी उपहार स्नेह स्वरूप दिया गया है न कि उन्होंने विवाह के संबंध में उपहार हेतु कोई मांग की थी। अतः प्रतिवादी मांगी गई संपत्ति के वर्गीकरण के आधार पर दहेज की मांग करने में अपनी प्रतिभागिता से पूर्णतः बच जाएंगे। यह अपेक्षा कि दहेज की परिभाषा "विवाह के संबंध में" यह स्पष्ट करने में विफल है कि अधिकांश वैवाहिक समझौते चुपचाप किए जाते हैं और यह कि दहेज के लेन–देन के बारे में कोई भी चर्चा गुप्त रखी जाती है। प्रतिवादी यह तर्क देकर बड़ी आसानी से छूट जाते हैं कि विवाह के दौरान कुछ वर्षों की अवधि में दिए गए उपहार स्वैच्छिक और स्नेहवश दिए गए थे और जो विवाह से हटकर कुछ अन्य अवसरों जैसेकि घर में बच्चे के जन्म लेने या किसी अन्य धार्मिक त्योहार आदि के अवसर पर दिए गए उपहार थे। अर्जुन धोंधिदा कांबले बनाम महाराष्ट्र सरकार[3] के मामले में मृतका ने इस कारण आत्महत्या कर ली थी कि वह अपने ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी, हालांकि की गई मांग मौजूदा रिवाज के अनुरूप थी। बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि उपहार देना रिवाज का एक हिस्सा है तथा त्योहार के अवसरों पर ऐसे उपहार देने का रिवाज से कोई संबंध नहीं है। हमेशा रिश्तेदारों द्वारा इस प्रकार की उम्मीद की जाती है तथा ऐसी मांगों को दहेज नहीं कहा जा सकता।" इसी प्रकार मदन लाल बनाम अमरनाथ[4] के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि "संपत्ति विवाह के करार को टूटने से बचाने या विवाह संबंध को स्थापित करने के लिए दी गई तथा विवाह के पश्चात दी गई संपत्ति जिसके संबंध में यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि वह संपत्ति विवाह के लिए ही दी गई है किंतु इसमें ऐसी संपत्ति शामिल नहीं होगी जो विवाह के पश्चात महीनों या कई वर्षों के बीत जाने के बाद केवल इस कारण दी गई हो कि विवाह संबंध की रक्षा की जा सके और उसे टूटने से बचाया जा सके या वैवाहिक जीवन को निर्बाध बनाया जा सके, या दुल्हन के ससुराल पक्ष के लोगों को उसके प्रति बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सके, दहेज की श्रेणी में आती है।"

वाक्यांश "विवाह के संबंध में" की गलत व्याख्या उच्चतम न्यायालय में हाल में दायर किए गए सतवीर सिंह बनाम पंजाब सरकार[5] के मामले में स्पष्ट होती है। इस मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"दहेज देने के तीन अवसर सामने आते हैं – पहला अवसर विवाह से पूर्व, दूसरा विवाह के समय और तीसरा विवाह के बाद किसी भी समय का होता है। तीसरा अवसर ऐसा हो सकता है कि कभी भी खत्म न होने वाला अवसर बन जाए। किंतु यह वाक्यांश उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में है। इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त तीन में से किसी भी

[3] (1993) 1 महाराष्ट्र एल जे 1007

[4] 26 (184) डी एल टी 480

[5]

चरण में संपत्ति या मूल्यवान वस्तु देने या देने के लिए व्यक्त की गई सहमति संबंधित पक्षों के विवाह के संबंध में थी। दूल्हा–दुल्हन को धनराशि या संपत्ति के लेन–देन के अनेक अवसर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनेक समाजों में बच्चे के जन्म लेने या अन्य अवसरों पर पैसे या संपत्ति के लेन–देन का रिवाज है। इस प्रकार का लेन–देन दहेज की परिधि में नहीं आ सकता।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में "दहेज की परिभाषा में विवाह के समय और विवाह के पश्चात किसी अन्य समय कोई धन अथवा संपत्ति देने पर विशेष रूप से निषेध से संबंधित वाक्यांश को शामिल करने के लिए निश्चित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। **"मांग"** की बात पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे दिए गए उपहार रिवाज स्वरूप क्यों न दिए गए हों। अतः "विवाह के संबंध में" वाक्यांश का लोप कर दिया जाना चाहिए।

हाल ही में अप्पा साहेब और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 2005 का 1633 में 05.01. 2007 को दिए गए अपने निर्णय में कहा कि:

"कोई वित्तीय संकट आ जाने की स्थिति में धन की मांग करना या किसी अत्यावश्यक घरेलू खर्च को पूरा करने के लिए धन की मांग करना दहेज की मांग की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि ऐसी बातें आमतौर पर समझ में आती हैं। दहेज का अर्थ ऐसी किसी भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से है जो कथित पक्षों के विवाह के संबंध में और विवाह के समय अथवा विवाह से पहले अथवा विवाह के पश्चात किसी भी समय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती हो या दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की जाती हो। अतः विवाह संबंध को स्थापित करने के लिए विवाह के पक्षों के बीच संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु देने अथवा लेने की बात स्पष्ट हो, यह आवश्यक है।"

इस मामले में किसी वित्तीय संकट अथवा किसी अत्यावश्यक घरेलू खर्च को पूरा करने या खाद आदि की खरीद करने के लिए धन की मांग करना दहेज की मांग नहीं कही जा सकती। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से यह पता नहीं चलता कि अपीलकर्ता द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित दहेज की कोई मांग की गई क्योंकि कथित रूप से जिसकी मांग की गई थी वह कुछ धनराशि थी जो घरेलू खर्चों को पूरा करने और खाद की खरीद करने के लिए मांग की गई थी। चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में अनिवार्यतः अंतर्निहित तथ्य "दहेज की मांग" को स्थापित नहीं किया जा सका है, अतः अपीलकर्ता को दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता।

यह मामला ऊपर प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता पर बल देता है।

IV. शब्द "अप्रत्यक्ष" का स्पष्टीकरण

धारा 2 में प्रयुक्त "अप्रत्यक्ष" शब्द का अर्थ अस्पष्ट बना हुआ है। क्या "अप्रत्यक्ष" शब्द ऐसे मामलों में लागू होता है जबकि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा धनराशि अथवा किसी संपत्ति की मांग नहीं की जाती किंतु एक ऐसा वातावरण सृजित कर दिया जाता है जिसमें दुल्हन अपने ससुरालियों के लिए अनाप–शनाप उपहार लाने के लिए बाध्य हो जाती है? क्या इस शब्द में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें दुल्हन से किसी दहेज की मांग नहीं की जाती किंतु ससुराल पक्ष के लोग उससे कुछ न कुछ उपहार लाने की उम्मीद लगाए रखते हैं? क्या "रिवाज स्वरूप दिए जाने वाले उपहारों" को अधिकाधिक प्राप्त करने की मांग भी "दहेज की मांग करने" के समान है?

इस शब्द को अपरिभाषित छोड़ देने से दहेज पीड़ितों और उनके परिवारों पर यह सिद्ध करने का भार आ जाता है कि क्या दहेज की मांग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में की गई। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस शब्द की जिस रूप में

व्याख्याएं की गई हैं, उनमें कोई विशेष तालमेल नहीं है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि विवाह के पश्चात भी लगातार अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुएं लाने के लिए दुल्हन से मांग की जाती है। यहां अधिक कठिन स्थिति यह है कि दुल्हन ने उससे की गई मांग को "स्वेच्छा" से पूरा किया है अथवा "अस्वेच्छा" से, इसके बीच अंतर किस प्रकार स्थापित किया जा सके। चंद्रशेखरन बनाम सरकार के प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक[6] के मामले में मामला यह था कि क्या "पोंगल सरवासी" के अवसर पर रिवाज स्वरूप अधिक उपहारों की मांग करना दहेज की मांग करने के समान है? अभियुक्त के पक्ष से अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि त्योहार के अवसर पर उपहार की उम्मीद करना दहेज की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। एस. रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार[7] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टतः यह कहा है कि विवाह संबंध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में दहेज का प्रतिषेध है तथा दुल्हन अथवा दूल्हे को मित्रों अथवा संबंधियों द्वारा परंपरागत उपहारों के देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः विवाह के समय या विवाह के पश्चात, जो भी स्थिति हो, स्वेच्छा से दिए जाने वाले किसी भी उपहार को दहेज की परिधि में नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थितियों में जिन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि दिया गया उपहार "रिवाज स्वरूप" है अथवा नहीं। इस संबंध में "मांग किए जाने के तथ्य की गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।" क्या "रिवाज स्वरूप" उपहार के आवरण में मूल्यवान वस्तुओं की मांग करना अप्रत्यक्ष रूप में दहेज की मांग करने के समान नहीं है? यह देखने की आवश्यकता है कि क्या उस वस्तु की "मांग" की गई थी अथवा नहीं।

अतः संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु के लिए की गई मांग को पूरा करने हेतु महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार के आचरण अथवा उत्पीड़न को शामिल करने के लिए "अप्रत्यक्ष शब्द" को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज की परिभाषा में शामिल करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

"दहेज" की परिभाषा में अपेक्षित संशोधन

- अपवादों सहित दहेज की परिभाषा का एक उपबंध के अंतर्गत उल्लेख किया जाना चाहिए।
- धन अथवा वस्तु के लेन–देन के स्वैच्छिक स्वरूप को इंगित करने के लिए "भेंट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उपहार" प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- "उपहार" के रूप में शामिल वस्तुओं के संबंध में एक परिभाषा दी जानी चाहिए और साथ ही "स्त्रीधन" अथवा मेहर के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं की भी एक सूची शामिल की जानी चाहिए।
- उपहारों के लेन–देन के संबंध में "स्वेच्छा" शब्द की व्याख्या करने के लिए एक स्पष्टीकरण शामिल किया जाना चाहिए।
- शब्द "अप्रत्यक्ष रूप में" की व्याख्या दी जानी चाहिए।
- महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त संरक्षण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन तैयार किए जाने वाले उपहारों की सूची के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक उपबंध शामिल किया जाए।

[6] एआईआर 2003 मद्रास

[7] एआईआर 196 एस सी 2184

2. धारा 3 : दहेज लेने अथवा देने के लिए दंड

वर्तमान कानून	प्रस्तावित संशोधन	अभ्युक्तियां
(1) यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात कोई व्यक्ति दहेज लेता हो या दहेज के लेन–देन के लिए प्रोत्साहित करता हो तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास की सजा तथा न्यूनतम 15,000/– रुपये या दहेज के मूल्य की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का दंड दिया जा सकता है।	(1) यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात कोई व्यक्ति दहेज लेता हो या दहेज के लेन–देन के लिए प्रोत्साहित करता हो तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास की सजा तथा न्यूनतम 15,000/– रुपये या दहेज के मूल्य की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का दंड दिया जा सकता है।	दहेज देने और लेने के लिए अलग से दंड का प्रावधान किया जाता है।
परंतु न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रिकार्ड किए गए पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड आरोपित किया जा सकता है।	**परंतु** न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रिकार्ड किए गए पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड आरोपित किया जा सकता है।	
(2) उप–धारा (1) में उल्लिखित कोई भी बात निम्नलिखित पर या निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगी:	**लोप किया गया।**	उक्त धारा (2) को दहेज की व्यापक परिभाषा में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
(क) दुल्हन को विवाह के समय दिए गए उपहार (जिसके संबंध में कोई मांग न की गई हो)। **बशर्ते कि** ऐसे उपहारों का अनिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में उल्लेख किया गया हो;	(2) यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद कोई व्यक्ति दहेज देता है और यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर पाता कि उसने बाध्य होकर दहेज दिया है तो उसे न्यायालय द्वारा एक वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा और साथ ही उसे कम से कम उसे 15000/– रुपये जुर्माने की सजा भी दी जाएगी।	विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची तैयार न करने के लिए दंड का प्रावधान किया जाए।
(ख) दूल्हे को विवाह के समय दिए गए उपहार (जिसके संबंध में कोई मांग न की गई हो)। **बशर्ते कि** ऐसे उपहारों का अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में उल्लेख किया गया हो; यह भी कि यदि दुल्हन	(3) यदि दूल्हा या दुल्हन के माता–पिता अथवा माता–पिता के न होने की स्थिति में उनके संबंधी धारा 2(2)(क) और (ख) और उसके अंतर्गत दिए गए उपबंधों के	

द्वारा या दुल्हन की ओर से या दुल्हन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा उपहार दिया गया हो जो वह रिवाज स्वरूप हो और उसका मूल्य जिस व्यक्ति द्वारा या जिस व्यक्ति की ओर से वह उपहार दिया गया हो, उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बहुत अधिक न हो।	अनुसार उपहारों की सूची बनाने में विफल रहते हैं तो उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 15,000/– रुपये जुर्माने द्वारा दंडित किया जा सकता है। (4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित कोई भी बात होने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति या उसके माता–पिता या उसके संबंधियों द्वारा दिए गए किसी विवरण से ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जा सकता।	(4) वर्तमान अधिनियम की धारा 7(3) को धारा 3(4) के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। दहेज देने वाले व्यक्ति को पीड़ित माना जा सकता है तथा यह कहना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति पर अभियोजन चलाना उचित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 में प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:

(1) यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात कोई व्यक्ति दहेज लेता हो या दहेज के लेन–देन के लिए प्रोत्साहित करता हो तो उसे न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास की सजा तथा न्यूनतम 15,000/– रुपये या दहेज के मूल्य की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, का दंड दिया जा सकता है।

परंतु न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रिकार्ड किए गए पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड आरोपित किया जा सकता है।

इस उपबंध के अंतर्गत दहेज लेने और देने दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। "दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर प्रतिबल प्रदान करने"[8] विषय पर उच्चतम न्यायालय ने केवल दहेज देने वाले व्यक्ति की भूमिका पर बल दिया है न कि दहेज लेने वाले व्यक्ति पर। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दुल्हन के पिता द्वारा दहेज देने से मना करने, दहेज की मांग किए जाने पर लड़की द्वारा विवाह करने से अस्वीकार करने तथा जो लोग दहेज की मांग करते हों, उनका सामाजिक बहिष्कार करने पर ही यह प्रथा समाप्त हो सकती है या यदि नहीं तो इसमें कमी आ सकती है। इसका एक स्वतः अर्थ यह है कि हमारे समाज में दहेज प्रथा को बनाए रखने में दहेज देने वालों की भूमिका भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। अतः तर्कसंगत बात यह है कि न केवल दहेज लेने वाले पर बल्कि यदि आवश्यकता हो तो दहेज देने वाले पर भी अभियोजन चलाया जाए।

इससे दो अत्यधिक समस्यापूर्ण मुद्दे उठते हैं – पहला यदि कानून के अंतर्गत दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों को अपराधी माना जाए तो अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह जाता। अतः धारा 3 दुल्हन के माता–पिता को दहेज की मांग के विरुद्ध शिकायत करने से हतोत्साहित करती है।

दहेज प्रथा की महिलाओं की स्थिति को कम करके आंके जाने के व्यापक संदर्भ में जांच किए जाने की आवश्यकता

[8] 1 (2005) डीएमसी 805 (एससी)

है। प्रायः माता–पिता दहेज देने के लिए केवल इसलिए बाध्य हो जाते हैं कि वे अपनी पुत्री की उसके वैवाहिक गृह में सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि उनके द्वारा किया गया यह कृत्य उचित नहीं है, किंतु उनके इस कृत्य को दुर्भावनापूर्वक दहेज की मांग करने के कृत्य के समतुल्य नहीं समझा जा सकता। यदि दूल्हे के परिवार द्वारा दहेज के लिए कोई मांग न की जाए या इस संबंध में कोई धमकी या दमन का इस्तेमाल न किया जाए तो दुल्हन के परिवार द्वारा उनकी ऐसी किसी मांग को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दहेज देने वालों पर सामाजिक और सांस्कृतिक दबावों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। अतः दहेज देने वाले और दहेज लेने वाले दोनों को कानून के अंतर्गत एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही, दहेज देने वालों के अपराध की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। अतः दहेज देने वालों और दहेज लेने वालों के अपराध की मात्रा में अंतर किए जाने की आवश्यकता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस कानून के अधीन शिकायत करने वाले दहेज देने वाले व्यक्ति को सीमित संरक्षण उपलब्ध कराया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के आधार पर इस कानून के अंतर्गत अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। यह उपबंध निम्नवत है:

"तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित कोई भी बात होने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी विवरण से ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जा सकता।"

तथापि, प्रदत्त यह सुरक्षा अपर्याप्त है और इसके द्वारा दुल्हन के माता–पिता या उसके संबंधियों को विशेष रूप से सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें अधिनियम के अंतर्गत, "पीड़ित व्यक्ति" पद की परिभाषा नहीं दी गई है।

अंत में, विवाह के संबंध में आदान–प्रदान किए गए उपहारों की सूची तैयार नहीं किए जाने के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। कानून के कारगर क्रियान्वयन के लिए उपहारों की सूची रखना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इस सूची के आधार पर ही महिला उसे विवाह के समय दी गई वस्तुओं को अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वापस ले सकती है। ऐसी सूची तैयार करने का कार्य जिस व्यक्ति को सौंपा गया है, उसकी पहचान की जानी चाहिए और सूची तैयार करने में विफल रहने के लिए उस पर दंड आरोपित किया जाना चाहिए।

अतः दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित आशय के संशोधन किए जाने की आवश्यकता है:

- दहेज देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए अलग दंड की व्यवस्था की जाए
- विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची तैयार न करने के लिए दंड का प्रावधान किया जाए
- दुल्हन के माता–पिता और उसके संबंधियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7(3) की परिधि में पीड़ित व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाए।

3. धारा 6 : दहेज का प्रत्यावर्तन

वर्तमान कानून	प्रस्तावित संशोधन	अभ्युक्तियां
दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभार्थ होना चाहिए: (1) यदि दहेज ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो वह महिला नहीं है जिसके विवाह के संबंध में दहेज दिया गया हो, प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति उस दहेज को संबंधित महिला को अंतरित करेगा– (क) यदि दहेज विवाह से पहले प्राप्त किया गया हो तो विवाह की तारीख के पश्चात (3 माह के भीतर); या (ख) यदि दहेज विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसे प्राप्त करने की तारीख के पश्चात (3 माह के भीतर); या (ग) यदि दहेज विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसे उस महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात (3 माह के भीतर) और यदि ऐसा अंतरण न हो पाए तो व्यक्ति संबंधित महिला के लाभार्थ विश्वास स्वरूप उसे अपने पास रखेगा। (2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किसी संपत्ति को उस संबंध में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर {अथवा उप–धारा 3(3) द्वारा यथापेक्षित} अंतरित करने में विफल रहता है तो इस अपराध हेतु उसे कारावास	**दहेज, उपहार या स्त्रीधन पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभार्थ होना चाहिए:** (1) यदि दहेज, स्त्रीधन या उपहार, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो वह महिला नहीं है जिसके विवाह के संबंध में यह दिया गया हो, प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति उसे संबंधित महिला को अंतरित करेगा– (क) यदि दहेज, स्त्रीधन या उपहार विवाह से पहले प्राप्त किया गया हो तो विवाह की तारीख के पश्चात (3 माह के भीतर); या (ख) यदि दहेज, स्त्रीधन या उपहार विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसे प्राप्त करने की तारीख के पश्चात (3 माह के भीतर); या (ग) यदि दहेज, स्त्रीधन या उपहार विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसे उस महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात (3 माह के भीतर) और यदि ऐसा अंतरण न हो पाए तो व्यक्ति संबंधित महिला के लाभार्थ विश्वास स्वरूप उसे अपने पास रखेगा। (2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किसी संपत्ति को उस संबंध में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के	स्त्रीधन और उपहार का समावेशन

की सजा दी जा सकती है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी। किंतु जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा उस पर जुर्माना (जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) आरोपित किया जा सकता है अथवा उसे दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। (3) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत संपत्ति की हकदार महिला की उसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती हो तो **उस महिला के उतराधिकारी तत्समय वह राशि जिस व्यक्ति के पास हो उससे उसका दावा करने के लिए पात्र होंगे:** {परंतु यदि ऐसी महिला की विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाती हो जिसका कारण प्राकृतिक कारणों से हटकर हो तो उसकी संपत्ति – (क) यदि उसे कोई संतान न हो तो उसके माता–पिता को अंतरित की जाएगी, या (ख) यदि उसे संतान हो तो उसकी इन संतानों को अंतरित की जाएगी जिसके अंतरित न किए जाने की स्थिति में उस संपत्ति को उन बच्चों के लिए विश्वास स्वरूप रखा जाएगा।} {3क} यदि किसी व्यक्ति पर उप–धारा (1){या उपधारा (3)} द्वारा यथापेक्षित किसी संपत्ति को अंतरित करने में विफल रहने के कारण अभियोजन चलाया जाता	भीतर {अथवा उप–धारा 3(3) द्वारा यथापेक्षित} अंतरित करने में विफल रहता है तो इस अपराध हेतु उसे कारावास की सजा दी जा सकती है जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी। किंतु जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा उस पर जुर्माना (जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) आरोपित किया जा सकता है अथवा उसे दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। (3) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत संपत्ति की हकदार महिला की उसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती हो तो ––हटा दिया गया–– (क) यदि उसे कोई संतान न हो तो उसके माता–पिता को अंतरित की जाएगी, या (ख) यदि उसे संतान हो तो उसकी इन संतानों को अंतरित की जाएगी जिसके अंतरित न किए जाने की स्थिति में उस संपत्ति को उन बच्चों के लिए विश्वास स्वरूप रखा जाएगा।} {3क} यदि किसी व्यक्ति पर उप–धारा (1){या उपधारा (3)} द्वारा यथापेक्षित किसी संपत्ति को अंतरित करने में विफल रहने के कारण अभियोजन चलाया जाता हो और उस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धी से पहले उसे व्यक्ति ने उस संपत्ति को उसके लिए पात्र महिला को अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या	अप्राकृतिक परिस्थितियों में महिला की मृत्यु से संबंधित उपबंध को हटा दिया जाए तथा दहेज के रूप में प्राप्त संपत्ति को उस महिला की मृत्यु के पश्चात महिला के माता–पिता अथवा बच्चों, जो भी मामला हो, को प्रत्यावर्तित कर दिया जाए।

हो और उस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धी से पहले उसे व्यक्ति ने उस संपत्ति को उसके लिए पात्र महिला को अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या बच्चों, जो भी स्थिति हो, को अंतरित न कर दिया जाता हो तो न्यायालय उस उप–धारा के अंतर्गत दंड देने के अतिरिक्त लिखित में आदेश देकर निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को उसके लिए पात्र महिला को अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या बच्चों, जो भी स्थिति हो, को उस अवधि के भीतर अंतरित कर देगा जिसका उल्लेख आदेश के अंतर्गत किया जाए और यदि वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता हो तो संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि उस व्यक्ति से यह मानकर वसूली जाए कि वह उस न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की राशि है तथा उस राशि का उस महिला अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या बच्चों, जो भी स्थिति हो, को भुगतान कर दिया जाए}। (4) इस उप–धारा में निहित कोई भी बात धारा (3) अथवा धारा (4) के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।	बच्चों, जो भी स्थिति हो, को अंतरित न कर दिया जाता हो तो न्यायालय उस उप–धारा के अंतर्गत दंड देने के अतिरिक्त लिखित में आदेश देकर निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति को उसके लिए पात्र महिला को अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या बच्चों, जो भी स्थिति हो, को उस अवधि के भीतर अंतरित कर देगा जिसका उल्लेख आदेश के अंतर्गत किया जाए और यदि वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता हो तो संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि उस व्यक्ति से यह मानकर वसूली जाए कि वह उस न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की राशि है तथा उस राशि का उस महिला अथवा उसके उतराधिकारियों, माता–पिता या बच्चों, जो भी स्थिति हो, को भुगतान कर दिया जाए}। (4) इस उप–धारा में निहित कोई भी बात धारा (3) अथवा धारा (4) के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।	

दहेज के प्रत्यावर्तन में प्रस्तावित संशोधन का औचित्य

इस खंड में यह प्रावधान किया गया है कि दहेज के रूप में दी गई सभी संपत्ति या चल संपत्ति आदि उस महिला को अंतरित की जाएगी। इस प्रकार का अंतरण जब तक न हो, तब तक उस संपत्ति को जिस व्यक्ति के अधिकार में वह संपत्ति है, उस व्यक्ति द्वारा उस महिला के लाभार्थ विश्वास स्वरूप अपने पास रखा जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर संपत्ति का अंतरण करने में विफल रहने की स्थिति में निम्नलिखित वाक्यांश में उल्लिखित दंड आरोपित किए जा सकते हैं:

इस उपबंध के संदर्भ में उत्पन्न हुई कठिन समस्या यह है कि महिला की मृत्यु की स्थिति में ऐसी संपत्ति को किस प्रकार अंतरित किया जाए ..... अतः यदि महिला की मृत्यु होती हो:

- सहज परिस्थितियों में, तो संपत्ति उस महिला के उतराधिकारियों को अंतरित की जाएगी।
- तथापि यदि महिला की मृत्यु असहज परिस्थितियों में और वह भी उसके विवाह के पश्चात पहले सात वर्षों के भीतर होती हो तो ऐसी संपत्ति केवल उसके बच्चों को ही हस्तांतरित की जाएगी और यदि उसके कोई संतान न हो तो वह संपत्ति उसके माता–पिता को प्रत्यावर्तित कर दी जाएगी।

अतः इस उपबंध के अनुसार यदि महिला की मृत्यु सहज कारणों से होती हो तो संपत्ति का उसके उतराधिकारियों में समान रूप से विभाजन किया जाएगा। भारत में प्रवृत्त उतराधिकार के अधिकतर कानूनों के अंतर्गत पति को पत्नी का उतराधिकारी माना जाता है। उदहारण के लिए:

- हिंदू उतराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) के अंतर्गत पति को उस महिला के बच्चों और उसके पहले मृत हो चुके किसी पुत्र अथवा पुत्री के बच्चों के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी माना जाता है। इस नियम के अपवाद में यह कहा गया है कि यदि वह संपत्ति उस महिला को अपने माता–पिता से "उतराधिकार" में प्राप्त हुई हो तो उस महिला की मृत्यु के पश्चात वह संपत्ति उसके माता–पिता को प्रत्यावर्तित हो जाएगी। तथापि, उस महिला को अपने माता–पिता से विवाह के समय प्राप्त उपहार जो मूल रूप से उसका स्त्रीधन है, धारा 15(1) द्वारा शासित होंगे।
- हनाफी कानून यह कहता है कि यदि कोई महिला अपने पीछे अपने पति और बच्चों को छोड़कर मर जाती हो तो उसके पति को उसकी संपत्ति का 3/4 भाग तथा शेष 1/4 भाग उसके बच्चों को प्राप्त होगा। उतराधिकार के संबंध में शिया कानून में यह कहा गया है कि यदि उसके वंशज हों तो पति को संपत्ति का 1/4 भाग और अन्यों को संपत्ति का 1/2 भाग प्राप्त होगा।

इसका आशय यह है कि अधिकांश मामलों में महिला की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होगी और इस मामले में अपराधकर्ता महिला का पति है। यह स्थिति तभी टाली जा सकती है यदि यह सिद्ध किया जा सके कि महिला की मृत्यु उसके विवाह के पहले 7 वर्षों के भीतर किसी असहज परिस्थिति में हुई है। यह निर्धारित 7 वर्षों की अवधि वैसी स्थिति में लागू नहीं होती जिसमें विवाह के पहले 7 वर्षों के पश्चात भी दहेज की मांग और दहेज से जुड़ा उत्पीड़न चालू रहे। दूसरी बात यह है कि, महिला की मृत्यु असहज परिस्थितियों में हुई है, इसे अधिकांश मामलों में सिद्ध कर पाना अत्यधिक कठिन होता है जैसाकि भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख पर बाद के अनुच्छेदों में विस्तार से की गई चर्चा से स्पष्ट होता है। इस संबंध में यह बात कहना भी समीचीन है कि असहज परिस्थितियों के कारण महिला की मृत्यु हुई है, इसे सिद्ध करने में कठिनाई इस कारण भी सामने आती है कि ऐसे कारणों से हुई मृत्यु के संबंध में कारणों का गलत

उल्लेख किया जाता है जैसेकि दुर्घटना, महिला के मृत्यु–पूर्व बयानों पर ध्यान न देना और चूंकि अपराध कर्म घर की चारदीवारी के भीतर घटित होता है, अतः महिला की असहज परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, इसे सिद्ध करने के लिए किसी साक्षी अथवा साक्ष्य का नितांत अभाव होता है।

सिफारिशें

- महिला की असहज परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित उपबंध को हटा दिया जाना चाहिए तथा महिला की मृत्यु चाहे किसी भी कारणवश हुई हो, दहेज के रूप में प्राप्त हुई सभी संपत्ति उस महिला की मृत्यु के पश्चात उसके माता–पिता को अथवा उसके बच्चों को, जो भी स्थिति हो, प्रत्यावर्तित कर दी जाए। इसका औचित्य यह है कि स्वयं पति द्वारा दहेज लेना और अपने पास रखना गैर–कानूनी था, यदि दहेज उस महिला को उसके जीवनकाल में लौटा दिया जाता तो उसकी मृत्यु के पश्चात उस संपत्ति के उतराधिकार के संबंध में दावा उत्पन्न नहीं होता।

4. धारा 7 : अपराधों का संज्ञान लेना

वर्तमान कानून	प्रस्तावित संशोधन	अभ्युक्तियां
(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूदः (क) किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी अपराध पर विचार नहीं किया जाएगा; (ख) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध पर संज्ञान तभी लेगा, यदि– (i) यदि न्यायालय को उस अपराध के संबंध में स्वयं जानकारी प्राप्त हो अथवा वैसे अपराध से संबंधित तथ्यों के संबंध में न्यायालय को कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो, अथवा (ii) न्यायालय को अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके माता–पिता या उस व्यक्ति के किसी अन्य संबंधी या किसी मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन की ओर से शिकायत की जाए; (ग) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में दोषसिद्ध पाए गए व्यक्ति पर अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत कोई दंड पारित करने के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट वैधानिक प्राधिकारी होगा।	स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो भी स्थिति हो, जिसमें – (क) पीड़िता स्थायी तौर पर रहती हो या व्यवसाय करती हो या रोजगार करती हो अथवा (ख) प्रतिवादी निवास करता हो या व्यवसाय करता हो या रोजगार करता हो; अथवा (ग) संबंधित वाद उत्पन्न हुआ हो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूदः (क) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध पर संज्ञान तभी लेगा, यदि– (i) यदि न्यायालय को उस अपराध के संबंध में स्वयं जानकारी प्राप्त हो अथवा वैसे अपराध से संबंधित तथ्यों के संबंध में न्यायालय को कोई पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो, अथवा (ii) न्यायालय को अपराध से पीड़ित महिला या उसके माता–पिता या उस	अधिकारक्षेत्र से संबंधित एक वाक्यांश शामिल किया जाना है।

स्पष्टीकरण : इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ "मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन" से अभिप्रायः केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यताप्राप्त किसी सामाजिक कल्याणकारी संस्था या संगठन से है। (2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (174 का 2) के अध्याय XXXVI में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू नहीं होगी। (3) तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित कोई भी बात होने के बावजूद अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य से ऐसे व्यक्ति पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।	महिला के किसी अन्य संबंधी या **किसी मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन** की ओर से शिकायत की जाए; (ख) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में दोषसिद्ध पाए गए व्यक्ति पर अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत कोई दंड पारित करने के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट वैधानिक प्राधिकारी होगा। **स्पष्टीकरण (1)** : इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ **सेवा प्रदाता का वही अर्थ है जो अर्थ महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में दिया गया है।** **स्पष्टीकरण (2)** : इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "संरक्षण अधिकारी" का वही अर्थ है जो अर्थ अधिनियम की धारा 8(ख) में दिया गया है। (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (174 का 2) के अध्याय XXXVI में निहित कोई भी बात इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध पर लागू नहीं होगी। – ऊपर बताए गए अनुसार स्थान बदल दिया गया है।	शब्दों "किसी मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" को "किसी मान्यताप्राप्त सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य :

1. मौजूदा धारा में धारा 7(1) शामिल करने का औचित्य

इस खंड में ऐसे न्यायालयों का उल्लेख करते हुए, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों पर विचार किया जा सकता है, ऐसे न्यायालय के अवस्थित होने के स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्यतः वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी अपने माता–पिता के निवास पर या किसी अन्य स्थान पर, जो वैवाहिक अपराध घटित होने के स्थान से पूर्णतः असंबद्ध होता है, रहना शुरू कर देती है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि कानून द्वारा महिला को केवल उसी स्थान पर नहीं जहां अपराध घटित हुआ है बल्कि उस स्थान पर भी जहां वह स्थायी या अस्थायी तौर पर निवास करती है, एक मामला दर्ज करने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा करने से पीड़िता के लिए मामले को दर्ज कराने की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी और इस सुविधा के प्राप्त होने पर पीड़िताएं इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आएंगी। महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिस स्थान पर महिला निवास करती हो या रोजगार से जुड़ी हो, उस स्थान पर स्थित न्यायालय उस महिला के साथ हुए अपराध पर विचार करने के लिए सक्षम है, चाहे उसके साथ अपराध उस स्थान पर हुआ हो अथवा नहीं। इस उपबंध को भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

इस उपबंध को निर्बाध रूप से इस अधिनियम में शामिल किए जाने की आवश्यकता वाई अब्राहम अजीत और अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नै के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भी स्पष्ट होती है। इस मामले में न्यायालय ने यह पाया कि दहेज से संबंधित अपराध का कोई भी भाग चेन्नै में घटित नहीं हुआ जहां पीड़िता रहती थी। अतः चेन्नै के मजिस्ट्रेट का इस मामले को देखने का कोई अधिकारक्षेत्र नहीं था। तदनुसार, न्यायिक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राधिकारियों की भूमिका को महत्त्व प्रदान करना

- **सेवा प्रदाता का समावेशनः** हाल में अधिनियमित महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऐसी किसी भी पंजीकृत स्वैच्छिक एसोससिएशन को मान्यता प्रदान की गई है जो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु इच्छुक हो और राज्य सरकार के पास एक सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हो। अतः शब्दों "कोई भी मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" के स्थान पर कौन मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है, इस संबंध में बेहतर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के लिए "सेवा प्रदाता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

- **संरक्षण अधिकारी का समावेशनः** महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने की शक्ति दी गई है, अतः इन अधिकारियों को दहेज से संबंधित अपराधों के संबंध में शिकायत करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी शक्ति प्रदान की जाए।

5. एक नई धारा : एक नई धारा का समावेशन – धारा 7(क) – राहत संबंधी आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

धारा 7क(1) के अंतर्गत पीड़िता, या उसके माता–पिता या संबंधी या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके महिलाओं की घरेलू हिंसा

से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अध्याय IV (धारा 12–26) के अंतर्गत एक या इससे अधिक राहतों की मांग की जा सकती है।

(2) यह भी **कि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 31 में निहित उपबंध इस अधिनियम के संबंध में भी प्रवृत्त होंगे**

औचित्य

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में अब एक सकारात्मक दिशा में बदलाव आया है और इसके अंतर्गत केवल दंड और गिरफ्तारियां करने के स्थान पर पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह महसूस किया जाना आवश्यक है कि कानून को केवल अभियुक्तों को दंडित करने के लिए सशक्त बनाने से पीड़िता को उसके साथ हुई हिंसात्मक कार्रवाई या उत्पीड़न के कारण उसे पहुंचे आर्थिक या मानसिक आघात से उबरने में सहायता प्राप्त नहीं होगी। इस स्थिति में कानून के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि पीड़िता की सहायता के लिए एक मानवीय कदम उठाया जाए तथा उसके संरक्षण हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।

शब्द "दहेज" का महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 में वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है। इसका स्वतः अर्थ यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रकार के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी आदेश दहेज की मांग के संबंध में की जाने वाली सभी प्रकार की हिंसात्मक क्रियाओं या उत्पीड़न पर भी लागू होते हैं। किंतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 केवल दहेज देने अथवा लेने के संबंध में आरोपित दंड या जुर्माने से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पीड़िता के पक्ष में कोई संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत अथवा निवास संबंधी आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। अतः यदि दहेज लेने या दहेज की मांग करने के संबंध में कोई मामला दर्ज कराया जाता हो तो मजिस्ट्रेट दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धाराओं के आलोक में पीड़िता के पक्ष में अपेक्षित संरक्षण आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं होगा। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि पीड़िता को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किए जाने वाले आवश्यक आदेशों को भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में शामिल किया जाए।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम की धारा 31 को प्रयोग में लाने से इन दोनों अधिनियमों के बीच सामंजस्य भी स्थापित होगा तथा ऐसा कर देने पर भारतीय दंड संहिता की धरा 498क के उपबंधों को प्रयोग में लाने की तत्काल आवश्यकता नहीं होगी।

6. धारा 8ख : दहेज प्रतिषेध अधिकारी

वर्तमान कानून	प्रस्तावित संशोधन	अभ्युक्तियां
(1) राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार उपयुक्त संख्या में चाहे जितने भी दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त किए गए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग किए जाने के लिए क्षेत्रों का उल्लेख कर सकती है।	महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा (8) के अंतर्गत नियुक्त संरक्षण अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे जो महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उल्लेख किए गए के अतिरिक्त होगा; अर्थात	**संरक्षा अधिकारी होगा।**
(2) प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे अर्थात –		
(क) इस बात पर निगरानी रखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है	क) इस बात पर निगरानी रखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है	
(ख) जहां तक संभव हो, दहेज लेने या दहेज लेने अथवा दहेज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने या दहेज की मांग करने का निवारण करना;	(ख) जहां तक संभव हो, दहेज लेने या दहेज लेने अथवा दहेज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने या दहेज की मांग करने का निवारण करना;	
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करना और	(ग) दूल्हे या दुल्हन को विवाह के समय दिए गए उपहारों की सूची को अधिप्रमाणित करना और उस पर हस्ताक्षर करना अथवा सेवा प्रदाता को ऐसा करने के लिए निर्देश देना।	
(घ) उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना।	(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करना।	

	(ड.) लोगों में दहेज की बुराइयों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा संबंधित सरकारी विभागों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार करना। (च) यह निर्देश जारी करना कि दहेज को एक सामाजिक बुराई के रूप में प्रचारित किया जाए तथा इस संबंध में स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इसके लिए सलाहकार बोर्डों और/या स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त की जाए। (छ) उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना। (ज) महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सौंपे गए सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।	
(3) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट एक पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है जो ऐसी सीमाओं और प्रतिबंधों के अध्यधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा विनिर्देश किया जाए।	(3) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट एक पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है जो ऐसी सीमाओं और प्रतिबंधों के अध्यधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा विनिर्देश किया जाए।	
(4) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को उनके कार्यों के दक्ष निष्पादन में सलाह	(4) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों को उनके कार्यों के दक्ष निष्पादन में सलाह और	

और सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी जिसमें अधिकतम 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनमें से कम से कम 2 महिलाएं होंगी) जो ऐसे क्षेत्रों से संबद्ध होंगी जिनके संबंध में ऐसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता हो।	सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी जिसमें अधिकतम 5 सदस्य होंगे तथा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः • उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष के रूप में • पुलिस का एक प्रतिनिधि • एक अधिवक्ता • सामाजिक क्षेत्र/ गैर– सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिनमें से कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी, जो ऐसे क्षेत्रों से संबद्ध होंगी जिनके संबंध में ऐसे संरक्षण अधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता हो।	

प्रस्तावित संशोधनों का औचित्य

1. "दहेज प्रतिषेध अधिकारी" को "संरक्षण अधिकारी" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जानाः

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है और इसकी परिधि में उप–खंड(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

"दहेज अथवा किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की गैर–कानूनी रूप से मांग को पूरा करने के लिए महिला पर या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति पर दमन करने की दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को उत्पीड़ित करना, उसे नुकसान पहुंचाना, क्षति अथवा जोखिम में पहुंचाना।"

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा में दहेज की मांग के लिए किए जाने वाले उत्पीड़न शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दी गई है। महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिनके कुछ विशिष्ट कर्त्तव्य और शक्तियां होंगी। दूसरी ओर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भी राज्य सरकार को धारा 8(ख) के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त करने का निदेश दिया गया है।

शक्तियों के अति व्याप्त होने को रोकने और आम जनता में इस संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने देने की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है कि इन दोनों को परस्पर आत्मसात किया जाए। चूंकि महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी को पहले से ही विशेष शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं, अतः अतिरिक्त दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति से इन दोनों श्रेणी के अधिकारियों के बीच शक्तियों के संबंध में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य रूप से औपचारिक मात्र रही है। यहां तक कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रतिबलन से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी भारत संघ और राज्यों को अधिकारियों को सक्रिय बनाने का आदेश जारी करते हुए यह पाया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और अधिक कारगर उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह एक तार्किक उपाय होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को संरक्षण अधिकारियों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में यथासमनुदेशित एक से कर्त्तव्य होने की स्थिति में इन अधिकारियों को विवाह के समय तैयार की गई उपहारों की सूची को अधिप्रमाणित करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है।

2. संरक्षण अधिकारियों के पहले से विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त कार्य

दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसकी जड़ें अनेक लोगों के रुढ़िवादी मन–मस्तिष्क में जमी हुई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दहेज देने और लेने की प्रथा हमारे समाज से पूर्णतः समाप्त हो जाए, यह अनिवार्य है कि लोगों को यह अवगत कराया जाए कि यह प्रथा एक अनावश्यक बुराई है। अतः संरक्षण अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने का उतरदायित्व भी सौंपा जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्त्वपूर्ण है कि स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों को छोटी उम्र में ही इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए ताकि इस देश का युवा वर्ग एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर सके। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके और

उनकी अर्हताओं के विषय में जानकारी महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों में उपलब्ध कराई जाएगी।

3. सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति के संबंध में "जाए" शब्द के स्थान पर "जाएगा" शब्द को प्रतिस्थापित करने का औचित्य

सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति राज्य सरकार के लिए अनिवार्य बना दी जाएगी। इससे न केवल संरक्षा अधिकारियों की अधिक प्रभावकारिता सुनिश्चित हो पाएगी बल्कि ऐसा करना उन्हें उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में भी सहायक सिद्ध होगा। अतः सिफारिश में "जाए" शब्द के स्थान पर "जाएगा" शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है।

4. सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति

धारा 8(ख)(4) के अंतर्गत एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। ऐसे सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति राज्य सरकार के लिए अनिवार्य की जाए। इससे न केवल संरक्षा अधिकारियों की अधिक प्रभावकारिता सुनिश्चित हो पाएगी बल्कि ऐसा करना उन्हें उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में भी सहायक सिद्ध होगा। अतः सिफारिश में "जाए" शब्द के स्थान पर "जाएगा" शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है।

ऐसे सलाहकार बोर्डों के गठन और उनके कार्य करने के तरीकों को निर्धारित करने के लिए अलग से नियम निर्मित किए जाएं। सलाहकार बोर्ड के गठन का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो।

यह सुझाव दिया जाता है कि सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- जिला मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष के रूप में
- पुलिस का एक प्रतिनिधि
- एक अधिवक्ता
- सामाजिक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि

इस प्रकार गठित सलाहकार बोर्ड संरक्षण अधिकारियों को सलाह देने का कार्य करेगा। यह बोर्ड संरक्षण अधिकारियों द्वारा निर्वहन किए गए कार्यों पर प्रभावी रूप में निगरानी रखने और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करेगा। संरक्षण अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राप्त हुई दहेज संबंधी शिकायतों की संख्या और संबंधित संरक्षण अधिकारियों द्वारा उसके समाधान हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में बोर्ड को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बोर्ड के सदस्य इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे और इस दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि दहेज उन्मूलन की दिशा में क्या प्रगति हुई है, सलाहकार बोर्डों द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए।

7. एक नई धारा 8ग का समावेश करना – सरकार के कर्त्तव्य

संस्तुत धारा 8ग

सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत सरकारी सेवकों को दहेज देने और लेने या दहेज लेने या देने के लिए प्रोत्साहित करने[9] के लिए विशेष रूप से निषिद्ध किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 13क के अंतर्गत निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

कोई भी सरकारी सेवक निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा –

(i) दहेज देना या लेना या दहेज देने और लेने को प्रोत्साहित करना; अथवा

[9] भारत सरकार, मंमिंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या 11013/12/75:स्था.(क) दिनांक 13.2.1976

(ii) दुल्हन या दूल्हे, जो भी स्थिति हो, के माता–पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी दहेज की मांग।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज शब्द का वही अर्थ है जो अर्थ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में इसी प्रकार का एक उपबंध शामिल किया गया है।

तथापि, वर्तमान में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता के प्रसार की दिशा में सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। इस संदर्भ में उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन सरकारी सेवकों को दहेज के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करना चाहिए ताकि इस संबंध में आदर्श की स्थापना हो सके। इस संबंध में उपबंध का समावेश करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी केरल दहेज प्रतिषेध नियमावली से प्राप्त की जा सकती है। दहेज के बढ़ते हुए आतंक पर नियंत्रण करने के लिए केरल राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए विवाह के समय एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया है जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया है। इस घोषणा–पत्र पर उस कर्मचारी की पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होता है।

सरकार को दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिए। दहेज एक सामाजिक बुराई है और यह अनिवार्य है कि दहेज देने और लेने के विरुद्ध प्रबल संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाए। अतः सरकार को इस कानून के उपबंधों का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

इन उपबंधों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित धारा 8ग का समावेश किया जाना चाहिएः

(1) केंद्र सरकार इस आशय के अनुदेश जारी करेगी कि प्रत्येक सरकारी सेवक और सार्वजनिक सेवक विवाह के पश्चात अपने विभाग प्रमुख को एक घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि उसने दहेज नहीं लिया है। इस घोषणापत्र पर उसकी पत्नी, पिता और सुसर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों का टेलीविजन, रेडियो और समाचारपत्रों आदि सहित जनसंचार के सभी माध्यमों के जरिए नियमित रूप से व्यापक प्रचार किया जाए।

यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ऐसे ही उपबंध शामिल किए जाएं।

8. खंड : नियम बनाने की शक्ति

वर्तमान कानून	प्रस्तावित संशोधन	अभ्युक्तियां
(1) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी। (2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित हेतु प्रावधान किया जाए: (3) उस रूप और तरीका, जिसमें और जिस व्यक्ति द्वारा धारा (3) की उप–धारा (2) में उल्लिखित उपहारों की कोई सूची और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों की जानकारी रखी जाएगी; और (ख) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में नीति और क्रिया के बीच बेहतर समन्वयन	(1) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी। (2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित हेतु प्रावधान किया जाए: (3) उस रूप और तरीका, जिसमें और जिस व्यक्ति द्वारा धारा (3) की उप–धारा (2) में उल्लिखित उपहारों की कोई सूची और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों की जानकारी रखी जाएगी; और (ख) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में नीति और क्रिया के बीच बेहतर समन्वयन (ग) सलाहकार समिति का गठन और उसका कार्यकाल तथा सलाहकार समिति में नियुक्त सदस्यों की अर्हता। (घ) सलाहकार समिति की शक्तियां और कार्य (ड.) सलाहकार समिति द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ बैठकें आयोजित करने और संरक्षण अधिकारी को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया।	

	(च) प्रपत्र, जिसमें सार्वजनिक सेवक या सरकारी सेवक द्वारा यह कहते हुए इस बात की घोषणाा की जाएगी कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।	
6(3) इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी।	6(3) केंद्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी।	

प्रस्तावित संशोधन का औचित्य

1. संरक्षण अधिकारी की अर्हताओं के संबंध में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी – इस प्रस्ताव का आचित्यः

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 में यथा उल्लिखित संरक्षण अधिकारियों को न केवल पीड़िता की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है बल्कि अधिनियम के क्रियान्वयन में मेजिस्ट्रेट की सहायता करना भी उनका उत्तरदायित्व है। यह महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे पर पद नियुक्ति आदि से संबंधित नियम देशभर में एकसमान हों। अतः उनकी अर्हताओं आदि के संबंध में निर्णय करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा इस पद हेतु ऐसी अर्हता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि इस पर नियुक्त व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का निवहन कर सके। उद्देश्य यह है कि संरक्षण अधिकारियों को यथासंभव प्रभावकारी बनाया जाए न कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के समान उन्हें विफल बना दिया जाए।

2. सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विशेष अनुदेश जारी करने की सिफारिश करने का आचित्य

यह आवश्यक है कि विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी सेवक जिनका उत्तरदायित्व जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का है, दहेज न लें या दहेज की मांग न करें। अतः इस संबंध में विशेष प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में केरल राज्य से एक उदाहरण का उललेख किया जा सकता है, दहेज के बढ़ते हुए आतंक पर नियंत्रण करने के लिए केरल राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए विवाह के समय एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्मित किए गए संशोधित केरल दहेज प्रतिषेध नियमावली के अनुसार कर्मचारी के विभाग प्रमुख को सौंपे जाने वाले इस घोषणापत्र में यह उल्लेख किया जाए कि उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया है। इस घोषणा–पत्र पर उस कर्मचारी की पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होता है।

3. इस अधिनियम का व्यापक प्रचार करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का औचित्य

दहेज एक सामाजिक बुराई है और इस कारण यह आवश्यक है कि जनता के बीच दहेज देने और लेने के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रबल संदेश का प्रचार–प्रसार किया जाए। इस संबंध में जन संचार के लोकप्रिय माध्यमों जैसेकि रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन जारी किए जाएं।

4. धारा 8ख के अंतर्गत सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति और उनके कार्यकरण के संबंध में नियम बनाने की शक्ति का समावेश। संरक्षण अधिकारियों की भूमिका और उनके कार्यकरण के संबंध में पूर्ववर्ती अनुच्छेद में की गई सिफारिशों के दृष्टिगत केंद्र सरकार के पास इस कानून के अंतर्गत नियुक्त सलाहकार बोर्डों की नियुक्ति और उनके कार्यकरण के तरीके के संबंध में नियम बनाने की शक्ति निहित होनी चाहिए।

9. धारा 10 : नियम बनाने के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति

(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी।

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित में से सभी या किसी एक के लिए प्रावधान किया जाए, अर्थात–

(क) धारा 8ख की उप–धारा (2) के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य

(ख) सीमाओं और प्रतिबंधों जिसके अध्यधीन धारा 8ख की उप–धारा (3) के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के पश्चात यथासंभव यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

सिफारिशें – धारा 10

(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी।

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित में से सभी या किसी एक के लिए प्रावधान किया जाए, अर्थात–

(क) धारा 8ख की उप–धारा (2) के अंतर्गत संरक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य

(ख) सीमाओं और प्रतिबंधों जिसके अध्यधीन धारा 8ख की उप–धारा (3) के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) **राज्य सरकार, यदि कतिपय कानूनों के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो, विवाह का पंजीकरण करने वाले सक्षम प्राधिकारी को इस आशय की शक्तियां प्रदान कर सकती है कि वह विवाह प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अपेक्षित ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाने के लिए दहेज प्रतिषेध (दुल्हन और दूल्हे को दिए गए उपहारों की सूची का रखरखाव) नियम, 1985 के अनुसार सूची प्रस्तुत करने का आदेश दे।**

(4) राज्य सरकार इस आशय के अनुदेश जारी करेगी कि प्रत्येक सरकारी सेवक और सार्वजनिक सेवक अपने विवाह के पश्चात शपथपत्र पर एक घोषणा अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है और ऐसी घोषणा पर उसकी पत्नी या उसकी पत्नी के संबंधी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

(5) इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के पश्चात यथासंभव यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में नीति और कार्य के बेहतर समन्वयन के संबंध में सिफारिशें

- एक केंद्रीय और राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए।
- जो सलाहकार बोर्डों के साथ समन्वय स्थापित कर सके।
- इस समिति में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों से प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- यह समिति महिलाओं के हितों की देखरेख करने वाले मंत्रालय के अधीन कार्य करे।
- अधिनियम और नियमों के प्रभावी कार्यकरण के संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को परामर्श देने की शक्ति।
- संरक्षण अधिकारियों की भूमिका, प्रकार्य और उनकी प्रभावकारिता पर निगरानी रखना।
- सीएडब्ल्यू प्रकोष्ठों के संघटन और प्रभावी कार्यकरण हेतु प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें मेल–मिलाप और बीच–बचाव से संबंधित कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाए।

विवाह पंजीयक को उपहारों की सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश करने का औचित्य

यह पहले ही सिफारिश की जा चुकी है कि दहेज प्रतिषेध (दुल्हन और दूल्हे को दिए गए उपहारों की सूची का रखरखाव) नियमावली, 1985 के अंतर्गत दिए गए उपहारों की सूची पर संरक्षण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर किए जाने हैं। संरक्षण अधिकारी द्वारा यह सूची अपने पास भी रखी जाएगी। तथापि भारत के कुछ राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया गया है। अतः विवाह पंजीयक को भी सत्यापन अधिकारी बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में स्थानांतरण याचिका संख्या 291/2005 में राज्यों को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु नियम बनाने के निर्देश दिए हैं।

10. सिफारिश – भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख

304ख – दहेज मृत्यु (भारतीय दंड संहिता) *(1860 का 45)* – (1) यदि किसी महिला की उसके विवाह के पश्चात 7 वर्षों के भीतर जलने या किसी शारीरिक क्षति के कारण या सामान्य परिस्थितियों से हटकर किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती हो और यह ज्ञात होता हो कि उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व उसके साथ दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति या पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरतापूर्ण अथवा उत्पीड़क आचरण किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा तथा महिला के ऐसे पति या संबंधी को उसकी मृत्यु का उत्तरदायी माना जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत दिया गया है।

(2) दहेज मृत्यु के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को न्यूनतम सात वर्षों के कारावास द्वारा दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है।

- धारा 304ख(1) में प्रयुक्त शब्द "तत्काल–पूर्व" का अनिवार्यतः लोप कर दिया जाए और उसके स्थान पर "पहले किसी भी समय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।
- धारा 304ख(2) में निर्धारित कारावास की न्यूनतम अवधि सात वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाए।
- धारा 304ख(2) में उल्लिखित शब्दों "आजीवन कारावास" के बाद "अथवा मृत्युपर्यंत" शब्दों को जोड़ा जाए। तर्क–

दंड में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की जानी है:

(क) इस अपराध को हत्या के अपराध के समतुल्य रखा जाए तथा यह भी कि हमारी कल्पना के किसी भी चरण में यह अपराध हत्या से कम गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता।

(ख) ऐसे जघन्य अपराधों को करने वाले लोगों को ऐसा करने से रोकना। अब तक यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि न तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम और न ही भारतीय दंड संहिता के संशोधित उपबंधों का प्रयोग करके लोगों को रोका जा सका है और इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। समिति को यह पता चला है कि उपर्युक्त कमी के कारण ही कानून के उपबंध अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल करने से कानून को प्रभावी बनाया जा सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त कारावास की समय–सीमा में भी वृद्धि की जाए क्योंकि 7 वर्ष की अवधि बहुत कम समय है तथा प्रायः इस प्रकार के अपराध पूर्व–नियोजित रूप में किए जाते हैं।

(घ) कारावास की न्यूनतम अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाए।

भारतीय दंड संहिता में धारा 304 ख का समावेश भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके किया गया था। इस उपबंध के अंतर्गत "दहेज मृत्यु" के उत्तरदायी व्यक्तियों को दंहित करने का प्रावधान किया गया है और इसमें दहेज मृत्यु के संबंध में निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। तथापि इस अवधारणा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित सिद्ध किया जाना आवश्यक है:

(i) विवाहित महिला की उसके विवाह के पश्चात 7 वर्षों के भीतर मृत्यु होना

(ii) यह प्रमाणित करना कि उस महिला के साथ उसके पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा निर्दयतापूर्वक या उत्पीड़क व्यवहार किया गया, ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार महिला की मृत्यु से "तत्काल–पूर्व" किया गया हो।

(iii) ऐसा निर्दयतापूर्ण या उत्पीड़क व्यवहार दहेज की मांग के लिए किया गया हो।

तथापि, ऐसे सभी घटकों को एक साथ सिद्ध करना काफी कठिन है।

I. "सात वर्ष" की सीमा

धारा 304ख के अंतर्गत उल्लिखित पहला मुद्दा, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह है दहेज मृत्यु की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सात वर्ष की सीमा। इस मुद्दे में प्रतिवादी मृत्यु का कारण बना है, इस अवधारणा में वह लाभ लेने का दावा कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के अंतर्गत इस अवधारणा को तभी स्वीकार किया जाता है जबकि क्रूरतापूर्ण व्यवहार से संबंधित साक्ष्य प्रदर्शित किए जाएं और विवाह के पहले सात वर्षों के भीतर महिला की अस्वाभाविक मृत्यु होती है। सात वर्ष की निर्धारित की गई सीमा का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस सीमा का होना अपने आप में त्रूटिपूर्ण है। सात वर्ष की सीमा निर्धारित करने के पीछे तर्क यह था कि एक अत्यधिक खराब हो चुके संबंध को ठीक करने के लिए सात वर्षों की अवधि पर्याप्त होगी। किंतु चूंकि हम ऐसे मामलों के बारे में भी सुनते रहते हैं जिनमें अपराधी पीड़ित महिला की हत्या करने के लिए सात वर्ष की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस दुर्भावना पर पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उससे संबंधित व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंच रहा हो। सात वर्षों की सीमा से केवल पीड़िता की हत्या का समय ही टल जाता है क्योंकि दहेज की मांग उससे कभी भी दोबारा की जा सकती है; इस संबंध में दावा फिर से करने के लिए समय अवधि कोई निर्धारक कारक नहीं हो सकती। जब तक दुर्भावना बनी रहती है, उसे कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए।

II. "शीघ्र पहले" शब्द को हटाना

दूसरा मुद्दा है कि:

- महिला के साथ उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले उत्पीड़न/क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

जबकि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख न्यायालय को यह अवधारणा सृजित करने की अनुमति देकर कि यदि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर पाता है कि पति अथवा उसके संबंधियों द्वारा दहेज पीड़िता के साथ "निर्दयतापूर्ण" व्यवहार किया गया जिसके कारण दहेज मृत्यु

हुई है, दहेज मृत्यु से संबंधित अभियोजनों को प्रबल बनाता है। इस संबंध में यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि पीड़िता के साथ उसकी मृत्यु के "तत्काल–पूर्व" उत्पीड़न/निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया है।

अधिकांश मामलों में परिस्थितियां और जिस परिसर में दहेज मृत्यु की घटना घटित हुई है, वे एक प्रमुख अवरोधक का कार्य करते हैं। क्योंकि

- पति अथवा संबंधियों द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जाती है।
- उपलब्ध कुछ गवाह प्रायः संबंधी या पड़ोसी होते हैं जो अधिकांश मामलों में पीड़िता के समर्थन में सामने नहीं आते।
- वैवाहिक परिवार या किसी अन्य प्रकार के संगठन के साथ बहुत कम संपर्क होने के कारण जहां तक पूर्व में हुई क्रूरतापूर्ण घटनाओं का संबंध है, लिखित साक्ष्य का नितांत अभाव होता है।

अधिकांश मामलों में न्यायालयों को जिस दुविधा के दौर से गुजरना पड़ता है, वह है इस बात की व्याख्या करना कि "शीघ्र पहले" कितना शीघ्र है। दिनेश सेठ और अन्य[10] के मामले में मृतका ने उत्पीड़न के कारण अपने वैवाहिक घर को छोड़ दिया था। जब वह दोबारा अपने घर में आई तो उसके 15 दिन पश्चात वह मृत पाई गई। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि मृतका के साथ उत्पीड़न का प्रमाण था किंतु वे उत्पीड़न उसकी मृत्यु से "शीघ्र पहले" किए गए थे, यह सिद्ध नहीं हो पाया। अतः वह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत नहीं कहा जा सकेगा। तथापि, विपिन कुमार और अन्य बनाम सरकार[11] के मामले में जिसमें मृतका अपने वैवाहिक घर में वापस आने के दो दिन बाद मृत पाई गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में मृतका के साथ उसकी मृत्यु से शीघ्र पहले उत्पीड़न किए जाने को सही माना। न्यायालयों ने अनेक मामलों में यह पाया है कि दहेज मृत्यु के मामले में धारा 304ख के अंतर्गत मामला सिद्ध करने के लिए समीपता और लाइव–लिंक परीक्षण किया जाना चाहिए। अतः कुनहिआबदुकला और अन्य बनाम पंजाब सरकार[12] के मामले में न्यायालय ने कहा कि "शीघ्र पहले" एक सापेक्षिक पद है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। समय अंतराल के तत्त्व को दिमाग में रखे जाने की आवश्यकता है किंतु दहेज संबंधी उत्पीड़न और मृत्यु के बीच समीपता और लाइव–लिंक होना जरूरी है। सावरलम बनाम मद्रास सरकार[13] के मामले में दहेज संबंधी उत्पीड़न के बारे में प्राप्त हुई अंतिम रिपोर्ट और मृतका की मृत्यु के बीच आठ महीने का अंतर था। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला धारा 304ख के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि इस मामले में "शीघ्र पहले" का घटक सिद्ध नहीं होता है। न्यायालय मृतका के साथ अंतिम बार हुई उत्पीड़न की घटना और उत्पीड़न की घटना की अंतिम रिपोर्ट के बीच अंतर कर पाने में विफल हो जाते हैं। अतः केवल इस कारण कि उत्पीड़न के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, वास्तव में महिला के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, यह सिद्ध नहीं होता और साथ ही उत्पीड़न बाद की अवधि तक भी जारी रह सकता है।

"दहेज के संबंध में उत्पीड़न"

एक तीसरा मुद्दा जिस पर अब विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह है धारा 304ख को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि **"दहेज के संबंध में"** संबंधित महिला के साथ उत्पीड़न या निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। "दहेज के संबंध में निर्दयता" का क्या अर्थ है, इसे स्पष्ट करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने भीविया तुकाराम तारकासे

[10] 2003 सीआरएलजे 4532

[11] 64 (1996) डीएलटी 781

[12] 2004 (48) एसीसी 50 एससी

[13] (200)1 डीएमसी 339

बनाम महाराष्ट्र सरकार[14] मामले में, जिसमें मृतका के साथ अनेक बार हिंसात्मक व्यवहार किया गया और साथ ही उसे उसके भाई के विवाह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, कहा कि यह एक उत्पीड़न की घटना थी किंतु इसे दहेज हेतु मांग से जोड़ा नहीं जा सकता। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने कानून की बहुत संकीर्ण अर्थों में व्याख्या की। हिंसा भिन्न–भिन्न स्वरूप ले सकती है। दहेज एक कारण हो सकता है और उसका प्रभाव हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। नंद किशोर@किशोर बनाम महाराष्ट्र सरकार[15] के मामले में जिसमें मृतका की अत्यधिक गंभीर रूप में जल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी, उसने पुलिस को पहले अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में सूचना दी थी किंतु उसने "दहेज उत्पीड़न" के बारे में पुलिस को कोई विशेष बात नहीं बताई थी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में धारा 304ख लागू नहीं होगी क्योंकि इस मामले में दहेज मांग और निर्दयता के बीच संबंध स्थापित नहीं होता है। न्यायालय का मानना था कि इन दोनों बातों का आपस में एकसाथ मौजूद होना आवश्यक है और ये अलग–अलग रूप में घटित न हों, तभी दहेज उत्पीड़न का मामला बनता है।

11. शीघ्र चिकित्सीय जांच और अन्वेषण कराने का महत्त्व

जैसाकि उपर्युक्त अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, अधिकांश मामलों में अपराध की प्रकृति और उसकी परिस्थितियों के कारण दहेज मृत्यु के मामले को सिद्ध कर पाना काफी कठिन होता है। ऐसे मामलों में अभियोजन हेतु एकमात्र उपलब्ध साक्ष्य यह होता है कि मृतका की तत्काल चिकित्सीय जांच करवाई जाए और अपराध जिस स्थल पर घटित हुआ है, उसकी उचित रूप में जांच–पड़ताल की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सत्यनारायण तिवारी[16] के मामले में जिसमें मृतका अत्यधिक गंभीर रूप से जल जाने के कारण मृत पाई गई और उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। शव–परीक्षण की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि मृतका की कंठिका की हड्डी टूटी हुई थी और यह भी कि दरवाजा बिल्कुल सही हालत में पाया गया जबकि अभियुक्त ने यह दावा किया था कि उन्हें दरवाजे को तोड़ना पड़ा था क्योंकि मृतका ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया था। इस जानकारी ने अभियोजन को मामला चलाने में सहायता प्रदान की। इसी प्रकार मूलख राज बनाम सतीश कुमार[17] के मामले में, जिसमें मृतका 95 प्रतिशत जली हालत में पाई गई, शव–परीक्षण रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु गला दबाने के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई थी और मृत्यु के साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास में उसके मृत शरीर को जलाया गया था।

जैसाकि उपर्युक्त मामलों में स्पष्टतः ज्ञात होता है, अभियोजन पक्ष को शीघ्र चिकित्सीय जांच करवाने और छानबीन करने से अभियोजन में सहायता प्राप्त हुई। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174(4)(v) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है:

(v) *पुलिस अधिकारी किसी भी अन्य कारण से यदि ऐसा करना समीचीन पाता है तो वह ऐसे नियमों का प्रयोग करेगा जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे.....*"

राज्य सरकार कोई जांच करने के समय किए जाने वाले उपायों और उसकी समय अवधि के बारे में विस्तृत उल्लेख करने वाले नियमों को निर्मित करेगी।

12. मृत्यु–पूर्व बयान

किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु से ठीक पूर्व दिए गए बयान का एक विशेष महत्त्व है क्योंकि उस क्षण में किसी भी व्यक्ति से यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि

[14] 2000(1) एमएचएलजे 593

[15] 1995 सीआरआईएलजे 3706

[16] 2005 सीआरआईएलजे 3684

[17] एआईआर 1992 एससी 1175

वह असत्य बोलेगा। अतः मृत्यु–पूर्व बयान को अल्लंघनीय माना गया है और इसे एक ऐसा साक्ष्य माना जाता है जो मृत हो चुके पीड़ित व्यक्ति के मुख से निकला हुआ साक्ष्य होता है। यदि किसी मामले में मृत्यु से पूर्व एक से अधिक बयान दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को उन सभी बयानों की छानबीन करनी पड़ती है और यह ज्ञात करना पड़ता है कि उनमें से किस बयान को सही माना जाए।[18] हालांकि मृत्यु के मामले में केवल मृत्यु–पूर्व बयान ही एकमात्र साक्ष्य नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सकता है बल्कि इस मामले में अपराध के स्थल की उपयुक्त रूप में छानबीन से तथा शव–परीक्षा रिपोर्ट से और भी साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए ही मृतका के बयान पर विश्वास करना पड़ता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क और ख द्वारा यह सिद्ध करने का कार्य अभियुक्त पर डाल दिया गया है कि ऐसे मामले में जिसमें उत्पीड़न का साक्ष्य उपलब्ध हो, उसने मृतका को आत्महत्या के नहीं उकसाया या वह दहेज मृत्यु का कारण नहीं बना। जिस मामले में पड़ोसी या पति के परिवार अभियुक्त की सहायता करने के लिए बाध्य हैं और पीड़िता का अपने माता–पिता के साथ या अन्य किसी सामाजिक संगठन के साथ संपर्क काफी कम रहा था, वैसे मामलों में ऐसे साक्ष्य बहुत कम प्राप्त हो पाते हैं जिससे अभियोजन पक्ष को सहायता प्राप्त हो सके। तथापि, जैसाकि अनुभवों से ज्ञात होता है, अधिकांश मामलों में, जिनमें महिला बयान देने की स्थिति में होती है, अनेक कारणों से अपने पति को आरोपित करना नहीं चाहती। मृत्यु–पूर्व ऐसे बयान जिसमें पति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, में अंततः छानबीन बंद कर देनी पड़ती है और पुलिस किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करना बंद कर देती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें महिला ने अपने मृत्यु–पूर्व बयान में पति पर कोई आरोप नहीं लगाया किंतु न्यायालय ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषसिद्ध पाया[19] । लक्ष्मण के मामले में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पति को अभियोगमुक्त कर दिया किंतु उच्चतम न्यायालय ने उसे अपनी पत्नी को जलाने का दोषी पाया। इससे यह ज्ञात होता है कि जब तक हमारे न्यायालय साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच–पड़ताल नहीं करते तब तक दोषियों के दंडित होने से बच जाने की संभावना बनी रहती है।

जहां मृत्यु–पूर्व बयान का संबंध है, इसे कानूनी दृष्टि से कुछ हद तक विशेष स्थान प्रदान किया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि मृत्यु–पूर्व बयान को यह विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं हो पाता यदि बयान देने वाली कोई महिला हो। अतः लक्ष्मी बनाम ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक महिला द्वारा दिए गए पांच मृत्यु–पूर्व बयानों को, जिन्हें उसने एक चिकित्सक सहित पांच भिन्न–भिन्न लोगों के समक्ष दिया था, इस आधार पर नकार दिया कि किसी भी चिकित्सक ने यह प्रमाणित नहीं किया था कि वह बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सही हालत में थी। इस पूरे मामले पर निगाह रखने की आवश्यकता है कि समाज किस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेता है।

पीड़िता के बयान को दर्ज करना, जो प्रायः उसका मृत्यु–पूर्व बयान हो जाता है, जांच–पड़ताल की प्रक्रिया का एक हिस्सा है किंतु प्रायः यह जांच–पड़ताल अपराध के वास्तविक अभिकर्ता को बचाने की प्रक्रिया बनकर रह जाती है। यहां यह कहना उपयुक्त है कि मृत्यु–पूर्व अभियान मृतका से अकेले में लिए जाएं जबकि मृत्य–पूर्व बयान प्रायः पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य संबंधियों की उपस्थिति में लिए जाते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 में एक उपबंध शामिल किया गया है जिसके द्वारा संदेहास्पद परिस्थिति

[18] कुंडलु बालासुब्रामणियम बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (1993) 2 एससीसी 684

[19] पवन कुमार बनाम हरियाणा सरकार, 2001 एआईआर एससीडब्ल्यू 1111

में मृत्यु के मामलों में जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1983 में किए गए इस नए संशोधन द्वारा यदि विवाह के पहले सात वर्षों के भीतर किसी महिला की अपने पति और सुसराल पक्ष के लोगों के साथ रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट को जांच–पड़ताल करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तथापि, हमारे जांचकर्ता प्राधिकारियों की निर्दयता उच्चतम न्यायालय द्वारा लिच्छमादेवी बनाम राजस्थान सरकार[20] के मामले में दिए गए निर्णय से स्पष्ट होती है। इस विशेष मामले में पीड़िता की सास ने उस पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी और उसने कहा कि उसके बड़े पुत्र ने संभवतः पीड़िता को जलाया होगा। पीड़िता का पति, जो उसके साथ हुई निमर्म घटना का मूकदर्शक बना रहा था और जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भी आगे नहीं बढ़ा और न ही घटना के पश्चात एंबुलेंस ही बुलाई, उस पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगा। इसके साथ ही इस मामले में पीड़िता द्वारा चिकित्सक के समक्ष दिए गए बयान को उसका मृत्यु–पूर्व बयान नहीं माना गया और उसे केवल चिकित्सक और रोगी के बीच का वार्तालाप ही माना गया।

अतः यहां आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण ढांचे में बदलाव लाया जाए, चाहे छानबीन की प्रक्रिया हो, शिकायत तंत्र हो या फिर न्यायपालिका की प्रवृत्ति हो। दहेज मृत्यु के मामलों की देखरेख करने वाली विमोचन और संसदीय समिति ने इस संबंध में एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं:

- अस्वाभाविक परिस्थितियों में महिला की मृत्यु के मामले में प्रक्रियागत चरणों को अपनाया जाए। पहले चरण में, पीड़िता की शव–परीक्षा करने वाले चिकित्सक और साथ ही फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से पुलिस और जांच अधिकारी द्वारा जांच–पड़ताल की जाए, क्योंकि मामले का भविष्य इस प्रकार की जांच की संपूर्णता पर ही निर्भर करेगा।
- यह सुनिश्चित करने की काफी अधिक आवश्यकता है कि जैसे ही किसी महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर चोट पहुंचने के संबंध में सूचना प्राप्त हो, पुलिस द्वारा उस संबंध में तत्काल एक शिकायत दर्ज कर ली जाए। पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस घर में घटना घटित हुई है, वहां जाए और उस घर को वास्तव में सील कर दे ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके किंतु यह अधिकांश मामलों में कभी भी नहीं हो पाता। चूंकि "दहेज मृत्यु" के अधिकांश मामलों को कार्यभार से बचने के लिए दुर्घटना और आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है, अतः जांचकर्ता विभाग के उच्चाधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे आत्महत्या के सभी प्रयासों और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों की जांच–पड़ताल करें।

क्रियान्वयन

दहेज नियमों में संशोधनों और इस संबंध में अभियान चलाए जाने के बावजूद दहेज से संबंधित मामलों में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 9 और 10 के अंतर्गत कानून बनाए जाएं और अधिनियम की धारा 8ख के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए। इस याचिका के अंतर्गत धारा 8क के अधीन राज्यों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा जहां कहीं भी दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हों, वहां उनके कार्यकरण के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने तथा अधिनियम की धारा 8ख के अंतर्गत अधिदेशित सलाहकार बोर्डों का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया। इस संबंध में विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए और यह कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश राज्य सरकारों ने नियम बना दिए हैं तथा अधिकांश राज्यों में दहेज प्रतिषेध अधिकारी

[20] एआईआर 1986 एससी 250

नियुक्त कर दिए गए हैं। तथापि, चिंता इस बात की है कि क्या कानून द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी?

अतः दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रतिबलन और क्रियान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में जारी किए गए सभी अंतरिम आदेशों को क्रियान्वित करने के संबंध में प्रतिवादियों को निदेश जारी करने के अतिरिक्त हम निम्नलिखित निर्देश भी जारी करते हैं:

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों और उनके अंतर्गत विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन हेतु भारत संघ और राज्यों को अधिक प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देते हैं। उस प्रक्रिया में उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सक्रिय बनाएं। हम केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 9(2)(ख) के अंतर्गत नियम बनाने का निर्देश देते हैं, यदि ये नियम पहले न बनाए गए हों।
- प्रतिवादियों को यह सूचित करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है कि अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में यथापरिकल्पित सूची को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन किया जाए।
- हम भारत संघ और राज्य सरकारों को यह निर्देश देते हैं कि जिन मामलों में पुरुषों को दहेज न देने के लिए बाध्य करने हेतु नियम नहीं बनाए जा सके हैं, उन मामलों में ऐसे नियम बनाए जाएं, सरकारी कर्मचारियों को इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि क्या उन्होंने विवाह हेतु दहेज लिया है, क्या दहेज को अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत की गई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पत्नी को लौटा दिया गया है। ऐसी सूचनाएं रोजगार में पहले से नियुक्त कर्मचारियों से भी प्राप्त की जाएं क्योंकि दहेज की मांग करने और उसे स्वीकार करने के विरुद्ध लोगों की आत्मचेतना को जगाने की आवश्यकता है।
- हम भारत संघ और राज्य सरकारों को यह भी निर्देश देते हैं कि वे लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, दूरदर्शन कार्यक्रमों और समाचारपत्रों के माध्यम से लोगों के बीच दहेज के विरुद्ध जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें। इन निर्देशों का अनुपालन किया जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराया जाए।

अनुलग्नक–VI

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध विधेयक

	प्रस्तावना **(महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार प्रदान करने तथा इस प्रयोजनार्थ उन्हें यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु विधेयक)** जबकि यौन उत्पीड़न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त लैंगिक समानता के संबंध में महिलाओं के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार, जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है, का अंतिलंघन करता है। और जबकि यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार तथा सम्मानपूर्वक काम करने के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (कान्वेंशनों) तथा प्रपत्रों जैसेकि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (कान्वेंशन), जिसे भारत द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। और जबकि उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार {(1997) (7) एससीसी 323} में इस संबंध में उपयुक्त विधान अधिनियमित किए जाने तक यौन उत्पीड़न के समाधान के लिए दिशानिर्देश प्रतिपादित किए हैं। इसे भारतीय गणराज्य की संसद में वर्ष..... में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:	
	अध्याय I **प्रारंभिक**	
	1. (1) इस अधिनियम को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध विधेयक, 2010 कहा जाए **(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत में लागू होगा।**	**संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ**

	(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में किया जाए।	
	2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो: (क) कार्यस्थल के संबंध में "व्यथित महिला" का अर्थ ऐसी महिला से है, जिसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है या जिसके साथ यौन उत्पीड़न किए जाने की बात की गई है; इसमें कोई कर्मचारी, विद्यार्थी, अनुसंधान अध्येता, रोगी आदि महिलाएं शामिल हैं। (ख) कार्यस्थल के संबंध में "उपयुक्त सरकार" से अर्थ एक ऐसे कार्यस्थल से है जिसकी स्थापना, स्वामित्व, नियंत्रण, पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषण, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता हो– (i) केंद्र सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन – इस स्थिति में केंद्र सरकार। (ii) राज्य सरकार – इस स्थिति में राज्य सरकार (ग) "अध्यक्ष" का अर्थ समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, के अध्यक्ष से है; (घ) "समिति" का अर्थ धारा 4 के अंतर्गत गठित आंतरिक शिकायत समिति से है; (ड.) "जिला अधिकारी" का अर्थ धारा 5 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी से है; (च) "कर्मचारी" का अर्थ सीधे, किसी एजेंसी के द्वारा अथवा के माध्यम से, प्रमुख नियोक्ता की जानकारी के साथ अथवा के बिना, परिलब्धि के लिए अथवा नहीं, अथवा स्वैच्छिक आधार पर अथवा अन्यथा कार्यरत, नियोजन की शर्तें व्यक्त अथवा निहित, और घरेलू कर्मचारी, सहकर्मी, संविदा कामगार, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षार्थी अथवा किसी अन्य नाम से व्यक्त व्यक्ति से है; (छ) "नियोक्ता" का अर्थ है: (i) किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय, शाखा या इकाई के संबंध में उस विभाग का प्रमुख। संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, उपयुक्त सरकार	**परिभाषाएं**

	अथवा स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय, शाखा या इकाई, जो भी स्थिति हो, द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करके विनिर्दिष्ट किया जाए। (ii) उपर्युक्त (i) में शामिल न किए गए कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। (ज) "स्थानीय समिति" का अर्थ धारा 6 के अंतर्गत गठित स्थानीय शिकायत समिति से है। (झ) "सदस्य" का अर्थ समिति अथवा स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, के सदस्य से है। (ञ) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित किए गए से है। (ट) "प्रतिवादी" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध धारा 7 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई है। (ठ) "कार्यस्थल" में निम्नलिखित शामिल है: (i) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी या निगम या किसी सहकारी समिति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दी गई निधि से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः वित्तपोषित या उनके द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई; (ii) निजी क्षेत्र का कोई संगठन या निजी उद्यम, उपक्रम, इंटरप्राइज, संस्था, स्थापना, सोसाइटी, ट्रस्ट, गैर–सरकारी संगठन, इकाई या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, व्यवसायपरक, व्यावसायिक शिक्षा, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय क्रियाकलाप करते हों जिनमें उत्पादन, आपूर्ति, बिक्री, वितरण या सेवा प्रदान करना शामिल है; (iii) कोई घर या निवास का स्थान; (iv) कोई भी स्थान या वायु, भूमि, रेल या समुद्र मार्ग से परिवहन के किसी साधन में जहां रोजगार के दौरान या	

	रोजगार के सिलसिले में कर्मचारी द्वारा निरीक्षण, दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत जाया जाता है; (v) "असंगठित क्षेत्र" जो कार्यस्थल के अर्थ की परिधि में आएगा, का अर्थ किसी कृषि, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय और जिसमें उदाहरण के रूप में अनुसूची में उल्लिखित किए गए क्षेत्र शामिल हैं, में लगे सभी निजी और निगमित उद्योगों और निजी उद्यमों से है। (ड) "राष्ट्रीय आयोग" **का अर्थ है राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग।** (ढ) "राज्य आयोग" **का अर्थ है संबंधित राज्यों में गठित राज्य महिला आयोग।**	
	3. किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी महिला यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होगी जिसमें अशोभनीय यौन आधारित आचरण, शारीरिक संपर्क, महिला से यौन–रंजित संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना, यौन–रंजित टिप्पणी, अश्लील चित्र दिखाना, यौन मांग करना, यौन इच्छा की पूर्ति हेतु अनुरोध या यौन प्रकृति का कोई अन्य अशोभनीय आचरण शामिल हैं जो मौखिक, लिखित, शारीरिक, चित्रात्मक रूप में इलेक्ट्रानिक माध्यमों का उपयोग करके या किसी अन्य क्रिया को प्रदर्शित करके इनमें से किसी भी प्रकार से किया गया हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं है: (i) रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित अथवा प्रत्यक्ष आश्वासन; या (ii) रोजगार में हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने के संबंध में निहित अथवा प्रत्यक्ष रूप से धमकी देना; या (iii) वर्तमान या भावी रोजगार स्थिति के बारे में निहित अथवा प्रत्यक्ष धमकी; (iv) ऐसा आचरण जिसे प्रदर्शित करके कार्य में हस्तक्षेप किया जाए या जिसके कारण काम के माहौल में भयग्रस्तता या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण माहौल उत्पन्न हो जाए; या	

	(v) अपमानजनक आचरण जिसके कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हों।	
आंतरिक शिकायत समिति का गठन	**अध्याय II** **समिति का गठन** **4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोक्ता द्वारा लिखित में जारी किए गए एक कार्यालय आदेश के जरिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा।** परंतु यदि कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित हों तो समिति का गठन यथाव्यवहार्य सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में किया जाएगा। (2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात (क)– कर्मचारियों में से एक अध्यक्ष जो वरिष्ठ स्तर की कोई महिला हो और जो महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो। यदि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध न हो तो अध्यक्ष की नियुक्ति संबद्ध संगठन या गैर–सरकारी संगठन के कर्मचारियों से की जाएगी। (ख) कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य जो महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध हों या जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव हो; और (ग) गैर–सरकारी संगठनों या एसोसिएशनों में से एक सदस्य जो महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो; बशर्ते कि कम से कम इस प्रकार नामित सदस्यों में से कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। **(3) समिति की अध्यक्षा और प्रत्येक सदस्य** का कार्यकाल नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (4) समिति की अध्यक्षा और सदस्य निर्धारित किए गए अनुसार भत्तों और पारिश्रमिक को पात्र करने के पात्र होंगे। (5) यदि समिति की अध्यक्षा या कोई अन्य सदस्य धारा 14 के उपबंधों का उल्लंघन करती हो तो ऐसी अध्यक्षा या सदस्य को, जो भी मामला हो, को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या कोई आकस्मिक रिक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।	

	(5) उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेट या अपर मजिस्ट्रेट या समाहर्ता या अपर समाहर्ता को **प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी** के रूप में नियुक्त कर सकती है।	**जिला अधिकारी की नियुक्ति**
	(6) (1) यदि किसी कार्यस्थल पर समिति का गठन संभव या व्यवहार्य न हो या यदि किसी कार्यस्थल के नियोक्ता द्वारा समिति गठित न की गई हो या यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के ही विरुद्ध हो तो जिला अधिकारी यथा अपेक्षित एक या एक से अधिक स्थानीय शिकायत समिति गठित कर सकता है। (2) स्थानीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: (क) जिला अधिकारी द्वारा ऐसी महिला को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो; (ख) जिला अधिकारी द्वारा समिति में एक सदस्य की नियुक्ति संबंधित ब्लॉक या जिले में कार्य कर रहे पंजीकृत ट्रेड यूनियनों या श्रमिक संगठनों में से की जाएगी; (ग) जिला अधिकारी द्वारा ऐसे गैर–सरकारी संगठनों या एसोसिएशनों या महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध अन्य हित समूहों में से दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें कम से कम एक महिला होगी; (घ) राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त एक संरक्षा अधिकारी को या कोई अन्य अधिकारी जैसेकि संबंधित राज्यों के ..... अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक या अपर निरीक्षक, फेक्टरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अपर निरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत जिला स्तर पर नियुक्त कोई भी अन्य सरकारी सेवक जैसे किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार नामित कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों। **(3) स्थानीय समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल** जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट होगा। (4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उसकी सदस्य यथानिर्धारित भत्तों या पारिश्रमिक को प्राप्त करने के पात्र होंगे।	**आंतरिक शिकायत समिति का गठन**

	(5) केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा निर्धारित विनिर्योजन के पश्चात राज्य सरकार को अनुदान के रूप में उतनी राशि का भुगतान करेगी जिसे केंद्र सरकार उप–धारा (4) के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने के लिए उचित समझती है। केंद्र सरकार किसी उपयुक्त एजेंसी की पहचान करके यह अनुदान उस एजेंसी को अंतरित कर सकती है। वह एजेंसी अधिनियम की धारा (5) के अनुसार नियुक्त किए गए जिला अधिकारी को उप–धारा (4) के प्रयोजनार्थ अपेक्षित राशि का भुगतान करेगी। (6) स्थानीय समिति का अधिकारक्षेत्र उस क्षेत्र तक सीमित होगा जिसका निर्धारण जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। (7)यदि समिति की अध्यक्षा या कोई अन्य सदस्य धारा 14 के उपबंधों का उल्लंघन करती हो तो ऐसी अध्यक्षा या सदस्य, जो भी मामला हो, को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या कोई आकस्मिक रिक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। (8) स्थानीय समिति को शपथ दिलाने, साक्ष्यों को समन भेजने, समन तामील कराने और साक्ष्य को अभिलेखबद्ध करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।	
	अध्याय III **शिकायत**	
यौन उत्पीड़न की शिकायत	7. (1) व्यथित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत समिति या स्थानीय समिति या आयोग, जो भी स्थिति हो, के समक्ष लिखित में कर सकती है। किंतु यदि ऐसी शिकायत लिखित में नहीं की जा सकती हो तो समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष या अन्य सदस्य शिकायतकर्ता महिला को सभी उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराकर उसके द्वारा की गई शिकायत को लिखित रूप में माने जाने के लिए प्रयास करेगा। **यह भी कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत स्थानीय समिति या आयोग को कर सकती है यदि नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर कोई समिति गठित न की गई हो, या यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के ही विरुद्ध हो।**	

	(2) यदि व्यथित महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्य किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ हो तो उसका कानूनी उतराधिकारी या निर्धारित किया गया अन्य कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है। **(3) यदि शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग को की जाती हो तो आयोग प्रथमदृष्टया नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को संबंधित मामले में जांच–पड़ताल करने का निदेश देगा और शिकायत स्वयं उपभोक्ता के विरुद्ध हो और यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो आयोग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं जांच की जाएगी।** 8. (1) समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जांच शुरू किए जाने से पहले व्यथित महिला और प्रतिवादी के बीच समझौता कराकर शिकायत के समाधान हेतु उपाय किए जाते हैं। (2) यदि शिकायत का समाधान उप धारा (1) के अनुसार हो जाता हो तो समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, उस समाधान के ब्योरों को दर्ज कर लेगी और नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को सुलह के विवरण में दिए गए अनुसार कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी। (3) समिति या स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, उप–धारा (2) के अंतर्गत दर्ज किए गए समाधान के ब्योरों की प्रतियां व्यथित महिला और प्रतिवादी दोनों को उपलब्ध कराएगी। (4) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत शिकायत का समाधान हो जाता हो तो समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आगे और कोई जांच नहीं की जाएगी।	**सुलह अथवा मेल–मिलाप**
	9. (1) यदि शिकायत का समाधान धारा 8 की उप–धारा (1) के अंतर्गत नहीं हो पाता हो तो समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, धारा 14 के उपबंधों के अध्यधीन **अपनी सेवा और आचरण नियमावली/ स्थायी आदेशों/ नीतियों के अनुसार शिकायत की जांच करने की कार्यवाही शुरू करेगी और यदि ऐसे कोई नियम विद्यमान न हों तो निर्धारित किए गए अनुसार रूप में अपनी जांच की कार्यवाही शुरू करेगी:**	**शिकायत की जांच**

	परंतु यदि व्यथित महिला समिति या स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, को यह सूचित करती है कि धारा 8 की उप–धारा (1) के अनुसार कराए गए समाधान के ब्योरे में उल्लिखित किसी शर्त या प्रतिबंध का प्रतिवादी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, को समिति या स्थानीय समिति शिकायत की जांच करने की कार्रवाई शुरू करेगी। (2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जांच करने के प्रयोजनार्थ समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निर्धारित की जाएं। (3) उप–धारा (1) के अंतर्गत जांच की कार्रवाई 90 दिनों की अवधि के अंदर पूरी कर ली जाएगी। (4) यदि समिति या स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, उप–धारा (3) के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जांच को पूरा करने में विफल रहती है तो नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी, जो भी स्थिति हो, निर्धारित किए गए अनुसार कार्रवाई कर सकता है। **(5) ऐसे मामलों में, जहां व्यथित महिला के नियोक्ता के विरुद्ध अथवा संबंधित स्थापना के प्रभारी व्यक्ति के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है, वहां यदि वह चाहे तो राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग या स्थानीय शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।** **यह भी कि कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति का अध्यक्ष जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है, उस व्यक्ति से पर्याप्त वरिष्ठ हो और यदि किसी कार्यस्थल अथवा संगठन में नियुक्त प्रतिवादी कार्यस्थल के प्रमुख जैसे वरिष्ठ पद पर आसीन हो या स्वयं नियोक्ता हो या संबंधित कार्यस्थल का प्रभारी व्यक्ति हो तो उपयुक्त सरकार एक अध्यक्ष जो प्रतिवादी के रैंक और उसकी हैसियत से वरिष्ठ स्तर का हो, की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति का गठन करेगी या शिकायतकर्ता को यह विकल्प उपलब्ध कराएगी कि वह अपनी इच्छानुसार शिकायत स्थानीय शिकायत समिति में अथवा राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग में करे।**	

	अध्याय IV शिकायत की जांच	
जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई	10. (1) जांच के लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, समिति द्वारा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, नियोक्ता को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है: (क) व्यथित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना; या (ख) व्यथित महिला को छुट्टी मंजूर करना; या (ग) व्यथित महिला को यथानिर्धारित कोई अन्य राहत उपलब्ध कराना परंतु कोई भी महिला तभी स्थानांतरित की जाएगी जब इस संबंध में स्वयं महिला द्वारा अनुरोध किया जाए और उसे निलंबित भी नहीं किया जाएगा; और, इस धारा के अंतर्गत उसे प्रदत्त छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसकी वह महिला इस मामले के सिद्ध हो जाने पर पात्र होगी। (2) समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, की सिफारिश पर उप–धारा (1) के अंतर्गत नियोक्ता या जिला अधिकारी ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जो उपयुक्त समझी जाए।	
जांच रिपोर्ट	**11.** (1) इस अधिनियम के अंतर्गत जांच पूरी हो जाने पर समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, अपने निष्कर्षों के संबंध में एक रिपोर्ट नियोक्ता अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति को उपलब्ध कराएगी। रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। (2) यदि समिति या स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो वह नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि इस मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। (3) यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं, तो वह नियोक्ता को सेवा नियमावली/आचरण नियमावली के उपबंधों या प्रतिवादी पर लागू अनुशासनिक मामलों से संबंधित नीतियों के अनुसार कदाचार हेतु कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी।	

	(4) यदि स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं, तो वह नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी, जो भी स्थिति हो, को निम्नलिखित से संबंधित सिफारिश करेगी: (क) सेवा नियमावली/आचरण नियमावली के उपबंधों या प्रतिवादी पर लागू अनुशासनिक मामलों से संबंधित नीतियों के अनुसार कदाचार हेतु कार्यवाही करने की सिफारिश। (ख) यदि कोई ऐसी सेवा नियमावली तैयार नहीं की गई हो तो उस रूप में कार्रवाई करने की सिफारिश, जो निर्धारित की जाए। (5) यदि कोई सिफारिश उप–धारा (3)(4) के अंतर्गत नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को की गई हो तो वह उस सिफारिश पर उसे प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा।	
कोई नियम विद्यमान न होने की स्थिति में आरोपित किए जाने वाली शास्तियां	**12. यदि कोई सेवा नियम या अनुशासनिक नियम विद्यमान न हो,** तो जिला अधिकारी निम्नलिखित में से कोई भी एक शास्ति आरोपित कर सकता है: (क) नियोक्ता को निम्नलिखित हेतु निर्देश दे सकता है: (i) प्रतिवादी से लिखित में माफीनामा प्राप्त करने, या (ii) प्रतिवादी को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए निलंबित करने, जिसके दौरान प्रतिवादी उन भत्तों को प्राप्त करने का पात्र होगा जिनका निर्धारण जिला अधिकारी द्वारा किया जाए; अथवा (iii) प्रतिवादी को सेवा से **बरखास्त करना;** या **(ख) नियोक्ता या प्रतिवादी को यह निर्देश देना कि व्यथित महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक राशि का भुगतान किया जाए जिसका निर्धारण धारा 13 के उपबंधों के अनुसार हो; जिसकी वसूली किसी भी स्थिति में उस माह के वेतन/ मजदूरी के एक–चौथाई से अधिक न की जाए।** **(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस का ऐसी अवधि के लिए जिसका निर्धारण किया जाए, प्रतिसंहरण/निलंबन किया जाए बशर्ते कि कोई कार्रवाई करने से पहले नियोक्ता/प्रतिवादी**	

	को सुने जाने का एक अवसर उपलब्ध कराया गया हो अथवा **(घ) किसी भी केंद्रीय या राज्य प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में विराम प्रदान करना।** **(ड.) निर्धारित की गई कोई भी अन्य बात।**	
	13. धारा 12 के खंड (ख) के अंतर्गत व्यथित महिला को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ जिला अधिकारी निम्नलिखित पर विचार करेगाः (क) व्यथित महिला को हुआ मानसिक कष्ट, दर्द, कष्ट और भावनात्मक पीड़ा; (ख) यौन उत्पीड़न की घटना के कारण कैरियर से संबंधित अवसरों की हानि; (ग) पीड़िता द्वारा शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक उपचार हेतु किया गया चिकित्सीय व्यय; (घ) प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति; (ड.) ऐसे भुगतानों को एकमुश्त अथवा किस्तों में करने की संभाव्यता;	प्रतिपूर्ति का निर्धारण
प्रतिपूर्ति की वसूली	**14. यदि प्रतिवादी या नियोक्ता को धारा 12 के अंतर्गत दिए गए आदेश के अनुसार उसके द्वारा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता हो तो –** **(i) जिला अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रणधीन वस्तुओं को उसके कब्जे से लेकर या बेचकर इस प्रकार देय राशि की वसूली की जा सकती है; या** **(ii) यदि उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित तरीके से राशि की प्रतिपूर्ति न हो पाए तो जिला अधिकारी ऐसे व्यक्ति से अर्थात प्रतिवादी अथवा नियोक्ता से निर्धारित राशि यह मानकर वसूलने की कार्रवाई करेगा कि वह राशि उस व्यक्ति से प्राप्य भूमि राजस्व का बकाया हो।**	

	15. इस अधिनियम की धारा 12, 13 और 1 के अंतर्गत जिला अधिकारी के निर्णय का जो कोई भी उल्लंघन करता हो और अनुपालन करने में विफल रहता हो, उसे तीन महीने की अवधि तक विस्तारित कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है या उसे जुर्माने की राशि अदा करने के लिए कहा जा सकता है जो 2000 रुपये तक हो सकती है या उस पर ये दोनों ही शास्तियां आरोपित की जा सकती हैं, और यदि वह इस आदेश का भी उल्लंघ कर देता है तो उस पर एक अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, उसे ऐसे उल्लंघन के लिए पहली बार दोषसिद्ध पाए जाने के पश्चात इस प्रकार के उल्लंघन के जारी रहने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए 100/– रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। (2) यदि कोई व्यक्ति जो उप–धारा (1) के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, पुनः उसी उपबंध के उल्लंघन अथवा अनुपालन में विफल रहने के कारण दोषी पाया जाता हो तो उसे परवर्ती दोषसिद्धि पर 6 माह तक विस्तारयोग्य कारावास की सजा या कम से कम 5000/– रुपये तक का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर 2000/– रुपये तक किया जा सकता है या उपर्युक्त दोनों शास्तियां एक साथ दी जा सकती हैं।	जिला अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन
	16. (1) यदि समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य हैं या दुर्भावनापूर्ण हैं या व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई नकली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो वह नियोक्ता या जिला अधिकारी को उस महिला अथवा व्यक्ति जिसने शिकायत की है, के विरुद्ध उस महिला या उस पुरुष पर लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा यदि ऐसे कोई सेवा नियम निर्मित न किए गए हों तो उस प्रकार से जिसका निर्धारण किया जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है। (2) यदि समिति अथवा स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने कोई नकली या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो वह उस साक्षी के नियोक्ता या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी पर लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार तथा यदि ऐसे कोई सेवा नियम निर्मित न किए गए हों तो	असत्य अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायत और असत्य साक्ष्य के लिए दंड

	उस प्रकार से जिसका निर्धारण किया जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है।	
शिकायत के ज्ञात तथ्यों और जांच कार्यवाही को प्रकाशित करने पर प्रतिषेध	17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित किसी भी बात के होते हुए, धारा 7 की उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई शिकायत के तथ्य, व्यथित महिला, प्रतिवादी और साक्षी की पहचान और उसका पता मेल–मिलाप या समाधान की प्रक्रिया एवं जांच कार्यवाही से संबंधित कोई भी जानकारी, समिति या स्थानीय समिति, जो भी स्थिति हो, की सिफारिशें और इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई से किसी भी रूप में जनता, प्रेस और मीडिया को प्रकाशित, संप्रेषित या अवगत नहीं कराया जाएगाः परंतु व्यथित महिला और साक्षियों की पहचान और उनके पते के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए बिना इस अधिनियम के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के शिकार किसी पीड़िता को उपलब्ध कराए गए न्याय के संबंध में सूचना का प्रसार किया जा सकता है।	2005 का 22
शिकायत के ज्ञात तथ्यों और जांच कार्यवाही को प्रकाशित करने पर प्रतिषेध	18. यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत शिकायत, जांच या किसी सिफारिश या की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया हो, धारा 14 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो तो उक्त व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और यदि कोई सेवा नियमावली तैयार नहीं की गई है, तो ऐसे रूप में जिसका निर्धारण किया जाए, शास्ति आरोपित की जाएगी।	
अपील	19. (1) **धारा 11 की उप–धारा (2) या धारा 11 की उप–धारा (3) और (4) या धारा 12 या 16** के अंतर्गत पारित किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति पर लागू सेवा नियमावली के उपबंधों के अनुसार या यदि कोई सेवा नियमावली तैयार नहीं की गई है या यदि कोई सेवा नियमावली पीड़ित व्यक्ति पर लागू नहीं होती है तो उस रूप में जिसका निर्धारण किया जाए, समिति का आदेश पारित होने/प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। **(2)** अपीलीय मंच अपीलकर्ता की मौखिक सुनवाई करेगा **और उसे छुट्टी मंजूर करने, प्रतिवादी के विरुद्ध जारी स्थानांतरण या नियंत्रण आदेश या उपयुक्त समझे जाने वाला कोई अन्य आदेश जारी करके अंतरिम आदेश दे सकता है।**	

	अध्याय V नियोक्ता के कर्त्तव्य	
नियोक्ता के कर्त्तव्य	20. नियोक्ता– (क) कार्यस्थल पर कामकाज के लिए एक सुरक्षित माहौल सृजित करेगा, जिसमें संस्था के कर्मचारियों से सुरक्षा और साथ ही कार्यस्थल पर आने वाले तृतीय पक्ष के लोगों से भी सुरक्षा उपलब्ध कराना शामिल होगा; (ख) धारा 4 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी किए गए कार्यालय आदेशों को कार्यस्थल में ऐसी जगह में प्रदर्शित करना, जहां उसे सभी देख सकें; (ग) सदस्यों के संवेदीकरण हेतु नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण आयोजित करना; (घ) समिति या स्थायी समिति, जैसी भी स्थिति हो, को शिकायतों के निपटान और जांच संबंधी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना; (ड.) समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष प्रतिवादी और साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; (च) समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को वे सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना जो उसके लिए धारा 7 की उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई शिकायत के संबंध में अपेक्षित हों; (छ) व्यथित महिला को, यदि उसकी इच्छा हो तो, उसके साथ हुए अपराध के संबंध में आपराधिक शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करना; (ज) अपराधकर्ता के विरुद्ध जांच का निष्कर्ष प्राप्त हो जाने के पश्चात और यदि अपराधकर्ता उस कार्यस्थल, जहां यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, का कर्मचारी न हो, तो जांच की प्रतीक्षा किए बिना दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू करना।	
	21. कतिपय मामलों में नियोक्ता अथवा प्रबंधक को उत्तरदायित्व से प्राप्त छूट (1) यदि किसी संस्था के नियोक्ता अथवा प्रबंधक पर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत नियमों अथवा जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत	कतिपय मामलों में नियोक्ता अथवा प्रबंधक को उत्तरदायित्व से प्राप्त छूट

	अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाता हो तो उसे इस बात का हक दिया गया है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर इस संबंध में आरोप लगा सकता है कि इस संबंध में वास्तविक अपराधी वह दूसरा व्यक्ति है और वह उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष आरोप की सुनवाई के लिए नियत समय पर प्रस्तुत कर देगा; और यदि अपराध करना सिद्ध हो जाए तो उस संस्था के नियोक्ता अथवा प्रबंधक न्यायालय के समाधान के लिए निम्नलिखित सिद्ध करेगाः (क) कि उसने इस अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में उपयुक्त परिश्रम किया है; और (ख) यह कि उक्त दूसरे व्यक्ति ने प्रश्नाधीन अपराध को उसकी जानकारी, स्वीकृति या उसकी सांठगांठ के बिना अंजाम दिया है और वह दूसरा व्यक्ति अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध होगा और उस पर यह मानकर जुर्माने की शास्ति आरोपित की जाएगी कि वह उक्त संस्था का नियोक्ता अथवा प्रबंधक है तथा संस्था के वास्तविक नियोक्ता या प्रबंधक को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दायित्व से आरोपमुक्त कर दिया जाएगा।	
	अध्याय VI **जिला अधिकारी के कर्त्तव्य**	
	22. जिला अधिकारी – 1. यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा कि यदि नियोक्ता स्वयं अभियुक्त है तो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो और धारा 17 के खंड (घ) से (झ) में यथाउल्लिखित नियोक्ता के कर्त्तव्यों को पूरा किया जाए। 2. अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जुर्माने की राशि को प्रशासित करेगा तथा एक निधि सृजित करेगा तथा उसका उपयोग पीड़िता के यथानिर्धारित लाभार्थ हेतु करेगा। 3. यह सुनिश्चित करेगा कि समिति द्वारा समय से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में काम कर रही हैं, कार्यस्थलों की औचक जांच करेगा या इस संबंध में व्यवस्था करेगा।	

	5. यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सिविल सामाजिक संगठनों से जुड़ने के लिए कार्य संस्थापनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	
	23. अधिनियम का मानीटरन राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, उन्हें उनके संगत अधिनियमों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जांच और समीक्षा करेंगे तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में उपयुक्त सरकार को सलाह देंगे। (2) उक्त आयोग किसी भी मामले की जांच करते समय उन शक्तियों का उपभोग करेंगे जो उन्हें उनके संगत अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हों।	**अधिनियम का मानीटरन**
	अध्याय VII **विविध**	
	24. समिति या स्थानीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे रूप में और ऐसे समय, जिसका निर्धारण किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे नियोक्ता या जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।	समिति द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना
	25. नियोक्ता द्वारा इस वार्षिक रिपोर्ट में उसके संगठन के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत दायर किए गए मामलों और दिए गए निर्णयों पर एक अनुच्छेद शामिल किया जाएगा।	नियोक्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में सूचना शामिल किया जाना
	26. (1) उपयुक्त सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में तथा कार्यस्थल पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित में आदेश देकर– (क) किसी भी नियोक्ता या जिला अधिकारी को यथा अपेक्षित यौन उत्पीड़न से संबंधित सूचना को लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहेगी; (ख) किसी अधिकारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और संबंधित कार्यस्थल की जांच करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जो प्राधिकारी संबंधित आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	

	(2) प्रत्येक नियोक्ता और जिला अधिकारी निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष मांगे जाने पर अपनी अभिरक्षा में स्थित वे सभी सूचनाएं, रिकार्ड और अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा जिनका संबंध उस निरीक्षण के विषय से हो। 27. (1) यदि नियोक्ता या जिला अधिकारी– (क) धारा 4 की उप–धारा (1) या धारा 6 की उप–धारा (1), जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत एक समिति गठित करने; और (ख) धारा 11, 12 और 20 के अंतर्गत कार्रवाई करने; में विफल रहता है, तथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए किसी को उकसाता है, तो उसे पांच हजार रुपये तक विस्तारणीय जुर्माने की शास्ति दी जा सकती है। (2) उप–धारा (1) के अंतर्गत एकत्रित राशि पूर्व–निर्धारित प्रयोजन हेतु सृजित एक समग्र निधि में जमा की जाएगी और उसका उपयोग एक निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जाएगा।	
उपयुक्त सरकार की नियम बनाने की शक्ति	28. (1) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी। (2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक के संबंध में प्रावधान किया जाए, अर्थात– (क) धारा 4 की उप–धारा (4) के अंतर्गत अध्यक्षा और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते और पारिश्रमिक; (ख) धारा 6 की उप–धारा (4) के अंतर्गत अध्यक्षा और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते और पारिश्रमिक; (ग) धारा 7 की उप–धारा (2) के अंतर्गत वह व्यक्ति जो शिकायत कर सकता है; (घ) धारा 9 की उप–धारा (1) के अंतर्गत जांच का तरीका; (ड.) धारा 9 की उप–धारा (2) के अंतर्गत जांच करने की शक्तियां; (च) धारा 9 की उप–धारा (4) के अंतर्गत नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई;	

	(छ) धारा 10 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत सिफारिश की जाने वाली राहत; (ज) धारा 11 की उप–धारा (3) के खंड (क) के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई का तरीका; (झ) धारा 12 की उप–धारा (1) के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई का तरीका; (ञ) धारा 12 की उप–धारा (2) के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई का तरीका; (ट) धारा 15 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई का तरीका; (ठ) धारा 16 के अंतर्गत की जाने वाली अपील का तरीका; (ड) धारा 18 की उप–धारा (2) के अंतर्गत निधियों के उपयोग का तरीका; (ढ) धारा 19 के अंतर्गत समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का तरीका और समय; (ण) धारा 22 की उप–धारा (2) के अंतर्गत उन प्रयोजनों का उल्लेख जिनके लिए निधि एकत्रित की गई; (3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी। (4) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में, यदि वह द्विसदनी हो या यदि राज्य विधान मंडल का केवल एक सदन हो तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।	

अनुलग्नक – VII

स्त्री और बाल अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 2008
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन
(10 अगस्त, 2009)

औचित्य	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध	औचित्य
धारा 1– संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ	(1) इस अधिनियम को स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 कहा जाए। (2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत में लागू होगा। यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में किया जाए।	**अध्याय 1 : संक्षिप्त शीर्षक** 1. इस अधिनियम को **महिला और बाल अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 2008** कहा जाए। (2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत में लागू होगा। यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में किया जाए।	संपूर्ण वर्तमान अधिनियम को फिर से तैयार करने और इस विधान को नए सिरे से निर्मित करने का प्रस्ताव है।
धारा 2: परिभाषाएं		**अध्याय 2: परिभाषाएं**	
धारा 2 (क)	धारा 2 (क) **"विज्ञापन"** में कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है।	**धारा 2 (क)** **"विज्ञापन"** में कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, जिसमें **लेजर प्रकाश** शामिल है, ध्वनि, धुआं, गैस, **फाइबर आप्टिक, इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य माध्यम** का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

धारा 2 (ख)	विद्यमान नहीं है	**धारा 2(ख)** **"प्राधिकारी"** का अर्थ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उल्लिखित केंद्रीय प्राधिकारी से है जिसे महिलाओं के अशिष्ट रूपण के विनियमन/ प्रतिषेध हेतु पदनामित किया गया है।	अधिनियम के अंतर्गत एक तंत्र सृजित करना ताकि अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
धारा 2(ग)	"वितरण" में नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण शामिल हैं।	**धारा 2(ग)** "वितरण" में नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण शामिल हैं।	
धारा 2(घ)	(ग) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	धारा 2(घ) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है – (i) महिला का यौन उपभोग की एक वस्तु के रूप में प्रदर्शन जो कामोत्तेजक हो या कामुकता को बढ़ावा देता हो; या (ii) महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	
धारा 2(घ),(ड.) और (च)	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं।	शेष धाराओं 2(घ), (ड.) और (च) में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है किंतु उन्हें (ड.), (च) और (छ) द्वारा पुनः संख्यांकित किया जाएगा।	

मौजूदा धारा 2(च) के पश्चात धारा 2(छ) के रूप में प्रविष्ट किया जाने वाला नया खंड	वर्तमान कानून में विद्यमान नहीं।	धारा 2(ज) तैयार करने, छापने के साधनों का प्रकाशन या किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी पुस्तक, समाचारपत्र, पत्रिका, पोस्टर, ग्रैफिटो या आवधिक पत्र–पत्रिकाओं या इलेक्ट्रानिक या डिजिटलीय रूप में तैयार/ अवबोधित फाइलों जिनका वितरण कंप्यूटर, उपग्रह–संबद्ध/ संबंधित इंटरा या इंटरनेट संचारों सहित श्रव्य–दृश्य माध्यमों के जरिए किया जाता है, में प्रकाशित करने के लिए वितरित करना।	अधिनियम की अनुप्रयोज्यता का दृश्य माध्यमों और इंटरनेट सहित कंप्यूटर तक विस्तार करना।
		अध्याय III **प्रतिषेध और शास्तियों से संबंधित उपबंध**	
धारा 3	धारा 3 **महिलाओं के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, को प्रकाशित नहीं करेगा, या प्रकाशित करने के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा ।	**धारा 3** **महिलाओं के अशिष्ट और अपमानजनक रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का किसी भी रूप में अशिष्ट या अपमानजनक रूपण किया गया हो, को प्रकाशित नहीं करेगा, या प्रकाशित करने के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा ।	

धारा 4	**महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त पुस्तकों, पैम्फलेटों, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्मलेख, चित्र, आरेख, फोटो चित्र या आकृति को तैयार नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक से परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा।	**धारा 4 : महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त पुस्तकों, पैम्फलेटों, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्मलेख, चित्र, आरेख, फोटो चित्र या आकृति को तैयार नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक या **किसी अन्य साधन द्वारा** परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार "किसी अन्य साधन द्वारा" शब्दों का समावेश।
धारा 5	**वर्तमान धारा 5** वर्तमान उपबंध प्रवेश करने और तलाश करने की शक्तियों से संबंधित है जिस पर प्रस्तावित संशोधन में अलग से विचार करने का प्रस्ताव है।		
धारा 5 **वर्तमान धारा 6** वर्तमान उपबंध शास्ति से संबंधित है।	**धारा 6** **शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो वर्षों तक के कारावास का दंड या 2000/– रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो उसे कम से कम 6 माह के कारावास की सजा जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा	**प्रस्तावित धारा 5** **शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो माह जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, तक के कारावास का दंड या 2000/– रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो उसे कम से कम 6 माह के कारावास	

	सकता है और साथ ही कम से कम 10,000/– रुपये तक का जुर्माना, जिसे 1,00,000/– रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दर्ज किया जा सकता है।	की सजा जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम 10,000/– रुपये तक का जुर्माना, जिसे 1,00,000/– रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दर्ज किया जा सकता है।	
नई धारा	**वर्तमान अधिनियम की धारा 7 – कंपनियों द्वारा अपराध** (1) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के घटित होने के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रचालन का प्रभारी हो और इसके लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो तथा साथ ही कंपनी भी अपराध हेतु दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही चलाई जाएगी और उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगाः परंतु इस उप–धारा में निहित किसी भी बात से ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था।	**प्रस्तावित धारा – कंपनियों द्वारा अपराध** (1) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के घटित होने के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रचालन का प्रभारी हो और इसके लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो तथा साथ ही कंपनी भी अपराध हेतु दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही चलाई जाएगी और उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगाः परंतु इस उप–धारा में निहित किसी भी बात से ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था।	
6(2)	वर्तमान धारा 7(2) उप–धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध	प्रस्तावित धारा 6(2) उप–धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध	

	किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी सांठ–गांठ या लापरवाही से हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ "कंपनी" का अर्थ किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई प्रतिष्ठान या व्यक्तियों की कोई एसोसिएशन शामिल है तथा किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, "निदेशक" का अर्थ उस प्रतिष्ठान के भागीदार से है।	किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी सांठ–गांठ या लापरवाही से हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ "कंपनी" का अर्थ किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई प्रतिष्ठान या व्यक्तियों की कोई एसोसिएशन शामिल है तथा किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, "निदेशक" का अर्थ उस प्रतिष्ठान के भागीदार से है।	
नई धारा 7	**वर्तमान धारा 8** **संज्ञेय और जमानती अपराध** (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध जमानती होगा। (2) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।	**प्रस्तावित धारा 7** **संज्ञेय और जमानती अपराध** (1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध जमानती होगा। (2) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।	

		अध्याय IV केंद्रीय प्राधिकरण	
धारा 8	विद्यमान नहीं है।	8. केंद्रीय प्राधिकरण – 1. केंद्र सरकार महिलाओं के किसी दस्तावेज में रूपण, प्रकाशन, प्रसारण, टेलीकास्ट के तरीके को शासित और विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण को नियुक्त करेगी। 2. इस प्राधिकरण का प्रमुख राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य–सचिव स्तर का अधिकारी होगा और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्, भारतीय प्रेस परिषद्, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित मामलों में कार्य करने के अनुभवप्राप्त व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।	
धारा 9	वर्तमान धारा 9 **प्रवेश करने और तलाश करने की शक्तियों से संबंधित है जिस पर अलग से विचार किया गया है।**	**धारा – 9 – केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य** केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं: (क) प्रकाशित या प्रसारित किए गए किसी कार्यक्रम या किसी विज्ञापन के संबंध में अपील/शिकायतें प्राप्त करना तथा उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय देना; (ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 292–294 के अंतर्गत शिकायतों	

		से संबंधित सभी मामलों की, जहां तक ऐसे मामले महिलाओं से और उनके हितों से तथा स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की धारा (2) में यथापरिभाषित संदर्भों से संबंधित हैं, की छानबीन करना, स्वतः संज्ञान लेना और जांच करना; या अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मामले को प्राधिकृत निकाय को भेजना; (ग) ऐसे किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन या प्रकाशन के आवश्यक समझे जाने वाले अंशों के टेप की मांग करना; (घ) ऐसी शिकायतों पर विचार करना और उक्त अपील/शिकायत के प्राप्त होने के 60(साठ) दिनों के भीतर कारण बताते हुए लिखित निर्णय को जारी करके मामले के निपटान को सुकर बनाना; (ड.) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्रवाई करना तथा शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज लिखित बयान के आधार पर तथा उपयुक्त अवसर प्रदान करके अपने निर्णयों को पारित करना; (च) अपने कार्यों के निर्वहन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर केंद्र सरकार को दिशानिर्देशों या मानदंडों अथवा निर्धारित दिशानिर्देशों या मानदंडों में संशोधन और साथ ही इसे सरकार द्वारा	

		सौंपे गए अन्य मामलों पर भी सिफारिश प्रस्तुत करना। (छ) सेवा प्रदाताओं/ विज्ञापनदाताओं/ प्रकाशकों आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के गुणवत्ता संबंधी मानकों को निर्धारित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का आवधिक निरीक्षण करना ताकि प्रसारण सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। (ज) अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना। (झ) भारत में अपनाए जाने वाले विज्ञापन संबंधी व्यवहारों के मानकों का मानीटरन, प्रशासन और संवर्धन प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिया जा रहा विज्ञापन व्यापक रूप में स्वीकृत मानदंडों के विरुद्ध तथा इस अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार अशिष्ट नहीं है। (ञ) विज्ञापन, मीडिया और प्रकाशन में आत्म–विनियमन हेतु नियमों को प्रवर्तित करना। (2) निम्नलिखित मामलों के संबंध में अपने कार्यों के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जांच–पड़ताल करने के प्रयोजनार्थ समिति को भारत भर में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो शक्तियां	

		सिविल न्यायालय को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत किसी वाद पर विचार करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात– (क) संबंधित व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उन्हें शपथ दिलाकर उनकी जांच करने; (ख) दस्तावेजों को प्राप्त करना और उनकी जांच की मांग करना; (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना; (ड.) साक्षी या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना; और (च) यथानिर्धारित अन्य कोई भी मामला। (3) परिषद द्वारा की गई प्रत्येक जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी;	
धारा 10	विद्यमान नहीं	10. प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश 1. यदि प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विज्ञापनदाता या प्रकाशक दोषी है, तो वह (i) उसे यह निर्देश जारी कर	

		सकता है कि निर्णय होने तक आपत्तिजनक कार्यक्रम या विज्ञापन का टेलीकास्ट या प्रसारण या प्रकाशन न करे; (ii) विज्ञापन या कार्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, में उपयुक्त संशोधन का निर्देश जारी कर सकता है; (iii) यह निर्देश जारी कर सकता है कि ऐसा विज्ञापन या कार्यक्रम, जैसी भी स्थिति हो, प्रसारित नहीं किया जाएगा; (iv) इसके द्वारा यथानिर्धारित उपयुक्त रूप में कोई माफीनामा/ डिस्क्लेमर/ चेतावनी प्रसारित/ प्रकाशित करने का निदेश जारी कर सकता है; (v) ऐसा अन्य कोई भी आदेश जारी कर सकता है, जो इसके द्वारा उपयुक्त समझा जाए। (2) यदि प्राधिकरण शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाता तो प्राधिकरण: (i) शिकायत को रद्द कर सकता है; (ii) शिकायत को रद्द कर सकता है और ऐसे मामलों में जिसमें समिति को यह ज्ञात हो कि शिकायत दुर्भावना के आधार पर की गई थी, शिकायतकर्ता को संपूर्ण कार्यवाही के लिए लागत का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है; (iii) प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को शिकायतकर्ता और	

		विज्ञापनदाता/प्रकाशन/प्रसारक को भेजा जाएगा।	
धारा 11	पूर्व के अधिनियम में विद्यमान नहीं।	11. शिकायतें: 1. कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संगठन अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके अधिनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन की स्थिति में किसी निरूपण के बारे में केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकता है। 2. शिकायत लिखित में की जाएगी और उसमें प्रकाशन के स्वरूप तथा उस तरीके का जिसमें वह मामला शिकायतकर्ता के ध्यान में आया, का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।	
नई धारा 12	**वर्तमान धारा 5** **प्रवेश करने और तलाश करने की शक्तियां** (1) ऐसे नियमों जिन्हें निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र सीमा के भीतर जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है: किसी भी उपयुक्त समय पर, ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझता हो, ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिसके संबंध में उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उस स्थान पर इस	**नई धारा 12** **प्रवेश करने और तलाश करने की शक्तियां** (1) ऐसे नियमों जिन्हें निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र सीमा के भीतर जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है: किसी भी उपयुक्त समय पर, ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझता हो, ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिसके संबंध में उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उस स्थान पर इस	

	अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है या किया जा रहा है; ऐसे किसी भी विज्ञापन या किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, स्लाइड, फिल्म, लेख, आरेख, चित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या होता है; खंड(क) में उल्लिखित किसी भी स्थान पर प्राप्त किसी रिकार्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी भी अन्य सामग्री की जांच करना और उसे जब्त करना, यदि उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध को किए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होगा; परंतु इस उप–धारा के अंतर्गत किसी भी निजी निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा; यह भी कि इस उप–धारा के अंतर्गत जब्ती की शक्ति ऐसे किसी भी दस्तावेज, वस्तु या लेख के संबंध में प्रयोग में लाई जा सकती है, जिसमें ऐसे विज्ञापन का, यदि विज्ञापन को ऐसे दस्तावेज, लेख या वस्तु पर उभरी छपाई द्वारा	अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है या किया जा रहा है; ऐसे किसी भी विज्ञापन या किसी भी पुस्तक, पैम्फलेट, स्लाइड, फिल्म, लेख, आरेख, चित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है या होता है; खंड(क) में उल्लिखित किसी भी स्थान पर प्राप्त किसी रिकार्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी भी अन्य सामग्री की जांच करना और उसे जब्त करना, यदि उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दंडनीय अपराध को किए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होगा; परंतु इस उप–धारा के अंतर्गत किसी भी निजी निवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा; यह भी कि इस उप–धारा के अंतर्गत जब्ती की शक्ति ऐसे किसी भी दस्तावेज, वस्तु या लेख के संबंध में प्रयोग में लाई जा सकती है, जिसमें ऐसे विज्ञापन का, यदि विज्ञापन को ऐसे दस्तावेज, लेख या वस्तु पर उभरी छपाई द्वारा	

	प्रस्तुत किए जाने या अन्य कारणों से ऐसे दस्तावेज, लेख से उसकी संपूर्णता, उपयोगिता या बिक्री मूल्य पर कोई प्रभाव डाले बिना पृथक नहीं किया जा जा सकता हो।	प्रस्तुत किए जाने या अन्य कारणों से ऐसे दस्तावेज, लेख से उसकी संपूर्णता, उपयोगिता या बिक्री मूल्य पर कोई प्रभाव डाले बिना पृथक नहीं किया जा जा सकता हो।	
12(2)	वर्तमान धारा 5(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक संभव हो, उक्त संहिता की धारा 4 के अंतर्गत जारी किसी वारंट के प्राधिकार के अंतर्गत की गई किसी तलाशी या जब्ती के लिए लागू होंगे।	धारा 12(2) के रूप में पुनः संख्यांकित	
12(3)	वर्तमान धारा 5(3) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु की जब्ती करता है तो वह, यथासंभव शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सूचित करेगा तथा उसकी अभिरक्षा के संबंध में उसके आदेश प्राप्त करेगा।	धारा 12(3) के रूप में पुनः संख्यांकित	
12(4)	वर्तमान उपबंध में नहीं।	धारा 12(4) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, सरकारी अधिसूचना जारी करके धारा 22(1)(2) और (3) के प्रयोजनार्थ उतनी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों को नामित करेगी, जो आवश्यक समझी जाए।	अधिकारियों के नामों की अधिसूचना के लिए उपबंध को अनिवार्य बनाना।

नई धारा 13	**वर्तमान धारा 9** **सद्भावना स्वरूप की गई कार्यवाही का संरक्षण** – केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत सदभावना स्वरूप की गई हो या जिसे किए जाना अभिप्रेत हो।	**प्रस्तावित धारा 13** **सद्भावना स्वरूप की गई कार्यवाही का संरक्षण – परिषद के किसी सदस्य / अधिकारी**, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत सदभावना स्वरूप की गई हो या जिसे किए जाना अभिप्रेत हो।	
नई धारा 14	वर्तमान कानून में कोई उपबंध नहीं।	**धारा 14** **आत्म–विनियमन का कर्त्तव्य** विज्ञापन फिल्मों, विज्ञापनों के उत्पादन, प्रदर्शन में लगी प्रत्येक विज्ञापन एजेंसी, मीडिया समूह, उत्पादन गृह, प्रकाशन का यह दायित्व होगा कि वह एक आत्म–विनियामक तंत्र सृजित करे और उसका अनुरक्षण करे जो ऐसे प्रत्येक फिल्म, विज्ञापन (प्रिंट माध्यम और फिल्म दोनों के लिए) तथा ऐसी प्रत्येक मनोरंजन सामग्री जो सार्वजनिक परिचालन और निजी परिचालन के लिए तैयार की जाती हो, की जांच करेगा और इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक प्रयोग हेतु उपयुक्त है और अधिनियम के उपबंधों का	

		उल्लंघन नहीं करता। इसके पश्चात ही उसके जनता या किसी भी अन्य समूह के समक्ष प्रदर्शन की अनुमति दी जाए।	
धारा 15	वर्तमान धारा 10 नियम बनाने की शक्ति (1) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी। (2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी भी एक के लिए प्रावधान किया जाएः (क) वह तरीका, जिसका प्रयोग करके विज्ञापनों और अन्य लेखों को जब्त किया जाएगा, तथा वह तरीका जिसका प्रयोग करके जब्त की गई सामग्रियों की सूची तैयार की जाएगी तथा उस व्यक्ति के सुपुर्द की जाएगी जिसकी अभिरक्षा से किसी विज्ञापन अथवा अन्य लेख को जब्त किया गया है। (ख) ऐसा अन्य कोई भी मामला, जिसे निर्धारित करना अपेक्षित है, या अपेक्षित हो। (3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों	धारा 15 के रूप में पुनः संख्यांकित	

	की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी।		
नई धारा 16		**धारा 16 – निरसन और प्रतिबंध** (1) एतद्द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 निरसित (रद्द) किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई, लिया गया कोई भी निर्णय, इस अधिनियम के संगत अधिनियमों के अंतर्गत की गई या लिया गया माना जाएगा।	